द्वादश माला, खंड 1, अंक 8

मंगलवार, 31 मार्च, 1998
10 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम.आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 8, मंगलवार, 31 मार्च, 1998/10 चैत्र, 1920 (शक)

विषय	कालम
सभा पटल पर रखे गए पत्र ...	1–16
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*—*स्वीकृत*	43–132, 145–186
श्री माधवराव सिंधिया	43–56
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	57–81
श्री ई. अहमद	84–89
श्री उमर अब्दुल्ला	89–95
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	95–96, 99–104
श्री राम विलास पासवान	104–111
श्री जी. गंगा रेड्डी	111–113
श्रीमती सुखदा मिश्र	113–118
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	120–124
श्री प्रभात कुमार सामन्तराय	124–127
डा. बिक्रम सरकार	127–130
श्री सुब्रत मुखर्जी	131,145–147
श्री पी.आर. किन्डिया	148–150
श्रीमती कैलाशो देवी	150–153
श्री आरिफ मोहम्मद खां	154–161
श्री प्रमथेस मुखर्जी	161–164
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	165–167
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	167–170
श्री समर चौधरी	171–172
श्री एन. डेनिस	173–174
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	175–185

विषय कालम

नियम 377 के अधीन मामले 132-145

(एक) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लोगों को बिजली और पानी के कनैक्शन देने तथा उन्हें ये सुविधायें शीघ्र प्रदान करने के लिए वर्तमान नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री सत्यपाल जैन 132

(दो) बिहार के कोडरमा जिले में बरियाडीह मोड़ पर आयुध कारखाना शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 132

(तीन) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक समान शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल और गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

डा. संजय सिंह 133

(चार) उत्तर प्रदेश में आंवला में चीनी मिल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह 134

(पांच) गुजरात के कच्छ जिले में समात्रा में टी.वी. टॉवर के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता ताकि लोग दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम साफ-साफ देख सकें

श्री पी.एस. गढ़वी 134

(छह) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज सिंह चौहान 134

(सात) उड़ीसा में बिमलगढ़ और तालचेर रेल परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री जुआल उराम 135

(आठ) गुजरात में पाटण और मेहसाणा के बीच धिणौज में क्षतिग्रस्त रेलवे पुल का पुनर्निर्माण कराने तथा इस क्षेत्र में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री महेश कुमार कनोडिया 135

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गांव को इकाई मानकर फसल बीमा शुरू किये जाने की आवश्यकता

डा. बी.एन. रेड्डी 136

(दस) मध्य प्रदेश में विशेषकर रायपुर, बिलासपुर तथा रीवा संभाग के ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री मोतीलाल वोरा 136

(ग्यारह) मध्य रेलवे के दौंड से मनमाड के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे 137

विषय		कालम
(बारह)	दक्षिण मध्य रेलवे के कराड़ और सतारा रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किये जाने की आवश्यकता	
	श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	137
(तेरह)	नागपुर के चहुंमुखी विकास के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	138
(चौदह)	राजस्थान में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल भेजने तथा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्री नरेन्द्र बुडानिया	139
(पन्द्रह)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, असम की ''मरियानी'' बायपास परियोजना को स्थगित रखने और इस परियोजना को नए सिरे से शुरू करने के लिए स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विजय कृष्ण हाण्डिक	139
(सोलह)	प्राकृतिक गैस संसाधनों का दोहन करने और त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गहराई तक तेल का पता लगाने हेतु ड्रिलिंग करने वाली ''बोरिंग रिग्स'' प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्री समर चौधरी	140
(सत्रह)	संविधान की दसवीं अनुसूची में दिए गए दल-परिवर्तन रोधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	141
(अठारह)	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ऐरा खमरिया कस्बे के पास शाखा नदी द्वारा हो रहे कटाव के कारण पीलीभीत-बस्ती राजमार्ग के लिए पैदा हुए खतरे का आकलन करने तथा इस खतरे को रोकने हेतु बांध का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	141
(उन्नीस)	बारहवीं लोक सभा के आम चुनाव की घोषणा के पश्चात उड़ीसा राज्य में की गई सभी भर्तियों को रद्द किये जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी	142
(बीस)	तिरुअनन्तपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के तमिलनाडु में पड़ने वाले भाग का तुरन्त रखरखाव करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
	श्री एन. डेनिस	142
(इक्कीस)	हवेरी, कर्नाटक में मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलते समय वर्षा ऋतु के दौरान जमा हो गए जल की निकासी को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री बी.एम. मेनसिंकाई	143
(बाईस)	मंजेरी (केरल) में एफ.एम. रेडियो स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता	
	श्री ई. अहमद	143

विषय कालम

(तेईस) असम के कारबी, अंगलोग और नार्थ कछार हिल्स ज़िलों में बेहतर दूर-संचार सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

डा. जयंत रंगपी 143

(चौबीस) एक पृथक राज्य बोडोलैंड बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 144

(पच्चीस) एस्सार समूह द्वारा तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक को अधिग्रहीत करने से रोके जाने की आवश्यकता

श्री वैको 144

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तूफान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास उपाय 186–197

श्री सोमपाल

विदाई उल्लेख 197–198

राष्ट्रगीत 198

लोक सभा

मंगलवार, 31 मार्च, 1998/10 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं खड़ा हूँ। आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय: प्वाइंट आफ आर्डर बाद में।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह ठीक नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया बैठ जायें।

पहले सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लिया जाये, इसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, श्री सिकन्दर बख्त की तरफ से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 81/98]

(ग) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 82/98]

(घ) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 83/98]

(ङ) (एक) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 84/98]

(च) (एक) भारत आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 85/98]

(छ) (एक) रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 86/98]

(ज) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 87/98]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कीं टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 88/98]

(ञ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 89/98]

(ट) (एक) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 90/98]

(ठ) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 91/98]

(ड) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 92/98]

(ढ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 93/98]

(ण) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 94/98]

(त) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 95/98]

(थ) (एक) एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 96/98]

(द) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 97/98]

(ध) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 98/98]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले उन्नीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फ्लूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 99/98]

(5) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 100/98]

(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जारी 'आयल प्रेसर स्टोवस' (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1997 जो दिनांक 24 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 101/98]

बिहार एजूकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): महोदय, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी जी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) बिहार एजूकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजूकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 102/98]

(3) (एक) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 103/98]

(5) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 104/98]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और इनको सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 105/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 106/98]

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 107/98]

(ग) (एक) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 108/98]

(घ) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 109/98]

(ङ) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 110/98]

उड़ीसा प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1)(एक) उड़ीसा प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 111/98]

(3) (एक) महिला सामाख्या सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामाख्या सोसाइटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 112/98]

(5) (एक) असम शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 113/98]

(7) (एक) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजूकेशन, गुजरात के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल आफ प्राइमरी एजूकेशन, गुजरात के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 114/98]

(9)(एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कर्नाटक के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कर्नाटक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 115/98]

(11)(एक) महिला समता सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समता सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 116/98]

(13)(एक) महिला सामाख्या सोसाइटी, गुजरात के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामाख्या सोसाइटी, गुजरात के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 117/98]

(15)(एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चेन्नई के वर्ष 1996-97 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 118/98]

(17)(एक) महिला सामाख्या सोसायटी, कर्नाटक के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसायटी, कर्नाटक के वर्ष 1996-97 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 119/98]

(19)(एक) आन्ध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 120/98]

(21)(एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चण्डीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चण्डीगढ़ के वर्ष 1996-97 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 121/98]

(23)(एक) पश्चिम बंग राज्य प्राथमिक शिक्षा उन्नयन संस्था, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्राथमिक शिक्षा उन्नयन संस्था, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 122/98]

[अनुवाद]

31 मार्च, 1997 को भारतीय जीवन बीमा निगम का मूल्यांकन प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं श्री आर.के. कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 1997 को भारतीय जीवन बीमा निगम के सत्ताईसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 123/98]

(2) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 124/98]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 1997 को भारतीय जीवन बीमा निगम के सत्ताइसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 125/98]

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 126/98]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 127/98]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स कोओपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 128/98]

(7) (एक) नेशनल कोओपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोओपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 129/98]

(9) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोओपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 130/98]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, एक घोषणा की गई है। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आठ घंटे की सिफारिश की थी। अभी तक हमने इस पर 5 घंटे और 53 मिनट तक चर्चा की है तथा चर्चा में चौदह सदस्यों ने भाग लिया है। हमारे पास शेष बचा समय दो घंटे और सात मिनट है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना भाषण बहुत संक्षेप में और विषय तक ही सीमित रखें ताकि चर्चा में बाकी बचे सदस्य भी भाग ले सकें। कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं कुछेक माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों को 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दूंगा। मैं पुन: माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे कृपा करके अपनी बात बहुत संक्षेप में कहें तथा प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट का समय ही ले ताकि हम और सदस्यों को मौका दे सकें।

अब मैं श्री मोहन सिंह को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर सायं 5 बजे देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक वादा किया था। जब इस सदन में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मुद्दा उठाया गया था तो उन्होंने वायदा किया था कि वह सोमवार तक इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। हमें कल उनका वक्तव्य सुनने को नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि कम से कम आज वह अपना वक्तव्य देंगे क्योंकि इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और अन्य अनेक राज्य प्रभावित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई इस विषय पर सरकार की ओर से बोलेगा?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। वे शायद आज हाऊस एडजर्न होने से पहले स्टेटमेंट देने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): महोदय, उस दिन प्रधान-मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह सदन में वक्तव्य देंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल मेरी बात हुई थी, वे कह रहे थे कि आज स्टेटमेंट देना है। मैं उनसे बात करके आपको टाइम बता दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा था कि सभी दल के नेताओं से परामर्श करके, बातचीत करके स्टेटमेंट देंगे, परामर्श हुआ ही नहीं तो स्टेटमेंट कैसे दे देंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। मैंने श्री पांजा को बोलने की अनुमति दी है। मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व): महोदय, दो राज्यों अर्थात् उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए समुद्री तूफान की वजह से उत्पन्न स्थिति और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश में दो दल वहां भेजे गए थे। दोनों दल वापस आ गए हैं। एक दल में संसद सदस्य शामिल थे और दूसरे दल में एक माननीय मंत्री जी, संसद सदस्य कुमारी ममता बनर्जी और एक अन्य माननीय सदस्य शामिल थे। हमें इन दोनों दलों की रिपोर्ट अवश्य मिलनी चाहिए तथा हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, हमारी जानकारी के हिसाब से अब तक दी गई राहत बहुत मामूली है और यह लोगों तक नहीं पहुंची है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ने वायदा किया है कि वहां पैसा दिया जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह पैसा अभी तक वहां पहुंचा है अथवा नहीं? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जिस चीज की आवश्यकता है, वह है अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे पर और चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि इस बारे में पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: कोई भी वहां पर नहीं गया है। वे यहां बैठे हुए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जो कुछ श्री अजीत कुमार पांजा ने कहा है वह सत्य से बहुत परे है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, एक मिनट।

श्री अजीत कुमार पांजा: मैं चाहता हूं कि राहत वहां सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए क्योंकि इस बारे में पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया इस बात को समझें कि सरकार की ओर से इस विषय पर पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। बाद में आप यह मामला उठा सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, श्री मोहन सिंह जी।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी: *अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह चर्चा उसी मुद्दे पर है? अथवा किसी अन्य मुद्दे पर? कृपया मुझे बताएं। क्या यह चर्चा इसी मुद्दे पर है?

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष जी, 29.3.98 को बिहार के पूर्वी भाग में जबरदस्त भीषण तूफान और ओलावृष्टि हुई है जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। हमारी मांग है कि भारत सरकार को यह नोटिस लेना चाहिए कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह गलत बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ स्थिति पर सवाल उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): अध्यक्ष जी, किसी भी प्रदेश को कानून और व्यवस्था की स्थिति इस सदन में डिस्कस नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: हमने श्री मोहन सिंह को बुलाया है।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, नकल अध्यादेश के विरोध में हजारों छात्र-छात्राएं उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: *अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन नहीं है, जहां लोकप्रिय सरकार है, वहां का मामला इस* हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मामला यहां डिस्कस हो ही नहीं सकता। यह कोई उत्तर प्रदेश की विधान सभा नहीं है। उत्तर प्रदेश का मामला वहां की विधान सभा में डिस्कस होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मोहन सिंह को बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप बैठ जाइए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने श्री मोहन सिंह को बोलने की अनुमति दी है। आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही सारांश में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: यह मामला महिलाओं, बच्चों के ऊपर अत्याचार से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं, दलितों के हितों की हिफाजत करे। उत्तर प्रदेश के उद्योगों की हिफाजत करे। आज की तारीख में फिरोजाबाद जिले में हैलीकोप्टर को ...*(व्यवधान)* उतारकर विद्यार्थियों की परीक्षा को डिस्टर्ब किया। आज की तारीख में वहां पर हजारों महिलाएं, विद्यार्थी जेल के अंदर बंद हैं। उनके ऊपर आंसूगैस का प्रयोग किया गया, उनके ऊपर आंसूगैस के गोले चलाये गये। इस पर केन्द्रीय सरकार को बयान देना चाहिए और वहां महिलाओं, दलितों और विद्यार्थियों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब श्री प्रदीप कुमार यादव की बारी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की इस गंभीर समस्या पर वे एक वक्तव्य दें और यह सदन उसको संज्ञान में ले। जितने विद्यार्थी जेल में हैं

उन सभी छात्रों को जेल से रिहा किया जाए, उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमों को वापस लिया जाए और जो अध्यापक-अध्यापिकाएं जेल में हैं उनको भी रिहा किया जाए। यह सवाल मैं आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं तथा यह चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर वक्तव्य दे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल इस मामले में सहायता कर सकते हैं। अन्य कोई मामला नहीं उठाया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज): मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार इम्तहान के दिनों में धारा 144 लागू कर देती है। वहां जब छात्रों के इम्तहान हो रहे थे तो प्रदेश के एक मंत्री ने इम्तहान के समय जबर्दस्ती हैलिकॉप्टर उतारा। वह उसे 15 मिनट तक जबर्दस्ती घुमाता रहा। प्रिंसिपल ने आज्ञा नहीं दी तो भी शासन के दम पर परीक्षा स्थल पर हैलिकॉप्टर उतारा गया। इससे सारे पर्चे और कापियां उड़ गईं। जब छात्रों और छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उन पर लाठी चार्ज किया गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भिन्न मामले पर बोल रहे हैं। मैं डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी को पुकार रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए और उन्हें अध्यक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैडम, मैंने डा. रेड्डी को पुकारा है, कृपया आप बैठ जाएं। कृपया पहले आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, वहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए मुझे इस पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपसे लगातार निवेदन किया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन में तीन जगह बलात्कार की भी घटनाएं हुई, वहां 42 निर्दोष लोग उन्नाव की जेलों में बंद है और करीब 17-18 निर्दोष लोग लखनऊ की जेलों में बंद हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): कहां बंद हैं? आप गलत बात कह रहे हैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम बार-बार कहते हैं कि यह अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

आप बार-बार पीठासीन अधिकारी के कार्य और सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं परन्तु यह सही तरीका नहीं है। आप बार-बार सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। यदि यह गम्भीर मामला है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता है। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: क्या उन्होंने नोटिस दिया है? ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अभी मुलायम सिंह जी खड़े हुए और उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से मत बोलिए। मंत्री जी खड़े हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: इस हाउस की परंपरा है कि प्रदेशों के मामले ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: पहले भी महिलाओं और दलितों के मामले इस सदन में उठते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री मोहन सिंह जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्री जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: वह विषय उत्तर प्रदेश सरकार का है इसलिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अगर आप इनको अलाऊ करेंगे तो कल हमारे सदस्य भी इस प्रकार के विषय उठाने की मांग करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं तो आपको बोलना नहीं चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: शिक्षा का महकमा, लॉ एंड आर्डर का महकमा पूरी तरह से प्रदेश सरकार का मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): यह उत्तर प्रदेश सरकार का मामला नहीं है। मेरा एक पाइंट ऑफ आर्डर है। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल है। आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? पहले तो आप यह सुनिये कि मंत्रीजी क्या कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): दलितों पर अत्याचार के मामले, महिलाओं के मामले पहले भी इस सदन में उठते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल श्री मुलायम सिंह यादव को अनुमति दे रहा हूं। अत: यदि कोई और सदस्य बोलेंगे तो उनकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। देवरिया जिले में भी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कानपुर जिले के एक गांव में 32 दलितों के मकानों को डिमौलिश कर दिया गया। ...*(व्यवधान)* सबसे शर्म की बात यह है कि मिनिस्टर वहां से सौ मीटर की दूरी पर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बैठकर अपने बेटे को, तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को तथा असामाजिक तत्वों के साथ भेज दिया और सारे मकान ढहा दिए। दलितों का कानपुर जिले में चौबेपुर थाने के उस गांव में 45 साल से कब्जा था और वहां सभी मकान डिमौलिश कर दिये गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव जी के भाषण के अलावा किसी अन्य सदस्य का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, दूसरा बहुत गम्भीर मामला है। जब वहां एल.आर. कालिज जसराना में परीक्षा हो रही थी तो दफा 144 लगा दी गयी थी, लाउडस्पीकर बंद कर दिये गये थे। वहां जब इम्तिहान हो रहा था तो एक मिनिस्टर ने जबरदस्ती हेलीकोप्टर उतार दिया। सारे छात्रों की कापियां और परन्ने उड़ गये और सारी धूल कालिज के अंदर प्रवेश कर गई। नतीजा यह हुआ कि कुछ लड़के उत्तेजित हुए और उन्होंने नकल विरोधी कानून के विरुद्ध नारे लगाये। यही सच्चाई है। उसके बाद वहां के एस.पी. ने खुद लड़कों को पीटा और बंद कर दिया। आज उन लड़कों का पेपर है। वे 15 साल के छात्र, छात्राएं हैं, जिनकी पिटाई की गई, वे घायल भी हुए हैं। आज उन दोनों लड़कों का इम्तिहान है। वे लड़के निर्दोष हैं। आज के पेपर के कारण उन्हें वैसे ही फेल कर दिया जायेगा। इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है और गम्भीर इसलिए भी है क्योंकि दोनों जगह खुद मिनिस्टर ही इन घटनाओं में इनवोल्व है। यहां गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। यह छात्र, छात्राओं का मामला है, दलितों के मकानों का सवाल है, महिलाओं के साथ बलात्कार का सवाल है। उल्टे उन्हें ही जेल भेजा जा रहा है। मैं दोहराना चाहता हूं कि 42 समाजवादी कार्यकर्ता उन्नाव की जेल में बंद हैं, लखनऊ की जेल में बंद है। काकोरी के गांव में कूओं में भारी गंदगी डाल दी गई है। जब हमारे साथ राज्य सभा सदस्य श्री आजम साहब मौके पर गये, तब मुश्किल से दो डाक्टर वहां गये हैं। वहां कूओं में गांव की जितनी गंदगी थी वह पुलिस ने डाली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री मोहन सिंह इस मुद्दे को पहले ही रख चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: वहां साढ़े सैंतीस लाख रुपये की नकदी और जेवर लूटे गये हैं और 80-80 साल की महिलाओं को अपमानित किया गया है। काकोरी के पास इस गांव में आज बीमारी फैल सकती है क्योंकि वहां कूओं में गंदगी डाल दी गई है। मैं चाहता हूं कि यहां से सदन की एक कमेटी जाए। यह प्रधानमंत्री जी के बगल का ही क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी अपनी एजेन्सी के माध्यम से देख लें, महिला आयोग को भेजें और देखें कि वहां के कूओं में गंदगी डाल दी गई है, साढ़े सैंतीस लाख रुपये की नकदी और जेवर लूटे गये हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे गांव के अच्छे सम्मानित व्यक्तियों को जेल में भेजा गया है और जसराना कालेज के छात्र आगरा जेल में बंद हैं। आज उन लड़कों का पेपर है। मैं इस सदन में बता रहा हूं कि हिंदुस्तान और प्रदेश का नौजवान इस काले नकल विरोधी कानून का विरोध करेगा, चाहे जितना उन्हें जेलों में भेजा जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस पर बोलें। यह उनका सूबा और क्षेत्र भी है।

श्री मोहन सिंह : यह आपका सूबा है।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, आज अधिवेशन का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य जिन विषयों को महत्वपूर्ण समझते हैं उन्हें यहां पर उठाये। उसमें प्रदेश के मामले भी आते हैं। लेकिन यह प्रदेश का मामला है यह कहकर मैं जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, वे तथ्य गम्भीर हैं और मैं उनकी पूरी जांच का आश्वासन देता हूं। जहां तक छात्रों की गिरफ्तारी का सवाल है। जब मैं लखनऊ गया था तो मैंने इस नकल संबंधी सरकारी कदम के बारे में पूछताछ की थी, मुझे बताया गया है कि अब किसी छात्र को थाने नहीं ले जाया जाता। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: कल ही लेकर गये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर उन्हें थाने ले जाया गया है तो सरकारी निर्णय के खिलाफ ले जाया गया है, यह भी एक जांच का विषय बनेगा और इस मामले में उचित कार्रवाई की जायेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य इस बात को स्वीकार करें कि परीक्षा में नकल होने देना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम सहमत हैं।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: यह विधेयक पास नहीं हो पायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं, अब नकल किस तरह से रोकी जाए आप और हम मिलकर इसके उपायों पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डॉ. रेड्डी, क्या आपको अपनी बात कहने की दिलचस्पी है अथवा नहीं? आप अपनी बात कहना शुरू करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् चीनी के आयात से संबंधित मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि सन् 1993-94 के बाद हमारे देश में चीनी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सरकार की चीनी आयात करने की नीति के पीछे कारण समझ नहीं आ रहा है और वह भी बिना सीमा शुल्क के हमारे स्वदेशी चीनी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करना।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि ए.पी.ई.डी.ए. के पास पहले ही 6 लाख टन चीनी का भंडार उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद निजी व्यापारियों द्वारा 4.5 लाख टन चीनी का आयात किया गया। जब देश में पहले ही हमारे पास चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है चीनी के इस आयात से चीनी उद्योग को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है और कारखानों को संरक्षण नहीं मिल रहा है। लगभग 40 मिलियन किसान जो भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और जो देश के ग्रामीण क्षेत्र का सात प्रतिशत हैं, इस आयात नीति के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। हमें इस पर शर्म आती है। एक ओर तो हम इस आयात नीति की वजह से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा गंवा रहे हैं और दूसरी ओर हमें इस आयात नीति के पीछे अंतर्निहित धारणा की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह चीनी का आयात बन्द करे और इस संबंध में व्यापक अध्ययन करे कि देश में चीनी का कुल कितना भंडार उपलब्ध है, देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हो रहा है; गन्ने का कितना उत्पादन हो रहा है, देश में इसकी कुल कितनी मांग है। अतः माननीय प्रधानमंत्री से मेरा पुनः अनुरोध है कि चीनी का आयात तत्काल बंद किया जाए और स्वदेशी चीनी उद्योग और चीनी उत्पादकों को इस संकट से उबारा जाए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर आज सुबह ही कालिंग अटेंशन मोशन दिया है और उसमें लिखा है कि यह एक किस्म का नया स्कैम चल रहा है जिसके अंतर्गत शुगर इम्पोर्ट की जा रही है। 1997 में इसी सदन में शुगर इम्पोर्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ था। यह मोशन मैंने सबसे पहले दिया है और प्रथम नंबर पर आपके पास है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जायसवाल क्या आप इस बारे में कुछ और कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: जी हां। इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि केयर-टेकर सरकार के समय ब्यूरोक्रेसी ने बिना किसी मंत्री की आज्ञा लिए शुगर इम्पोर्ट की। ब्यूरोक्रेसी पर क्या कार्रवाई हुई है जबकि हमारे यहां शुगर सरप्लस है। लेवी शुगर और फ्रीस-सेल की शुगर का काफी स्टाक हमारे देश में मौजूद है, लेकिन फिर भी शुगर का आयात किया गया है जिसमें 750 करोड़ रुपये फारेन एक्सचेंज के रूप में इन्वाल्व हैं। यह केयर-टेकर सरकार के समय में किया गया है। इसकी जांच करवाई जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच करवाएं क्योंकि वे नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का भी अतिरिक्त चार्ज लिए हुए हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में पूरी जानकारी सदन को दें। *...(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी मंडला क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। अभी पिछली 29 तारीख को मंडला जिले में भयंकर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई जिसके कारण वहां के किसान तबाह हो गए। रबी और खरीफ की फसलें नष्ट हो गई। वहां से किसान काम की तलाश में भाग रहे हैं। आज वहां के किसान और आदिवासियों की भयंकर स्थिति खराब बनी हुई है जिसके कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश सरकार ने कोई भी सहायता प्रभावित किसान और आदिवासियों को नहीं दी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां के किसान और आदिवासियों को तुरंत सहायता देने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से राहत कार्य शुरू करके किसानों की मदद करने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों को राहत दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण सदन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत बड़ी खराब है। ...*(व्यवधान)* जैसा माननीय भूरिया जी कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बड़ी खराब है। वहां साल भर निरन्तर वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई और ओले गिरे परन्तु सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई। ...*(व्यवधान)* जबकि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों को सहायता दी है। ...*(व्यवधान)* यह बात ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की जांच करवा कर वहां के किसानों को सहायता दिलाएं।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* यह आदिवासी जिले का सवाल है और माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं कि उनको सहायता दी गयी है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के किसानों की समस्या के बारे में विचार किया जाये। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कुलस्ते जी के भाषण के अलावा किसी अन्य की बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो यहां उपस्थित हैं, का ध्यान प्राकृतिक विपदा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 25 मार्च, 1998 की रात को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में आए समुद्री तूफान के कारण 200 लोगों की जान चली गई। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि उसी क्षेत्र में कल भी लगातार 24 घन्टे तक मूसलाधार हुई बारिश ने और भी नुकसान किया है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए दो बार प्रतिनिधि मण्डल भेजा। हमारी मांग है कि कुल हुए नुकसान और हानि का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों के एक दल को भी प्रभावित स्थल का दौरा करना चाहिए। हमें पता चला है कि रामाकृष्णा मिशन और भारत सेवक समाज संघ सहित गैर सरकारी संगठनों को उन क्षेत्रों में राहत कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वे राहत सामग्री को संबंधित पंचायत कार्यालयों में रख दें। उनसे सी.पी.एम. के प्रभुत्व वाली पंचायतों के माध्यम से राहत सामग्री प्रदान करने के लिए कहा जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, वे मानवीय त्रासदी को राजनीतिक रंग दे रहे हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि 200 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद और इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्र सरकार के दो दल उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, तो भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने प्रभावित क्षेत्र का अभी तक दौरा नहीं किया। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि संबंधित मंत्री अपनी ओर से वक्तव्य दे क्योंकि संसद का सत्र चालू रहने के कारण दो प्रतिनिधि मण्डल पहले ही उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। माननीय कृषि राज्य मंत्री ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य महोदय कृपया यह समझिए कि सरकार पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, वह सम्पूर्ण देश में व्याप्त स्थिति के बारे में है। लेकिन मैं इस स्थिति विशेष की बात कर रहा हूं।

महोदय, हम चाहते हैं कि बेघर लोगों के लिए मकान बनाए जाने चाहिए, नलकूप लगाये जाने चाहिए और मृतकों के परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। सूचना है कि केन्द्र सरकार 50,000 रुपये, राज्य सरकार 20,000 रुपये और जिला प्राकृतिक आपदा कोष 10,000 रुपए प्रदान कर रहा है जो कुल मिलाकर 80,000 रुपए बैठता है। हमारा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करके प्रत्येक मृतक के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर देने चाहिए और प्रत्येक घायल को कम से कम 25,000 रुपए दिये जाने चाहिए। लगभग 1500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम स्वाभाविकतया यह आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक राहत पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.आर. किन्डिया।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, श्री सुधीर गिरि उस प्रभावित क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इसलिए उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिएं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री पी.आर. किन्डिया को बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, श्री सुधीर गिरि ने इस मामले के संबंध में सूचना दी हुई है। वह इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं इसलिए उन्हें बोलने का मौका दिया ही जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री सुधीर गिरि को भी बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: वह भी उसी मुद्दे पर बोलेंगे इसलिए उन्हें बोलने दिया जाए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय उड़ीसा से भी किसी को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुधीर गिरि का नाम भी वक्ताओं की सूची में दर्ज है। इसलिए मैं श्री सुधीर गिरि को अनुमति दे रहा हूं। श्री किन्डिया जी मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: *आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा।*

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): अध्यक्ष महोदय, इस समुद्री तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में तबाही मचाई है और मैं भी उन्हीं प्रभावित क्षेत्रों में से एक जगह का रहने वाला हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उसी विषय पर बोल रहे हैं। मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सुधीर गिरि: मैंने स्वयं लगभग 28 गांवों का दौरा किया है। मैंने पाया है कि मरने वालों की संख्या जो वे बता रहे हैं वह बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के एक दल ने भी विपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने पर्याप्त राहत की व्यवस्था की है।

श्री बसुदेव आचार्य: छह मंत्रियों ने उस स्थान का दौरा किया है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्धोपाध्याय: मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उन क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं किया?

श्री सुधीर गिरि: वे इस प्राकृतिक आपदा में राजनीति कर रहे हैं। वे इस प्राकृतिक आपदा से राजनीति कर रहे हैं और यह उनकी प्रकृति है। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। महोदय, मैंने इस संबंध में पहले ही माननीय प्रधानमंत्री को लिख दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि वह इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं।

श्री सुधीर गिरि: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह राज्य को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करें ताकि लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, सहायता सीधे ही पीड़ितों को दी जानी चाहिए, राज्य सरकार को नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सहायता राशि सीधे ही पीड़ितों को भेजी जाए। यह राशि राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इस राशि को पंचायतों को भेजेगी। पूरी धनराशि पीड़ितों तक नहीं पहुंचेगी। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री पी.आर. किन्डिया को बोलने के लिए कहा है आपको नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जहां राज्य सरकार है वहां पंचायतें हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: महोदय, वहां पर स्थिति बहुत ही नाजुक है। उड़ीसा में भी तूफान प्रभावित क्षेत्रों में लोग बुरी स्थिति में हैं और अभी तक राहत पहुंचाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री किन्डिया को बोलने की अनुमति दी है आपको नहीं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। हम उड़ीसा के निवासी हैं। आज हुआ यह है ....

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया था ...

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा क्योंकि मैंने श्री किंडिया को बोलने का अवसर दे दिया है।

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग): अध्यक्ष महोदय, देश में विद्रोह प्रभावित राज्यों में से एक राज्य मेघालय, जिसका लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा और मैं प्रतिनिधित्व करते हैं, में पिछले सात दिन से अभूतपूर्व व्यापक सुरक्षा जांच अभियान चल रहा है। इस अभियान की कमान सेना के हाथ में है और मुझे पता चला है कि इस कार्य में 8,000 जवानों को लगाया गया है। विद्रोह का कारण मेघालय के मध्य में बहुत अधिक संख्या में घुसपैठ करके आए हुए वे विद्रोही हैं जिनकी निष्ठा बांगलादेश के बहुत से गैर कानूनी विद्रोही गुटों से है।

वास्तव में सुरक्षा कर्मियों द्वारा संदिग्ध आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारने, गोला-बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने की अनेक घटनाएं हुई हैं। यह इसका एक पहलू है। गैर सरकारी रिपोर्टों में यह बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी.आर. किन्डिया : पहली बात यह है कि कई असैनिक बस्तियों की मोर्चाबन्दी और घेराव किया गया है। लोगों की आवाजाही पर काफी प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बहुत अधिक परेशान किया जा रहा है और उस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है प्रेसवालों को उसकी सूचना देने की अनुमति नहीं है।

मेघालय के शांतिप्रिय लोगों के मन में भय व्याप्त है। यदि विद्रोह की यह स्थिति जारी रहती है तो बहुत लम्बे समय तक लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा और जान माल की क्षति होती रहेगी।

मेरा एक मात्र अनुरोध यह है कि माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज पूर्वोत्तर के दौरे पर जाने वाले हैं। मैं वास्तव में उनसे मुलाकात करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेघालय जाएं और वहां पर जो कुछ हो रहा उसे स्वयं देखें। वहां पर बहुत अधिक भय का वातावरण है और इससे देश में लोगों का जीवन प्रभावित होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की बात बताना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप ऐसे बार-बार उठेंगी तो मैं चांस नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी जगहों पर बैठ जाइए। मैं फिर आपको अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य की बातों के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: भारतीय पटसन निगम संकट में है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बाद में अवसर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: भारतीय पटसन निगम देश के दो लाख से अधिक पटसन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराता है। भारतीय पटसन निगम उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है जिनके लिए इसका गठन किया गया है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय पटसन निगम को आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं करा रही है जिससे वह बाजार में आकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जूट उत्पादकों से सीधे ही जूट की खरीद कर सके ताकि पटसन उत्पादकों को अपना पटसन अफरातफरी में कम मूल्य पर बेचने की आवश्यकता न पड़े। पिछले वर्ष भी उत्पादन अच्छा हुआ था और भारतीय पटसन निगम पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध नहीं करा सका था और यह पटसन उत्पादकों से पटसन की खरीद नहीं कर सका था। इसके परिणामस्वरूप देश के दो लाख पटसन उत्पादकों को अपना उत्पाद निजी पटसन मिलों को बहुत ही कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि भारतीय पटसन निगम ने एक सरकारी उपक्रम नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन को पटसन की आपूर्ति की है। नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ने भारतीय पटसन निगम को 36 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। चूंकि नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन को सरकार से बजटीय सहायता नहीं मिल रही है इसलिए नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन भारतीय पटसन निगम को अदायगी करने की स्थिति में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, जे.सी.आई. में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा दो लाख जूट उत्पादक और 1700 कर्मचारी कष्ट झेल रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय कपड़ा मंत्री यहां मौजूद हैं। जूट कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना जिस महान उद्देश्य को लेकर हुई थी, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। अगले सीजन में जूट कारपोरेशन आफ इंडिया बाजार में सक्रिय हो जाएगा, अत: हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे देश में जो जूट ग्रोअर्स हैं उनको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, इसका आप बंदोबस्त करें।

दूसरे, एन.जे.एम.सी. का सात जून का जो 63 करोड़ रुपया बकाया है, वह जल्दी से जल्दी जे.सी.आई. को देने की व्यवस्था करें, यह हमारा कपड़ा मंत्री जी से आग्रह है। इसके ऊपर हाउस में थोड़ा आश्वासन दे दें क्योंकि दो लाख जूट ग्रोअर्स का मामला है और कारपोरेशन के 1700 कर्मचारी जे.सी.आई. के साथ जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम): अध्यक्ष महोदय, अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे एक मिनट के लिए ध्यान दें।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में किसानों को अकसर चक्रवात से होने वाले हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की बात नहीं कर रहा। परन्तु मैं एक ऐसे विशिष्ट मामले का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें कि छोटे किसानों की भूमि कटाव के कारण बह रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कृत्तिवेन्नु मंडल के चिन्नागोल्लापालेम गांव में निरन्तर समुद्री कटाव के कारण भूमि कटाव हो रहा है। वहां पर ऐसे छोटे किसान जिन के पास एक या दो एकड़ भूमि है, वे उस पर नारियल की खेती करते हैं। ये पेड़ बीस से चालीस साल पुराने हैं, इससे किसानों को 20,000 रु. प्रति एकड़ की आमदनी होती है। भूमि कटाव के कारण, उनकी आजीविका का साधन समाप्त हो रहा है।

मैंने दस वर्ष पहले सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया था। मेरा प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि किसानों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि ऐसी कोई संस्था है जहां शिकायत करने पर समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। मंत्रालय भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस समस्या को इस सदन, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाए जाने के बाद भी अगर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संसद सदस्यों की भूमिका निरर्थक हो जाती है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि एक शिष्टमण्डल अथवा अधिकारियों की एक समिति तत्काल वहां भेज कर सर्वेक्षण करवायें और इस समस्या का समाधान करें। इसके उपरांत वे कुछ उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित कर भूमि कटाव की समस्या से त्रस्त किसानों को राहत दिलाएं।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, डनलप इंडिया लिमिटेड 60 वर्षों से टायर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। इसकी दो इकाईयां हैं। एक पश्चिम बंगाल में और दूसरी तमिलनाडु में। फरवरी के पहले या दूसरे, सप्ताह से दोनों ही इकाईयों को बन्द कर दिया गया है। इसे तकनीकी तौर पर 'कार्य निलंबन' करार दिया गया है। इस टायर कंपनी का नियंत्रण एक दुबई स्थित अनिवासी भारतीय के हाथों है जो शॉ वालेस कंपनी को भी नियंत्रित करता है। मैंने पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मैंने लगातार सदन का भी ध्यान इस अनिवासी भारतीय अध्यक्ष द्वारा कंपनी निधि को व्यवस्थित और नियमित ढंग से विदेश ले

जाने की ओर आकर्षित किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही इस अनिवासी भारतीय अध्यक्ष के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मगर दुबई के साथ प्रत्यार्पण संधि न होने के कारण इस अपराधी को इंटरपोल की सहायता से भारत नहीं लाया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री को इस त्रुटि की ओर ध्यान देना होगा। ऐसा हुआ है।

वित्तीय संस्थाओं की भूमिका भी बहुत आपत्तिजनक है। जैसा कि आपको पता है कि डनलप इंडिया का 44 प्रतिशत नियंत्रण दुबई स्थित अनिवासी भारतीय श्री मनु छाबड़िया के हाथों में है और 33 प्रतिशत नियंत्रण वित्तीय संस्थाओं के हाथों में है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: यह अनिवासी भारतीय, मुख्यमंत्री के बेटे श्री चंदन बसु के अच्छे मित्र हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मेरे पास समय का अभाव है नहीं तो मैं इन नए सांसद को पूरी जानकारी देता। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इन्हें बताता कि उनकी नीतियों के परिणामस्वरूप ही यह स्थिति उत्पन्न हुई ...*(व्यवधान)* मैं विषय पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री रूपचंद पाल: जैसा कि मैं कुछ रहा था, 33 प्रतिशत नियंत्रण वित्तीय संस्थाओं द्वारा होता है। जब हम सब चुनाव में व्यस्त थे तो 12 जनवरी को कंपनी ने एक बैठक की जिसमें वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मनोनीत व्यक्ति उपस्थित नहीं था।

उसकी अनुपस्थिति में कंपनी को बी.आई.एफ.आर. के विचारार्थ भेजने का फैसला किया गया। हालांकि छः माह पहले तुलन पत्र में मुनाफा दिखाया गया था। मगर कंपनी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मनोनीत निदेशक में आपसी सांठ-गांठ थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस मामले को बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया। कंपनी में लूट मची है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री को बताना चाहता हूं कि इससे करीब एक लाख लोग प्रभावित होंगे और दोनों इकाईयों के 10,000 कर्मचारी कष्ट झेल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। अभी अन्य सांसदों को भी बोलना है। आपको नए संसद सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य सभी को इस संबंध में बार-बार लिख रहे हैं. अतः मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करूंगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें दुबई के साथ प्रत्यार्पण संधि करनी चाहिए जिससे कि उन अपराधियों को भारत वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके और इन इकाईयों को बचाया जा सके।

डा. असीम बाला (नवद्वीप): महोदय, पश्चिम बंगाल में गगा नदी द्वारा भूमि कटाव से, विशेषकर फरक्का से हलदिया तक, लोगों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाके शामिल हैं जैसे नवद्वीप, मायापुरी, स्वरूपगंज, चारभ्रमहंगुर, निटिसिंहापुर, मोथीदंगा, तारापुर, नवपारा, साहेबदौगा, साराहाटी, चोरसाराहाती, गंगामनोहरपुर, झाजिरा, अलिपुर, शिखारीपुर, चरमादुसुदानपुर आदि। ये सब इलाके सर्वाधिक प्रभावित हैं। यहां तक कि स्कूल भवन, बड़े पक्के मकान, कच्चे मकान, सड़कें और कृषि भूमि तक को गंगा लील गई है। यह एक गंभीर समस्या है। राज्य सरकार धनराशि की कमी के कारण प्रभावी उपाय नहीं कर सकती है। मैं केन्द्र सरकार से मामले की जांच करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे लोग बुरी तरह प्रभावित हुए है। मैं सरकार से इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेने का आग्रह करता हूं।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान मरियानी बाइपास नामक उत्तर सीमांत रेल की परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय संसद सदस्य, स्थानीय विधायक तथा स्थानीय नेताओं से बिना विचार विमर्श किए विकसित की जा रही है। वास्तव में, मरियानी नागालैंड का प्रवेश द्वार है तथा असम तथा नागालैंड जैसे राज्यों की सेवा करने वाला एक प्रमुख रेल मार्ग होने के कारण नागालैड के माननीय सदस्य से तथा नागालैंड सरकार से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। यह परियोजना सैंकड़ों साल पुराने मरियानी शहर को समाप्त कर देगा जो व्यावसायिक गतिविधियों तथा उच्च शिक्षा का केन्द्र है।

यदि इस परियोजना को लागू किया गया तो यह शहर धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। हम रेल मंत्रालय से यह चाहते हैं कि तब तक के लिए इस परियोजना को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। रेल अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों से इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए तथा परियोजना में संशोधन करना चाहिए। हम समूची परियोजना को समाप्त कर देने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस परियोजना का संशोधन हो। मुझे आशा है कि सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप लोगों को पता है देश में हथकरघा तथा बुनाई उद्योग में लगे बुनकरों की संख्या देश में कृषि क्षेत्र में शामिल लोगों से कुछ ही कम है। बुनकर समुदाय पूरे देश में ऋण से ग्रस्त है। जहां कृषक वर्ग के लोगों का 10,000 रु. तक का ऋण सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है वही ऐसा लाभ गरीब हथकरघा बुनकरों को नहीं दिया गया।

मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह देश भर के गरीब बुनकरों की स्थिति पर विचार करे तथा देश के कृषक समुदाय के समतुल्य उनके ऋण माफ करने पर निर्णय ले।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): अध्यक्ष महोदय, रबर के मूल्य में तेजी से गिरावट के कारण केरल में अभूतपूर्व आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। लगभग 8,38,000 कृषक हमारे राज्य में इस की खेती करते हैं तथा वह हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है। रबर बोर्ड के माध्यम से तथा केन्द्र सरकार की पर्याप्त सहायता द्वारा केरल में विकसित की गई थी। पहले, जब भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती थी, जब भी रबर का मूल्य गिरता था, तब केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करती थी। लेकिन वह सब विगत की बात है।

अब यह तेजी से गिरावट कई कारणों से आई है तथा इसके मुख्य कारण हैं आयात में उदारीकरण, प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबर विशेष रूप से पालीपूरेथन तथा रबर टायर का आयात। इन सबों ने मिलकर सम्मिलित रूप से इस प्रक्रिया को जन्म दिया है।

अतएव महोदय, केन्द्र सरकार से यह मेरी हार्दिक अनुनय है कि रबर उत्पादकों के हित को बचाने के लिए वे तुरंत हस्तक्षेप करें क्योंकि केरल को अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। वहां पर यह गंभीर परिस्थिति है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सी. गोपाल बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, कृपया एक मिनट।

यह पूरे केरल राज्य को प्रभावित कर रहा है। केरल दुविधा वाली स्थिति में है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। और, यह सब रबर के कारण हो रहा है तथा भारत सरकार इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। कृषक, विशेषरूप से वे जिनके पास केवल दो से तीन एकड़ रबर की खेती है उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतएव मैं भारत सरकार से तथा विशेषरूप से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था, गरीब लोगों तथा केरल के कृषक वर्ग को प्रभावित कर रही है।

अतएव रबर कृषकों को बचाया जाना चाहिए तथा उचित कदम उठाए जाने चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री सी. गोपाल *(अर्कोनम): अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्कोनम* में तमिलनाडु इस्पात संयंत्र के हजारों श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

महोदय, इस संबंध में अखिल भारतीय अन्ना डी.एम.के., डी.एम.के., सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम) तथा कांग्रेस सदस्यों सहित सभी मजदूर संघों के नेताओं की सहायता से वहाँ स्थित इस्पात संयंत्रों के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए तथा सभी दलों के लोगों की सहायता से अर्कोनम शहर में कई आन्दोलन चलाए। उन्होंने 'बंद' का भी आयोजन किया।

लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उद्योग सचिव तथा तमिलनाडु के श्रम मंत्री को दिए गए अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद मुझे दुखपूर्वक कहना पड़ता है कि कुछ भी नहीं किया गया। ये सभी प्रयास विफल हो गए। गत सात महीनों से, श्रमिक समस्या के कारण, हजारों श्रमिक भोजन के अभाव में भूखों मर रहे हैं।

अतएव, इस संबंध में, मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री को मामले की जांच करने हेतु उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब प्रयासों के बावजूद, तमिलनाडु के उस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने 1997 के आवेदन संख्या 3 के अंतर्गत 25.9.97 की अस्थायी छंटनी याचिका प्रस्तुत की तथा बाद में इसे वापस ले लिया। तथा, दूसरी बार, उस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने छंटनी आवेदन प्रस्तुत की। उन्होंने इसे भी वापस ले लिया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री सी. गोपाल कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप जानते हैं कि आज हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है।

श्री सी. गोपाल: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उस समय, उन्होंने लंबा चौड़ा आवेदन भी दाखिल किया था। और उन्होंने 8.3.1997 को 748 स्थायी श्रमिकों तथा 300 ठेका श्रमिकों को बिना समुचित सूचना दिए गैर कानूनी आधारों पर निकाल दिया।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात भी और दिलाना चाहता हूं कि जब बोकारो इस्पात संयंत्र में इस प्रकार की समस्या

खड़ी हुई थी तो केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया और उस इस्पात संयंत्र को आधुनिकीकरण के लिए 2200 करोड़ रुपया देकर सहायता की।

इस स्थिति में, भूख से मर रहे पांच हजार परिवारों की समस्याओं को सुलझाने के बदले मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि की नेतृत्व वाली माननीय तमिलनाडु सरकार असहाय हो गई है। वे इस्पात संयंत्रों को बंद कर देना चाहते हैं। वे गरीब लोगों की सहायता नहीं करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको इन सब बातों को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री सी. गोपाल: मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय श्रम मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हस्तक्षेप करने और गरीब श्रमिकों की समस्याओं का हल करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, जहां ओलावृष्टि से करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हुई है, मवेशी मारे गए हैं और एक बड़े भू-भाग में हजारों-लाखों किसान बर्बाद हो गये हैं। मुझे अफसोस होता है कि इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री जी की ओर से इस सदन में कई जिक्र नहीं किया गया है। राहत पहुंचाने की बात तो दूर की है, इस पर कोई दुख भी प्रकट नहीं किया गया है। वहां की भाजपा सरकार से किसानों को कोई सहायता मिलने की आशा नहीं है क्योंकि वहां की सरकार का किसानों से सहयोग करने का कोई रवैया नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती हूं कि वहां के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोई घोषणा करें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जो राशि दी जाए वह क्षतिग्रस्त किसानों तक पहुंचे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: जीवित बचे लोगों के असान्त्वनीय रुदन के बीच उड़ीसा में राज्य के चक्रवात से प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्य बिल्कुल ही सन्तोषप्रद नहीं हैं। आपने सभा को ठीक ही याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि वह एक पूरा वक्तव्य देंगे तथा सदन को सूचित करेंगे। लेकिन आज सत्र का अंतिम दिन है। अतएव मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के चक्रवात से प्रभावित गांवों की स्थिति से सदन को अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही यह कह दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: हजारों घर ध्वस्त हो गए हैं। उसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं है। भारत सरकार को चक्रवात में ध्वस्त हुए उन घरों, स्कूल के भवनों और सार्वजनिक संस्थानों के पुनर्निर्माण हेतु पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। अब पेयजल की समस्या भी अत्यन्त गंभीर समस्या है। यहां पेयजल बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। सरकार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसकी तत्काल आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री यहां सौभाग्यवश उपस्थित हैं। हम लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं और चक्रवात से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा किए गये उपायों के बारे में प्रधानमंत्री एक पूर्ण वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (उत्तर मध्य मुम्बई): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की सस्तूर तहसील के उमरगा गांव में एक 14 साल की दलित लड़की को चूल्हे में जलाकर मार दिया गया है। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी अगर ऐसा होता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके राज में दलितों की रक्षा होगी या नहीं। जिन लोगों ने यह गलत काम किया है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि देश के दलितों की रक्षा करने के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो इस देश में दलितों का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की रक्षा होने वाली है या नहीं। चौदह साल की इस लड़की को जलाकर मार देना बहुत खतरनाक बात है।

मेरी इस सदन के सभी सदस्यों से अपील है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए वे प्रयत्न करें। यह राष्ट्रीय हित का सवाल है। दलितों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं सदन से अपील करता हूं कि वह दलितों की रक्षा के लिए कदम उठाए और उनके साथ न्याय करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): मैंने नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सिर्फ बालू को बोलने की अनुमति दी है।

श्री टी.आर. बालू: कल मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*। जब माननीय सदस्य, श्री सी. श्रीनिवासन बोल रहे थे, माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू, आपका प्रश्न क्या है?

श्री टी.आर. बालू: उन्होंने तमिल में कुछ कहा था जो निन्दनीय और अशोभनीय है। इससे आपको पहले ही अवगत करा दिया गया है। मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, श्री माधवराव सिंधिया आप कृपया आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अमैंडमेंट मूव करने का नोटिस दिया है, इसलिए मुझे इस पर बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप कैसे अपना संशोधन रख सकते हैं? वाद-विवाद अभी भी चल रहा है। अब आप अपना संशोधन नहीं रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने सिर्फ सिंधिया को भाषण देने की अनुमति दी है।

अपराह्न 12.10 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 के आम चुनाव सम्पन्न हो गए हैं और 12वीं लोक सभा गठित हो चुकी है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है और इस बात की हमें प्रसन्नता है कि यह साबित हो गया है कि हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र की जड़ें पूर्ण रूप से मजबूत हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि 1996 में दो साल के अन्दर एक नहीं, दो नहीं, तीन सरकारें परिवर्तित हुईं। वह भी पूर्ण शालीनता और शांति से। इस बात को सोचता हूं तो इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यहां लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से शक्तिशाली है और भारत का जन-जन इस प्रणाली में विश्वास रखता है, यह हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। लेकिन इस बात को समझते हुए, हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि हमें पिछले कुछ चुनावों में बार-बार विभाजित जनादेश क्यों प्राप्त हो रहा है? क्या हममें कोई कमी है या व्यक्तिगत रूप से पार्टी में या राष्ट्र के नेताओं में कोई दोष है? मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें विचार करना होगा क्योंकि हमारा राष्ट्र पिछले पांच हजार वर्षों से व्यापकता का प्रतीक रहा है।

हमने बार-बार यह देखा है कि इस विभाजित जनादेश में व्यापकता के स्थान पर कुछ संकीर्णता दिखाई दे रही है। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल को इस पर विचार करना होगा क्योंकि एक कारण यह हो सकता है कि जनमत और वोट बटोरने के लक्ष्य से कभी-कभी राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण संकीर्ण होता जा रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव आम जनता में भी थोड़ा-थोड़ा फैलता जा रहा है।

आज विश्व में बहुत भारी परिवर्तन आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। उस तेज प्रक्रिया में विश्व के किसी भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही साथ अगर यह संकीर्ण विचारधारा राष्ट्र भर में धीरे-धीरे फैले तो जो विषय हमारे राष्ट्र की कार्यसूची पर होना चाहिए, जो हमारे मन और मस्तिष्क में होना चाहिए वह प्रमुख और महत्वपूर्ण एजेण्डा कभी-कभी नजरंदाज हो जाता है। हमारा एजेण्डा होना चाहिए कि जो सामाजिक क्रांति हम इस राष्ट्र में लाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय हम कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, सर्वहारा वर्ग को प्रमुखता देते हुए व्यापक आर्थिक विकास राष्ट्र में लाना चाहते हैं, वह सोशल रिवोल्यूशन और इकोनौमिक रिवोल्यूशन, हमारे एजेण्डा पर, अपना मत व्यक्त करते समय होना चाहिए। हम क्षेत्र की बात करेंगे, हम भाषा की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, इसके लिए हम सब दोषी हैं कि व्यापकता की जगह पर एक संकीर्ण राष्ट्र सोच पैदा करने का पूरा प्रयास करके क्यों आप और हम गिरते जा रहे हैं। भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो अधिवेशन हुआ था, संगमा जी उसके अध्यक्ष थे। उसमें हम सबने एक संकल्प लिया कि आज राजनीतिक दलों को संकीर्ण बातों से ऊपर उठना होगा क्योंकि इतनी तेज प्रक्रिया विश्व में चल रही है अन्यथा हम मीलों पीछे रह जायेंगे। अब जनरेशन गैप 20 वर्षों का या 15 वर्षों का नहीं रह गया है। अब जनरेशन गैप दो-तीन वर्षों का रह जाता है। आज हमारे नौजवान किस तरह से सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता का कितनी तेजी से विकास हुआ है, जब हम कालेज में थे, स्कूल में थे, उसकी

तुलना में इस बात को समझते हुए हमें यह संकल्प लेना होगा जैसे 50वीं वर्षगांठ पर हम सबने इस संसद भवन में बैठकर संकल्प लिया था कि हम छोटी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, वही संकल्प आज हमें लेना पड़ेगा। अगर सबने साथ साथ संकल्प नहीं लिया तो निश्चित रूप से एक प्रलोभन होता है कि हम भी इस जातिवाद में, इस क्षेत्रीयवाद में, इस भाषावाद में, इस धार्मिक प्रतियोगिता में भागीदार हो जाएं क्योंकि कीमती वोट जा रहे हैं।

आज नेतृत्व कसौटी पर है। आज वह चुनौती नेतृत्व के सामने है चाहे वह उस तरफ का नेतृत्व हो चाहे इस तरफ का नेतृत्व हो। आज हमको यह मानना पड़ेगा कि जनादेश किसी को भी प्राप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 179 सीटें मिलीं, कांग्रेस पार्टी को 141 सीटें मिली पर पूरे देश में वोट हमें अधिक प्राप्त हुए हैं। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि अंततोगत्वा जो गिनती हमको संसद में दिखती हैं उसे हमें स्वीकारना होगा। आज जो जनादेश है, उस जनादेश के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग उभरे हैं और नम्रता के साथ हमें उस ज़नादेश को स्वीकारना होगा। हमें इसमें कोई हिचक नहीं है।

मुझे याद है 1989 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगभग 200 सीटें मिली थीं। उन चुनावों में सबसे विशाल दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी पर राजीव गांधी ने कहा कि क्योंकि हमको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जोड़-तोड़ की राजनीति करके ऐसा लगता है कि हम एक स्थिर सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जब राष्ट्रपति ने उनको बुलाया तो उन्होंने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। राष्ट्रपति ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुलाया और भारतीय जनता पार्टी ने तरह-तरह के तरीके अपनाकर अपना बहुमत सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की। मैं उसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता। मात्र आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सत्तारुढ़ दल और विपक्षी दल लोकतंत्र के दो पहलू हैं। कभी किसी को सत्तारुढ़ दल में बैठना पड़ता है और किसी को विपक्ष में। हम सबको यह स्वीकारना होगा कि दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस नम्रता के साथ यह स्पष्ट करना चाहती है कि हम उस जिम्मेदार विपक्षी दल का रोल अदा करने में कोई संकोच नहीं करते, हमको कोई हिचक नहीं है। उस जनादेश को स्वीकारते हुए हम इस संसद में कार्य करना चाहते हैं तथा आप और हम मिलकर इस संसद में एक नया स्तर कायम करें यही मेरा आप सबसे निवेदन है। ऐसा न होने से राष्ट्र का बहुत नुकसान हो सकता है।

नेशनल एजेण्डा फौर गवर्नेन्स, जिसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुई, इसके बारे में मैं मात्र यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ कहा गया है, जो-जो मुद्दे प्रधानमंत्री और सरकार ने उठाए हैं, उनमें से अधिकांश पर, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसमें ऐसे कई सार्वजनिक मुद्दे हैं जो कमजोर वर्ग, महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जो दलित वर्ग और आदिवासियों को प्रभावित करते हैं, जो हमारी अर्थ नीति को प्रभावित करते हैं, जो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति को प्रभावित करते हैं मगर वे दुर्भाग्य से हमारी माइनौरिटीज को प्रभावित नहीं करते। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इसमें जो अधिकांश बातें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आपने काफी अभ्यास और अध्ययन करके हमारे कांग्रेस मेनीफेस्टो से ही ली हैं। इस बारे में हमें बहुत प्रसन्नता है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जैसा मैंने कहा अधिकांश मुद्दों की अभिव्यक्ति बहुत सामान्य टर्म्स में हुई है। अभी बजट सत्र आने वाला है। बारीकी से उस बजट में हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से आप उन मुद्दों को क्रियान्वित करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं कही गई, जो जनता की बात है, उस बारे में आप जानते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में पूरी तरह से उल्लेख है।

मुझे समझ में नहीं आता कि इस बारे में इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है। एकता में अनेकता यह हमारे राष्ट्र का मूल मंत्र है। ...*(व्यवधान)* एकता में भी अनेकता और अनेकता में भी एकता। आपकी मनोवृत्ति क्या है, यह उस पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी परिभाषा अपनाते हो, दोनों बातें एक ही हैं।

[अनुवाद]

अनेकता में एकता और एकता में अनेकता हमारा दर्शन है।

[हिन्दी]

आज जो लोग डिमांड करते रहते हैं कि यूनीफोर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता हो, जो हमारा सिविल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, वे समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, पर राष्ट्र में जो विभिन्नता है, अनेकता है, इसके साथ जो मोजेक है, अगर हम उसे मान्यता नहीं देंगे तो हम एकता का गला घोंट देंगे। अगर हम एकता को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो अनेकता को हमें मान्यता देनी होगी, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह क्षेत्रीय हो, चाहे वह जाति पर आधारित हो, चाहे भाषा हो और इसीलिए जहां तक पर्सनल लॉ का सवाल है, सिर्फ वही पर्सनल आस्पेक्ट है जिसे पर्सनल लॉ वाले कोड में मान्यता दी गई है और इसी की झलक हम आर्टिकल 370 में देखते हैं। हमारे राष्ट्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। आप बार-बार आर्टिकल 370 पर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं। इसका मकसद क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या आर्टिकल 370 से आगे बढ़ते हुए, आप आर्टिकल 371 को भी छूने वाले हैं। आर्टिकल 371 में (ए) से लेकर (आई) तक

[श्री माधवराव सिंधिया]

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन सबकी विशेष परिस्थितियां, इनके कस्टम्स, इनकी दूसरी बातों को मान्यता दी गई है। आर्टिकल 370 पर आक्रमण का लौजिक यही होगा कि आप आर्टिकल 371 पर भी आक्रमण करेंगे। आप इन बातों को क्यों छू रहे हो? हम राष्ट्र में शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक कोने-कोने में रहने वाला प्रत्येक जन अपने आपको राष्ट्र में शामिल महसूस करें। अयोध्या के बारे में भी आपने पूरी तरह से अमल त्याग दिया है, परंतु आपके घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"भारतीय जनता पार्टी राम जन्मस्थान, अयोध्या में एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराने को प्रतिबद्ध है जहां मंदिर का एक अस्थायी ढांचा पहले से विद्यमान है।"

[हिन्दी]

इसमें आर्टिकल 30 के बारे में भी मेंशन है। जहां पर कुछ शिक्षण संस्थाओं की, जो धर्म विशेष के अंतर्गत चलती हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, इन सब बातों के बारे में जो मेंशन किया जा रहा है, जो आपके मैनिफेस्टो में उल्लेख किया जा रहा है, यह उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु हम असमंजस में हैं कि विश्वास करें या न करें। क्योंकि आपके लीडर्स के अलग-अलग स्टेटमैंट्स निकलते रहते हैं। श्री सुन्दर सिंह भण्डारी आपके वरिष्ठ नेता हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने पार्टी के रूप में भा.ज.पा. और गठबंधन की नेता भाजपा के बीच अन्तर करने की चेष्टा की है।

[हिन्दी]

अब यह बहुत फाइन सोफिस्टीकेटिड डिस्टिंक्शन चल रही है, यह हमें समझ में नहीं आती।

[अनुवाद]

उन्होंने टी.वी. साक्षात्कार में कहा है कि भाजपा मंदिर के निर्माण, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के विलोपन और समान नागरिक संहिता अपनाने की मांग जारी रखेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार गठबंधन के सदस्यों द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय एजेन्डा का पालन करेगी। अत: इसका अर्थ है कि निर्णय लेने के दो स्तर हैं।

[हिन्दी]

बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। आगे आपके मदन दास जी, जो आर.एस.एस. के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग और काशी व मथुरा के दावे छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।"

[हिन्दी]

अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि या तो आपने ड्राप कर दिया या नहीं किया। अगर आपने इस बात को मात्र रणनीति के कारण स्थगित कर दिया है तो भविष्य के लिए यह बहुत खतरनाक बात हो सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रणनीति यह हो सकती है कि अभी आपने 17 और दलों को अपने साथ मिलाकर कोएलीशन बनाया है। ...*(व्यवधान)* तो यह हो सकता है कि उनको मिलाकर आपने यह कोएलीशन गवर्नमेंट बनाई है। परंतु मुझे एक तरह से विश्वास हो रहा है। प्रमुख लक्ष्य यह है कि धीरे-धीरे हम इन दलों को भविष्य में अगर आपकी सरकार एक-दो वर्ष चली तो इसमें पचा लिया जायेगा और पचाकर ...(व्यवधान) हमारी कांग्रेस से तो वहां भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस से निकलकर आये हैं। यह एक विडम्बना है कि आप सरकार में बैठे हैं। मैं सोचता हूं कि कम से कम इस बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब इन मामलों को हम नहीं उठायेंगे। राष्ट्र पटल पर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं और इसीलिए वे हमारी प्रायोरिटी आइटम है। इन बातों को अब आप भविष्य में नहीं छुएंगे। हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया आप हमें स्वागत करने का मौका दीजिए। यही मेरी आपसे हार्दिक अपील है। मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता ये हमारे राष्ट्र का मूल मंत्र है और ये चारों बातें यूनीफार्म सिविल कोड, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, अयोध्या का धार्मिक मसला और आर्टिकल 30 ये सब हमारी अनेकता से संबंधित हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारे दिल में कुछ शंकाएं पैदा होती हैं। अभी कांफीडेंस वोट के समय रिमोट कंट्रोल की बात आई। निश्चित रूप से हमारे मन में कुछ शंका है कि आपका रिमोट कंट्रोल नागपुर से है। मैं सोचता हूं कि अगर आपके इरादे साफ हैं तो हो सकता है कि दो-तीन साल में यह बात साफ हो जाए। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा भी कुछ ऐसे लेख और इंटरव्यूज आये हैं उससे भी कभी-कभी वह असमंजस बढ़ जाती है। आपने जो एक लेख लिखा है जो आर्गेनाइजर में छपा था और उसके बाद फिर वह वेबसाइट में भी आया।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सामूहिक विचारधारा को भी बदल देता है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यही भाषा हमने 1930 में जर्मनी में भी सुनी थी और इसीलिए यह स्वाभाविक है। मैं नहीं कहता कि यही आपके इरादे हैं, पर हमारे दिल में यह शंका है। यह आपने ही लिखा है।

[अनुवाद]

"यह सामूहिक विचारधारा भी बदल देता है। यही रा.स्व.सं. की नीतियों की विशेषता है। हमारी आध्यात्मिक परम्परा में व्यक्ति महान ऊँचाई तक पहुँच सकता है। किन्तु समाज का क्या हो? कोई सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में नहीं सोचता। इसके बारे में रा.स्व. संघ ने सोचा और निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों को बदलकर हम समाज को बदल देंगे।"

[हिन्दी]

उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में भी कुछ विवरण है। उसके विस्तार में जाकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कांग्रेस के ऊपर भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया गया है और फिर आप इस बात को कहते हैं—

[अनुवाद]

"अयोध्या की घटना असल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए प्रतिक्रिया थी। हम इस समस्या को बातचीत और कानून के जरिये हल करना चाहते थे लेकिन 'बुराई' के लिए कोई 'पुरस्कार' नहीं था। हम बुराई को 'परिष्कार से भी हटाते हैं। अब, मैं सोचता हूं कि हिन्दू समाज का पुनरुद्धार हुआ है जो कि रा. स्व. संघ का प्रमुख कार्य था। पहले हिन्दू लोग आक्रमण के सामने झुक जाते थे पर अब ऐसा नहीं है। हिन्दू समाज का यह परिवर्तन स्वागत योग्य है।

रा. स्व. संघ के साथ मेरे दीर्घकालिक संबंध का सीधा सा कारण यह है कि मुझे संघ पसंद है। मुझे उसकी विचारधारा पसंद है और सबसे अधिक मुझे रा. स्व. संघ का लोगों के प्रति और एक दूसरे के प्रति रवैया पसंद है जो केवल रा. स्व. संघ में ही मिलता है।"

[हिन्दी]

अब यह अटल जी लिख रहे हैं:—

[अनुवाद]

"देखिए, रा. स्व. संघ में कितना जीवन्त संबंध और भ्रातृभाव है। असल में संघ हमारा परिवार है। हम सब एक हैं।"

[हिन्दी]

अब इससे यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार का अंदेशा होता है। अब मैं ये सब बातें पूरी तरह से मान नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी कथनी और करनी में हमने पिछले दिनों बहुत अन्तर देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दें क्योंकि हमारे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं और आप हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि ऐसी शंकाएं हमारे मन में क्यों पैदा हो रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने अभी अपनी बात शुरू नहीं की है। क्या मैं कुछ और समय ले सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: कांग्रेस पार्टी के लिए केवल सात मिनट बचे हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक मुद्दों का सवाल उठाया गया है, इसमें बहुत असमंजस है। तरह-तरह के मंत्री अलग-अलग आवाजों में बोल रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है। जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिस तरह से पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें दो-दो दिन लग गए जो असमंजसपूर्ण स्थिति है। निश्चितरूप से जब पिछले दिनों हम अटल जी के टी.वी. पर दर्शन करते थे, तो उनका चेहरा बहुत ही गंभीर दिखाई देता था। अटल जी का जो चेहरा सदाबहार और खुशनजर लगता था, उसकी जगह पर उनके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएं हमने पिछले दिनों देखी जो चिन्ता का विषय है और चूंकि मैं ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरा चिन्तित होना स्वाभाविक है और ग्वालियर की जनता अपने को चिन्तित महसूस करें यह अस्वाभाविक नहीं है। आपने इसमें हैल्थ, एजूकेशन के बारे में कहा है।

[अनुवाद]

सबके लिए शिक्षा, आवास, पेयजल, भोजन और रोजगार। यह सबके लिए निःशुल्क है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसमें हर एक बात का वर्णन किया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें, तो इनका कार्यान्वयन कैसे होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे

[श्री माधवराव सिंधिया]

देश में हर बात की बुनियाद शिक्षा है और हमारे राष्ट्र में अभी सिर्फ 52 प्रतिशत साक्षर हैं। इसलिए निश्चितरूप से शिक्षा पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय वर्ष 1991-96 में घोषणा की थी कि जी.डी.पी. का छ: प्रतिशत सन् 2002 तक शिक्षा पर खर्च करेंगे और इस बात का संकल्प मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाते बीजिंग कांफ्रेंस और बाली कांफ्रेंस में भी दोहराया था। निश्चितरूप से यह एक ऐसा लक्ष्य जिसकी पूर्ति हम सबको करनी चाहिए, लेकिन आपको दिक्कत आने वाली है क्योंकि 40 प्रतिशत बजट केन्द्र से आता है।

[अनुवाद]

शिक्षा बजट के साठ प्रतिशत का उत्तरदायित्व राज्यों का है।

[हिन्दी]

और स्टेट्स को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अत: मेरा सुझाव है कि जब तक आप प्रदेशों का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक यह कार्य नहीं हो पाएगा और प्रदेशों का सहयोग मिलना कभी-कभी कठिन हो जाता है। यह मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप योजना आयोग को ऐसे आदेश दें कि जब वह एनुअल प्लान बनाता है तब यदि प्रदेश सरकार छ: प्रतिशत फेज प्रोग्राम के रूप में प्लान बनाकर भारत सरकार के योजना आयोग को प्रस्तुत न करें तब तक एनुअल प्लान को स्वीकार न करें। ऐसा करना अनिवार्य है।

[अनुवाद]

> "सकल घरेलू उत्पाद का छ: प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किये जाने के निमित्त अगले तीन या चार वर्षों के लिए आपको एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा।"

[हिन्दी]

क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र में 6 वर्ष से 14 वर्ष के लगभग साढ़े सोलह करोड़ बालक हैं जिनमें से 13 करोड़ बालक स्कूल में जाते हैं। जहां तक टोटल लिट्रेसी केम्पेन का सवाल है, जिसमें 15 से लेकर 35 वर्ष का जो टारगेट ग्रुप है, उसमें 11.5 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 5 करोड़ लोग शिक्षित हैं। यह एक बहुत भारी चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि स्टेट को साथ लेकर, अनिवार्यता का मापदंड बनाते हुए इस लक्ष्य की ओर हमको आगे बढ़ना होगा।

इसी प्रकार आपने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात की है। कांग्रेस ने सदैव इस बात की पहल की है। श्री राजीव *गांधी जी ने 73वें और 74वें अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको स्थापित किया था और हम चाहते हैं कि यह संसद और विधान सभाओं* में भी स्थापित हो। हमने इसका कभी भी विरोध नहीं किया। पिछली पार्लियामेंट में भी कांग्रेस बार-बार कहती रही कि आप जल्द ही लेजिस्लेशन लेकर आइये। हम इसका पूरा समर्थन करने वाले हैं। परन्तु कुछ मामलों पर जिन लोगों ने इसका भारी विरोध किया, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप इन मामलों को सुलझाकर जल्द से जल्द यह लेजिस्लेशन पास करायें।

अध्यक्ष महोदय, पापुलेशन का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपने उठाया है। ग्रामीण प्रगति के बारे में आपने जो घोषणा की है, उसके बारे में कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में 40 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किये थे। आप भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बड़े हर्ष की बात है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपने ब्रीफली उल्लेख किया है। शैड्यूल्ड कास्ट्स पालिसी के बारे में हमें विस्तार से मालूम होना चाहिए। मुम्बई में आपकी और शिवसेना की गवर्नमैंट ने शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर भयंकर फायरिंग की थी जिसमें कई लोग मारे गये थे। यह बात हम आसानी से नहीं भूल सकते। जहां तक शैडयूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, कल मैं हक्का बक्का रह गया जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश निकाले कि:

[अनुवाद]

> "दिल्ली में जनजातियों के लिए आरक्षण समाप्त होना चाहिए।"

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल्स राष्ट्र के सबसे पुरानी निवासी हैं। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं गरीबी है तो वह हमारे आदिवासी भाई और बहनों में हैं। यह हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि जो कुछ व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां ...*(व्यवधान)* आप ट्राइबल्स के बारे में सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं। मैंने आपसे अपील की है ...*(व्यवधान)* एक नया वातावरण बनाने का प्रयास करें। ...*(व्यवधान)*

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां ट्राइबल एरियाज़ में होती हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ट्राइबल्स भाई और बहनों के ऊपर होना चाहिए। यह कनेक्शन हरेक प्लान में हमें देखना होगा। लैंड और वन उपज के ऊपर भी उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखने होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जो आज एक है, दोनों की जो आवश्यकतायें हैं, वह भिन्न हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन अपनी जगह होना चाहिए और उसको

महत्व मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ अलग से शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बनना चाहिए ताकि शैड्यूल्ड ट्राइबल्स पर भी फोकस किया जा सके और लोगों का ध्यान उस ओर केन्द्रित किया जा सके।

नार्थ ईस्ट रिजिन के बारे में मुझे बहुत आश्चर्य है क्योंकि न तो राष्ट्रपति अभिभाषण में और न नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में इसका कोई उल्लेख है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे बहुत दूरदराज के इलाके हैं। अभी हमारे किन्डिया साहब कह रहे थे कि मेघालय में भयंकर आर्मी का ऑपरेशन हुआ है। यदि वह कहीं हमारे नजदीक होता तो आज पार्लियामेंट में हल्ला हो जाता। हजारों किलोमीटर दूर है। वे हमारे भाई-बहन हैं। उनको यह महसूस होना चाहिए कि हम राष्ट्र की मुख्यधारा में हैं। अगर उनको इस तरह से नजरअंदाज किया जाए कि आज की सरकार उनके बारे में न नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में उल्लेख करे, न राष्ट्रपति के अभिभाषण में करे, तो यह बड़ी निराशा की बात है। इससे उनका बहुत मनोबल गिरता है।

मैं स्वदेशी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे कुछ साथी उसके बारे में बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मेरा प्रश्न नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधवराव सिंधिया ने इस बात का उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को पूरी तरह से नजर अन्दाज किया गया है, परन्तु महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में एक रिपोर्ट में जिसमें माननीय संसद सदस्य ने ....*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: कृपया, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। *(व्यवधान)* ... योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई *(व्यवधान)*... योजना आयोग के उपाध्यक्ष को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की देखभाल के लिए मनोनीत किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंधिया जी, यह व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं आपकी अनुमति से सिर्फ दो मिनट का समय और लूंगा। मैं केवल रक्षा संबंधी बात करना चाहूंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी चर्चा करना मैं भूल गया था।

[हिन्दी]

आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, मिलिट्री सैनिक बल की बात की। हमारे उपमहाद्वीप, विशेषकर पड़ोसी देशों में डिफैंस की दृष्टि से, मिलिट्री की दृष्टि से जो गतिविधियां चल रही हैं, उनको मद्देनजर रखे बिना हम वैक्यूम में कार्य नहीं कर सकते। इन बातों को हमें देखना होगा। यह बहुत चिन्ता की बात है कि नवाज शरीफ साहब जब कुछ महीने पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, अभी शायद उसको दोहराते नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के तत्पश्चात् उन्होंने एक वक्तव्य दिया था।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के पास बम-है, इसके पास परमाणु क्षमता है।

[हिन्दी]

यह बहुत चिन्ता का विषय है और क्योंकि यह ऊंचे स्तर का विषय है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में बारीकी से जानकारी लेने का प्रयास करें। हमें उस जानकारी के स्रोत नहीं हैं और उचित भी नहीं है कि हमको होने चाहिए। कांग्रेस का भी इसमें एक स्टैंड है। इन सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि परमाणु शक्ति पर रिव्यू होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र और नेशनल एजेण्डा में जो कहा है, वह आप बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक और गंभीर विषय है। इसमें आपने कहा—

[अनुवाद]

हम परमाणु क्षमता के विकल्प खुले रखेंगे।

[हिन्दी]

मैं यही निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से इस पर चिंतन करिए, पुनर्विचार करिए और रिव्यू करिए। इसे आप ही कर सकते हैं, डिफैंस मिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि हमको नहीं मालूम कि वस्तुस्थिति क्या है। उसके बाद आप निर्णय लें। लेकिन इसके बारे में जल्दबाजी न करें।

जहां तक मिसाइल्स का सवाल है, हमारे इर्द-गिर्द पाकिस्तान में चीन के एम 9 और 11 मिसाइल्स तैनात हैं। जो हट्फ-3 की एक्सपैरीमेंटेशन स्टेज से आगे बढ़कर उसे विकसित करने में वहां लगे हैं। इसके अलावा चीन के 55 ग्रुप के मिसाइल्स हमारे उत्तर पूर्व इलाके में हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है जिसे हमें ध्यान

[श्री माधवराव सिंधिया]

में रखना होगा। हम डा. अबुल कलाम की तारीफ करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं। उनके साथ जो वैज्ञानिकों की टीम थी, जिन्होंने पृथ्वी और अग्नि की कैपेबिलिटी हनमें बढ़ाई, निश्चित रूप से हमें अग्नि के संबंध में भी विस्तार से विचार करना होगा।

हमारी सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे। इसके लिए सेना का मनोबल भी उठाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसी कमियां हैं, उनको हमें दूर करना पड़ेगा। और वह तब होगा जब हम मनोबल मजबूत कर सकेंगे। सेना में आप प्रोमोशनल औपरचुनैटी देखें, जो लेफ्टीमेंट जनरल बनते हैं, उनका प्रतिशत सिर्फ 0.1 है। उसी की बराबरी का रैंक पुलिस में है और वहां 0.6 प्रतिशत तक लोग इस स्तर पर पहुंचते हैं, यानि छः गुना ज्यादा। इसी के बराबर का रैंक जो आई.ए.एस. में है, वहां इस स्तर तक सात प्रतिशत तक लोग पहुंचते हैं। इस पर आपको और रक्षा मंत्री को ध्यान देना होगा। यहां मैं यह बात भी रखना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग की बात उठी, हमारी मांग है कि डिफेंस सर्विसेज के लिए एक अलग वेतन आयोग बनाया जाए। क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी वर्किंग प्राब्लम्स अलग हैं और उनकी वर्किंग कंडीशंस अलग हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया। मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज हम चाहते हैं कि राष्ट्र में कई बार डुअल डिसीजन मेकिंग के कारण जो असमंजस की परिस्थिति पैदा होती है, उसे दूर किया जाए। जैसा मैंने कहा हमारे मंत्रिमंडल में कई लोग अलग-अलग आवाज से बात करते हैं। हमारे कई साथी वन डे मैच के आल राउंडर हैं। सुषमा जी को ऐसा लगता है कि हरेक विषय पर उन्हीं को बोलना है, क्योंकि वे बी.जे.पी. की स्पोक्सपर्सन रही हैं, लेकिन संसद में तो स्पोक्सपर्सन नहीं हैं। जार्ज फर्नांडीज हमारे परम मित्र हैं, पर वे हमेशा लिट्टे और तिब्बत पर बात करेंगे, इसके बिना उनसे रहा नहीं जाता। हमारे आदरणीय पंडित जोशी जी से भी रहा नहीं जाता। वे शायद वित्त मंत्री बनना चाहते थे, कभी-कभी भूल जाते हैं कि वे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अभी-अभी मैंने दूरदर्शन पर उनको स्वदेशी पर घोषणाएं करते हुए सुना। हमारे यशवंत सिन्हा जी बेचारे काफी कुछ असमंजस में होंगे। इसी तरह से हमारे सम्माननीय सुब्रयमण्यम स्वामी हैं, जो टीम में नहीं हैं, पर टीम के बाहर रहकर भी आल-राउंडर हैं। हरेक चीज पर वे घोषणाएं करते रहते हैं। इसलिए इस असमंजस की स्थिति को दूर करें।

अटल जी, अभी आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है। उनके साथ हमारे टैस्ट मैच की श्रृंखला समाप्त हुई है और वन डे की शुरू होने वाली है। आस्ट्रेलिया की वन डे टीम के कप्तान स्टीव वॉ हैं और पांच दिवसीय मैचों के कप्तान मार्क टेलर थे, दोनों टीमों के अलग-अलग कप्तान हैं। ऐसा न हो कि यहां वन डे के लिए आप कप्तान हों और भविष्य में आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए लोग पांच दिवसीय मैच की, अगर सम्भावना दिखे, जो हमें कम दिखायी देती है, वे ही कप्तानी न उठा लें। मैं भी ग्वालियर का हूं इसलिए आपके प्रति चिंता महसूस करता हूं।

अंत में मैं आपके द्वारा दिए हुए इसी सदन में 28 मई, 1996 के भाषण का एक अंश कोट करना चाहता हूं, जब आपने यहां त्याग पत्र देते हुए कहा था। उस समय आपने कहा था–

> "अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके सरकार में आना या बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथ से कभी नहीं होगा, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।"

इसके बाद आया उत्तर प्रदेश, उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आया स्पीकर का चुनाव और उसमें आपका व्यवहार। मैं उस पर यहां ज्यादा नहीं कहना चाहता कि अच्छा था या बुरा था, लेकिन जो व्यवहार था, उसे आप और हम सब जानते हैं। इसलिए आप अपने भाषण में जिन विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनको क्रियान्वित भी करें, यही मेरी आपसे हार्दिक अपील है क्योंकि इसी कारण असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्या आप हस्तक्षेप करना चाहेंगे? इसे मध्याह्न भोजनावकाश के बाद भी जारी रखा जायेगा। आप अपना भाषण अभी शुरू करते हुए इसे मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् भी जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघेः अध्यक्ष महोदय, विदर्भ के बारे में बी.जे.पी. के एजेंडा में था। ...*(व्यवधान)* पूरे विदर्भ की जनता ...*(व्यवधान)* लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विदर्भ का उल्लेख नहीं है, उसके बारे में आडवाणी जी कुछ तो बात करें। ...*(व्यवधान)* जो पैरा 28 में लिखा था, वह हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* जब उत्तराखंड, वनांचल और छत्तीसगढ़ की बात हुई है, हमारा निवेदन है कि विदर्भ का भी कुछ जिक्र किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, बोलने के लिए खड़े हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आज कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इन बातों का खंडन करने हेतु समय मिलेगा। कृपया बैठ जाईये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आम चुनाव जो अभी-अभी समाप्त हुआ है और जिसके बाद यह लोक सभा गठित हुई है, वह एक प्रकार से स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वैसे 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से लेकर मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूं और 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर आज तक के सभी चुनावों में एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता के नाते, या कभी-कभी एक प्रत्याशी के नाते मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी पूरा हुआ यह चुनाव हिन्दुस्तान की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ देता है। मुझे स्मरण है कि 1966 तक कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को केन्द्र और राज्य दोनों में कोई चुनौती दे नहीं पाता था। 1966 में पहली बार कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई थी और जिसे संविद सरकार कहते हैं, वे सरकारें बनी। लेकिन केन्द्र में उसका आधिपत्य 1977 तक बना रहा। *1977 में पहली बार केन्द्र में भी कांग्रेस* पार्टी पराजित हुई। जनता पार्टी की सरकार आई। 1977 के बाद 1980, 1984, 1989, 1991, 1996 और फिर 1998 के चुनाव हुए। इन चुनावों में कई बार हमने सत्ता परिवर्तन देखा। दो बार कांग्रेस पार्टी 1980 और 1991 में वापस आई। शेष बार कोई न कोई गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। मैं इनकी तुलना करता हूं तो मुझे दिखायी देता है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह 1977 में हुआ।

अपराह्न 1.00 बजे

1980 में हुआ या फिर 1989 में हुआ या 1991 में हुआ या 1996 में हुआ—इन सभी बार जो निर्णायक परिवर्तन हुआ, वह एक नेगेटिव वोट के कारण हुआ। इमरजेंसी के कारण कांग्रेस पार्टी हार गई। वह परिवर्तन कोई इसलिए नहीं हुआ कि जनता पार्टी को लोगों ने पसन्द किया, वह इसलिए हुआ कि इमरजेंसी को नापसन्द किया। इसीलिए परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से 1980 में जनता पार्टी की झगड़ेबाजी को लोगों ने नापसन्द किया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वापिस आ गई। 1991 में भी कोई पोजिटिव समर्थन था, जिसके आधार पर जनता दल की सरकार बन गई, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। बोफोर्स का काण्ड हुआ और उस बोफोर्स के काण्ड के कारण देश में एक शोक पैदा हुआ कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और एक नेगेटिव वोट के आधार पर परिवर्तन हुआ। मेरी मान्यता है कि 1998 का पहला चुनाव है)—यूं तो हर चुनाव में निर्णय करते हुए नेगेटिव-पोजिटिव दोनों अंश होते हैं—और इस चुनाव में नेगेटिव अंश बहुत कम था और एसेंशियरल पोजिटिव वोट के आधार पर यह सरकार बनी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी, आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: *माननीय सभापति जी, मैंने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, विगत वर्षों में हुए चुनावों का उल्लेख करते हुए अपनी बात आरम्भ की थी। यद्यपि 1977 और 1998 के बीच में 21 साल ही बीते हैं, इन 21 सालों में* लोकसभा के छः आम चुनाव हुए। इनमें मैंने जैसे बताया कि बाकी सब चुनावों में कोई न कोई निर्णायक मुद्दा, कोई नकारात्मक मुद्दा रहा, कोई नेगेटिव इश्यू रहा, जिसके आधार पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन इस बार कोई भी यदि विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि हां, कुछ नाराजगियां थीं। पिछली सरकार जिस प्रकार से दो बार 18 महीनों में बदली, देश पर चुनाव अनावश्यक रूप से लादा गया, उसके कारण नाराजगी थी। लेकिन प्रमुख रूप से जो वातावरण था, वह यह था कि पिछली बार वाजपेयी जी की सरकार केवल 13 दिनों के लिए बनी और बाकी सब पार्टियों ने, जिन्होंने यद्यपि कांग्रेस के विरोध के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता था, उन सब ने कांग्रेस से मिलकर 13 दिन की सरकार गिरा दी, यह उचित नहीं हुआ। इसीलिए वाजपेयी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर देना चाहिए।

यह सम्भवतः एक स्थिर सरकार दे सकें। मैं मानता हूं कि इस बार का वोट मुख्यतः एक सकारात्मक वोट था, सुशासन के लिए वोट था, क्योंकि स्थिर सरकार स्वयं में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। पांच साल सरकार चले, यह कोई गुण नहीं है। गुण अगर कोई है तो तब है ज़ब स्थिरता से सुशासन मिलता है, अच्छा राज्य मिलता है, जनता की सेवा और कल्याण होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महाराष्ट्र और राजस्थान का भी बताइये, वहां क्या सुशासन है यह भी बताइये। वहां तो आपका शासन है।

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सुशासन के लिए पोजीटिव वोट था और वर्षों बाद ऐसी पार्टियों का गठबंधन जब मैदान में उतरा तो जो चीज शायद 1977 में थोड़ी मात्रा में हुई थी, इतनी स्पष्ट मात्रा में नहीं हुई थी, इस बार 1998 न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जितने सहयोगी दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस का हमारे साथ सीटों का तालमेल था, लेकिन सभी शेष पार्टियां जो इस गठबंधन का हिस्सा थीं, उन्होंने चुनाव लड़ते हुए इस बात पर बल दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री पद के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। यह कोलीशन की दिशा में एक बहुत बड़ी प्रगति है। कोलीशन, मिलीजुली सरकार की एक संस्कृति होती है और इस संस्कृति के विकास की दिशा में वह बहुत महत्वपूर्ण कदम था। मुझे और भी खुशी होती अगर हम अपना नेशनल एजेंडा भी चुनाव से पहले प्रकाशित कर पाते। हमने इतना ही किया कि इस बार अपने-अपने मैनिफैस्टो पर चुनाव लड़ लें लेकिन अपनी शपथ-विधि से पहले हम नेशनल एजेंडा प्रकाशित करेंगे। संयुक्त मोर्चा की सरकार ऐसा नहीं कर पाई। संयुक्त मोर्चा की सरकार अचानक बनी थी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, उस कांग्रेस को भी अपने में शामिल करके संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई। उसके बनने के 8-10-12 दिन बाद घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जिसे वे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं। मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों को मिली-जुली सरकार की संस्कृति को समझना होगा, उसकी मर्यादाओं को स्वीकारना होगा और अगर हम स्वीकार करेंगे तो जितनी बहस यहां दो-तीन दिनों में हुई, पहले विश्वास प्रस्ताव पर और आज इस प्रस्ताव पर कि आपके मैनिफेस्टो में यह लिखा है, या आपके नेशनल एजेंडा में यह क्यों नहीं है, नेशनल एजेंडा में यह इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग इस पर सहमत नहीं हैं। नेशनल एजेंडा में वही बात आ सकती है जिस पर हम सब लोग सहमत हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि समता पार्टी या ए.आई.ए.डी.एम.के. का अपना-अपना मैनिफेस्टो है, जिनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। इसी तरह से उनको भी अधिकार है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी की सब बातों से सहमत न हों। लेकिन हमें सरकार चलाते हुए यह जो शासन का राष्ट्रीय एजेंडा है उसी पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि यह एजेंडा उसका प्रारूप, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तैयार किया है और ड्राफ्ट तैयार करते हुए हमने स्वयं इस बात की चिंता की कि किस-किस बात से बाकी लोग असहमत हो सकते हैं और जिन बातों पर असहमति हो सकती है उनको हमने ड्राफ्ट में भी नहीं लिखा। मुझे याद है कि जब नेशनल एजेंडा को कंसीडर करने के लिए पहली बैठक हुई थी, उसमें मैंने स्वयं कहा था कि मिली-जुली सरकारों की संस्कृति का एक हिस्सा यह है कि एक-एक पार्टी इस बात को पहचाने कि जो चीज मुझे प्रिय है, हो सकता है जिस के कारण सार्वजनिक जीवन में मेरी लोकप्रियता हुई है, मेरा प्रभाव बढ़ा है, अगर वह चीज मिली-जुली सरकार में बाकी पार्टियों को स्वीकार्य नहीं हैं तो हम यह समझ कर चलें कि इस सरकार के माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा के लोग बैठे थे। वहां की दोनों सरकारों के साथ हम जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों में है। अगर ये सरकारें सोचें कि हमारा पानी और चंडीगढ़ के बारे में जो दृष्टिकोण है, हम उसे इस सरकार के माध्यम से कार्यान्वित करेंगे तो मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं होगा। हां, यह बात अलग है कि हम मिल-बैठ कर कोई तरीका निकाल लें जिसके

आधार पर सहमति हो जाए। यह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मिली-जुली सरकारों के स्वरूप को, उनकी मर्यादाओं को, उनकी सीमाओं को समझ कर चलें, यह बहुत जरूरी है। हम इन चीजों को समझ कर चले, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई।

मांधवराव सिंधिया जी कह रहे थे, आपने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ले लिया। बहुत अच्छी बात है। अगर हमने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ले लिया है तो इस सरकार के मन में जो बात आम सहमति से मिलकर कार्यान्वित करने की है, इसे करने में और सुविधा होगी। यह बहुत खुशी की बात है। मैं मानता हूं कि आम सहमति को थ्योरी में लाना कठिन बात नहीं है, उसको व्यवहार में कार्यान्वित करना कठिन है। उसके अलग-अलग पहलू होते हैं। उन पर विचार करना पड़ेगा। उन पर इसलिए विचार करना जरूरी होता है, जैसा मैंने कहा कि यह एक निर्णायक मोड़ है। ऐसा इसलिए भी कहा है कि 1950 में हमने संविधान स्वीकार किया, 1952 में जब हिन्दुस्तान में पहले आम चुनाव हुए, तब से हिन्दुस्तान की राजनीति का जो रूप था, उसके लिए विश्व भर के राजनैतिक विशेषज्ञ हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं।

[अनुवाद]

यह एकदलीय आधिपत्यवादी राजनीति है।

[हिन्दी]

यह एक पार्टी, एक दलीय आधिपत्यवादी राजनीति है। इंग्लैंड में दो पार्टियों के बीच ऑल्टरनेट होता रहता है। अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है, वहां राष्ट्रपति प्रणाली है। वहां दो प्रमुख पार्टियां हैं। उनके बीच संघर्ष चलता रहता है। वहां सत्ता उन्हीं के बीच में बदलती रहती है। संविधान सभा की बहस में लोगों ने बार-बार इस बात को प्रकट किया और हम आशा करते हैं कि कालांतर में हिन्दुस्तान में भी टू पार्टी पॉलिटी डैवलप हो जाएगी। मैं आज की चुनाव प्रणाली में बहुत दोष पाता हूं। मैं मानता हूं कि कई दोष इस प्रणाली के कारण हैं जिसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और मैजोरिटी सिस्टम ऑफ इलैक्शन कहते हैं। इसे स्वीकार करते हुए एक मान्यता यह थी कि इसके कारण धीरे-धीरे टू पार्टी सिस्टम इवौल्व हो जाएगा लेकिन वह हुआ नहीं। इसकी 1996 में नींव पड़ गई लेकिन 1998 के चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि टू पार्टी सिस्टम तो डैवलप नहीं हुआ लेकिन राजनीति का ध्रुव स्थिर हो गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजनीति के दो ध्रुव बन गए हैं।

[हिन्दी]

पहले कांग्रेस पार्टी सिंगल डौमिनैंट पार्टी थी। सिंगल डौमिनैंट पार्टी स्ट्रक्चर में, 1990 के दशक में, वैसे तो यह 1977 से शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आती रही। इस गिरावट के कारण वैक्यूम पैदा हो गया। उसे भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ी।

शायद ही लोकतंत्र के इतिहास में किसी एक पार्टी ने इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति की होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने इस दशक में की है। ...*(व्यवधान)* मैं उस पर भी आ रहा हूं लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि—

[अनुवाद]

यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक प्रगति हुई है, तथापि हमारी प्रगति दर कांग्रेस के ह्रास दर के बराबर नहीं हो सकी है।

श्री दत्ता मेघे: यह एक अस्थायी चरण है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा हो सकता है। जो भी हो, मुझे कहना ही है। मैं आज की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं आज की बात कर रहा हूं, आज का विश्लेषण कर रहा हूं और उसमें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे असाधारण प्रगति की है इस दशक में, लेकिन हमारी इस प्रगति की गति आपके पराभव की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए आपको कहना पड़ा, संगमा साहब ने कहा कि पिछली लोक सभा में अगर इतने दल थे तो आज चालीस दल हो गए क्योंकि प्रकृति की ही तरह राजनीति भी रिक्तता को पसंद नहीं करती। वह वैक्यूम हमेशा भर जाता है। कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं भरेगी तो कोई क्षेत्रीय पार्टी भरेगी, लेकिन इसमें भी मैं जो गुण देख रहा हूं वह यह कि यद्यपि दो पार्टी सिस्टम नहीं है लेकिन दो स्थिर ध्रुव जरूर हैं। मैं मार्क्सवादी पार्टियों को वर्षों से एक वैचारिक ध्रुव मानता हूं—छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन है, लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी एक ध्रुव है और भारतीय जनता पार्टी दूसरा ध्रुव है। यह जो लगभग बराबर का विभाजन आज हुआ है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए जैसा हमारे चिदम्बरम जी कह रहे थे, संगमा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि यह विभाजन बिल्कुल बीच का है, ऐसा विभाजन इससे पहले नहीं हुआ। हमेशा स्विंग होता था कि इस तरह चले गए या उस तरफ चले गए। तमिलनाडु में आज भी स्विंग होता है जो पुरानी प्रवृत्ति है। एक तरफ हो जाता है या दूसरी तरफ हो जाता है। इस बार मैं सोचता था कि शायद वहां पर भी आधा-आधा विभाजन हो जाएगा, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

दूसरी तरफ स्विंग हो गया। इन दृष्टियों से भी हमारे ऊपर दायित्व आता है। लेकिन इन दिनों में जब भी कभी हमारी सरकार की ओर से सहमति की राजनीति की चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि चूंकि इस लोक सभा का स्वरूप ऐसा है, इसलिए ये ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए वे सहमति की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी ने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जो बात कही थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी कि देश में कोई भी सरकार अगर सुशासन देना चाहती है, सुशासन से हमारा अभिप्राय यह है कि देश के आम नागरिक को, देश की सीमाओं को सुरक्षा देना, प्रशासन में शुचिता लाना, समाज में समरसता लाना और आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन और स्वदेशी का भाव बलवान करना, ये जो सुशासन के लक्षण हैं, वे तब तक नहीं आ सकते, चाहे उसको दो-तिहाई बहुमत मिल जाए, जब तक वह इन महत्वपूर्ण बिषयों पर आम सहमति पैदा नहीं करते। इसलिए उन्होंने यह शब्द सही कहा कि दो-तिहाई बहुमत भी सरकार के पास हो, तब भी हिन्दुस्तान में सुशासन तब तक संभव नहीं होगा जब तक आज की परिस्थिति में देश आम सहमति की ओर न बढ़े। मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जिस समय पार्टियों के घोषणापत्र बनते हैं, उस समय अपेक्षा यह होती है और हमारी यहां पर भी अपेक्षा थी कि हम तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, 300 से आगे जाएंगे, 350 या 400 तक पहुंचेंगे और कुछ राज्यों में अगर हमें धक्का न पहुंचता तो हम 300 से ऊपर भी आ सकते थे। कुल मिलाकर देश का जो वातावरण है, उसके बाद भी हमने अपने घोषणापत्र में एक अलग चैप्टर इस बात पर रखा जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि—

[अनुवाद]

"सहमति बनाना राष्ट्र निर्माण का एक आवश्यक अंग है।"

यह पूरा चैप्टर है—

"राष्ट्रीय सहमति की नई संस्कृति की ओर: चूंकि निर्माण, राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण अंग है, राष्ट्र के व्यापक हित में सहयोग हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्तम्भ रहा है।"

यह किसी एक पार्टी का नहीं है।

"भारत की स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक विकास के कई विनाशकारी पहलुओं में से एक टकराववादी और नकारात्मक राजनीति का विकास है। भा.ज.पा. विश्वास करती है कि यहां के बहुदलीय लोकतंत्र में सत्तारुढ़ और विपक्षी दलों के बीच रचनात्मक बातचीत परामर्श और सहयोग न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है। यह और भी अनिवार्य हो गया है क्योंकि आज भारत के सम्मुख जो प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका प्रभावी हल राष्ट्रीय सहमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है।"

[हिन्दी]

हम इस बात को इसलिए भी बोल देते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं, खासकर हमारी मार्क्सवादी पार्टी के लोगों से, कि 1996 में आपने जिस प्रकार की राजनीति को बहुत जोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी भी उसमें उलझ गई, वह पोलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी कभी देश का भला नहीं करेगी। पोलिटिक्स ऑफ नेगेटिव अनटचेबिलिटी कभी देश का भला नहीं करेगी। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन हमें उन दिनों का स्मरण है जब भारतीय जनसंघ बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन फिर भी एक बार 1967 में किसी मिली जुली सरकार का हिस्सा बिहार में बन गई। मुझे याद है कि उसके बाद भारतीय जनसंघ का एक अधिवेशन कालीकट में हुआ था। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय थे, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जितना विचार या चिन्तन होता है, उनके चिन्तन, आचरण और व्यवहार से तथा उनके मूल्यों से ही हम प्रेरणा लेते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, उसमें कुछ प्रतिनिधियों ने खड़े होकर बहुत आलोचना की थी कि यह जनसंघ को क्या हो गया है। बिहार की सरकार में सम्मिलित हो गए, वह भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, आप भी उसमें शामिल हो गए? यह क्या किया? बहुत बड़ी गलती की है। कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर आप कैसे सरकार में शामिल हो सकते हैं, यह हमको समझ में नहीं आता। यह बात आपत्ति उठाकर कई प्रतिनिधियों ने कही थी और मुझे याद है कि तब पं. दीनदयाल उपाध्याय ने उस सारी बहस का उत्तर देते हुए जो बात कही थी— उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह बहुत विडंबना है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता गलत मानी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसको कहा जाता है कि वह गलत काम कर रहा है, यह दुराचरण कर रहा है, लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में माना जाता है कि अगर इस प्रकार की अस्पृश्यता का व्यवहार आप नहीं करेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम जनसंघ के अपने साथियों को कहूंगा कि चाहे जो स्थिति आए, आपके चाहे जितने मतभेद हों किसी पार्टी से, आप कभी अस्पृश्यकता का व्यवहार किसी पार्टी के प्रति न करें। यही मेरी आपको सलाह होगी और इसी कारण हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय सहमति की नई संस्कृति की ओर"

[हिन्दी]

की बात कही है। हमने स्पेसेफिकली उसमें तीन बातें रखी हैं।

[अनुवाद]

"हमारी पार्टी और सरकार विशेष तौर पर निम्नलिखित बातें करेगी:-

(1) हम लोग किसी भी पार्टी के प्रति राजनीतिक अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं करेंगे।"

[हिन्दी]

मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर हम आम सहमति के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं तो यह हमारी तात्कालिक रणनीति नहीं है। यह हमारे लिए निष्ठा का विषय है कि हिन्दुस्तान को अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई पार्टी चलाना चाहे, कोई सरकार चलाना चाहे, देश की समस्याएं हल करना चाहे तो वह समस्याएं हल नहीं कर सकता। मैं हिन्दू-मुसलमान की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं उसका भी जिक्र करूंगा लेकिन मैं कम्युनिस्टों को ऐड्रेस करके इस बात का जिक्र खास तौर पर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कम्यूनिस्टों की एक मजबूरी है कि पचास साल तक उन्होंने जो सारी प्रगति की है वह इसी आधार पर की है कि किसी न किसी शक्ति को, किसी न किसी तत्व को एक प्रकार का दैत्य बनाकर उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म एक डैमोन है।

उनकी जो डेमनोलॉजी है, उसी के आधार पर वे अपनी सारी विचारधारा की, अपने सारे तत्व की प्रगति करते हैं। अचानक जब वे सारे डेमोन लुप्त हो गये, गायब हो गये और कोई डेमोन जब नहीं मिलता तो संघ परिवार ही सही, कोई नहीं मिला तो बी.जे.पी. ही सही, कोई और नहीं मिला तो हिन्दुत्व ही सही, उसे एक डेमोन कहकर, उसके आधार पर आप प्रगति करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि यह एक संयोग हुआ कि जिस दिन वाजपेयी जी ने शपथ ली, हम लोगों ने भी शपथ ली।

श्री अनिल बसु: यह भी एक गलत विचार है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे खुशी होगी कि जो मुझे अनुभव हुए हैं, उनका उल्लेख मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): कई हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ममता जी उनको ज्यादा जानती हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब 19 तारीख को प्रात:काल वाजपेयी जी ने शपथ ली और हम लोग उनके सहयोगियों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसी दिन शाम को हमें दुखद समाचार मिला कि श्री ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद का निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): निधन की चर्चा है, अब तो बैठ जाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: रात्रि को श्री वाजपेयी जी ने मुझे कहा कि सरकार की ओर से वहां जाकर हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, कोई जाना चाहिए। दूसरे दिन मैं तिरुअनंतपुरम गया, तो कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ होगा लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं। अगर मैं सरकार में न भी होता और मेरे लिए संभव होता, तो भी मैं जरूर जाता। मुझे याद है यहां जब श्री भूपेश गुप्त का निधन हुआ था, मैंने यहां पर जो बात कही थी, मुझे लगा कि यह राज्य सभा के जीवन के अध्याय का अंत है। क्योंकि भूपेश गुप्त जी का राज्य सभा में जो स्थान था, वैसा और किसी का नहीं था, इसलिए मैंने वह बातें वहां पर कहीं। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में विचारधारा का बहुत महत्व है और इसलिए विचारधारा के बारे में कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं उसे स्वीकार करता हूं।

अयोध्या, धारा 370 और समान नागरिक संहिता का जहां तक सवाल है, मैं इन सबसे कहता हूं कि समान नागरिक संहिता केवल भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में ही नहीं लिखी हुई है, वह भारत के संविधान में लिखी हुई है, इसे कभी मत भूलो। भारत के संविधान में लिखी होने के कारण जो भी सरकार आती है उसे कितनी बार सुप्रीम कोर्ट याद दिलाती है कि समान नागरिक संहिता के बारे में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, बताइये। विचारधारा से उद्भूत जितने सारे विषय हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या कोई और हो, कभी अपोलोजेटिक अनुभव नहीं करता, लेकिन हम अगर कोई मिली-जुली सरकार बनाते हैं तो वह मिली-जुली सरकार ईमानदारी से बनाते हैं और जब हम जनता के सामने जाकर कहते हैं तो गुप्त रूप से कोई एक चीज करे और बाहर से कुछ और चीज करें, इस प्रकार की प्रकृति इस प्रकार के संस्कार हमारे नहीं हैं। इसीलिए कल जब गुरू जी की पुस्तक के बारे में कहा तो मुझे जो बात कहनी थी वह मैंने कह दी। वाजपेयी जी ने जब ये सारे सवाल पूछे तो उनका भी साफ-साफ उत्तर दे दिया। हां, आप जो बार-बार रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं उसके संदर्भ में मैं एक बात कहता हूं जो मैंने एक बार केरल में कही थी, जब मार्कसिस्टों ने इस बात की आलोचना की थी कि वाजपेयी जी और आडवाणी नागपुर में फलां शिविर में क्यों गये थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिविर में क्यों गये थे। तब मैंने मार्कसिस्टों से कहा था कि इसे कभी मत भूलो कि हिंदुस्तान में जब पंडित नेहरू की सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके गृह मंत्री थे, पंडित जी और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भी आवश्यकता समझते

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

थे महात्मा गांधी से जाकर सलाह करते थे। उसमें कभी उनको संकोच नहीं होता था जबकि महात्मा गांधी सरकार में नहीं थे। क्या वे हमारे रिमोट कंट्रोल हैं जो हमें कंट्रोल करेंगे। ... *(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।

सभापति महोदय: श्री तोपदार और श्री बालू, वह आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं नहीं मान रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच): महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के हत्यारे दोनों बराबर हो गये। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, हमें खुद सरकार में रहने का मौका मिला। यह आज दूसरा मौका है। लेकिन केन्द्रीय सरकार में हम उस समय भी आये थे जब मोरार जी भाई हमारे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। मैं सरकार में था। मुझे ऐसे अनेक अवसर याद हैं कि जब हम पटना जाकर जय प्रकाश जी से सलाह करते थे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता कि जय प्रकाश जी हमें रिमोट से कंट्रोल करते थे। जय प्रकाश जी कभी कंट्रोल नहीं करते थे। महात्मा गांधी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइये।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): यदि आप अपना वक्तव्य बीच में रोकें तो मैं एक मिनट लूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल तथ्य बतला रहा हूं। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ...*(व्यवधान)* मैंने सभी टिप्पणियां सुनी हैं। मैं उन्हें समझ सकता हूं। क्या की गई विभिन्न टिप्पणियां सही हैं? आप महात्मा गांधी की हत्या की बात कहते हैं। क्या इसी तरीके से आप वाद-विवाद करने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं आपसे कहता हूं जिस समय कोई महात्मा गांधी के असेसिनेशन की बात करता है तो मुझे लगता है।

[अनुवाद]

वह हमारी बात का अंत होता है।

[हिन्दी]

आपके पास मैंने देखा है, पूरी बहस कोई भी कर ले, बड़े से बड़ा हथियार अगर कोई है या तो महात्मा गांधी की हत्या ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं एक बात कह रहा हूं कि इस सरकार का नियंत्रण कोई और एजेन्सी नहीं करने वाली है ...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा और आपकी बारी आएगी। आप अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं ...*(व्यवधान)* यह केवल मेरी बात के समर्थन में है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति महोदय, महात्मा गांधी की हत्या कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): वह दो चीजों की तुलना कर रहे हैं। दो वक्तव्य देकर वह लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। परसों माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा उन्होंने बिल्कुल उसके विपरीत कह दिया है। यह सही नहीं है। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं। मुझे याद है कि 1977 में कभी-कभी दोहरी मैम्बरशिप की बात करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आलोचना की जाती थी। कहा जाता था वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे हैं, आडवाणी बहुत अच्छे हैं, फलां बहुत अच्छे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान नहीं डालें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ इनके संबंध खराब हैं। मैंने तब भी कहा था आज फिर से इस सदन में दोहराता हूं। मैं मानता हूं मैं सार्वजनिक जीवन में उनसे बाद में आया, राजनीति में तो बहुत बाद में आया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक मैं 14 वर्ष की उम्र में बना। मैंने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा की जो शिक्षा पाई वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से पाई है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक राजनीतिक विषयों के विश्लेषण का सवाल है वह लोकतंत्र की शिक्षा मैंने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पाई। उनसे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का शानदार समन्वय पाकर पहले भारतीय जनसंघ के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी निष्ठा हैं उसी विचारधारा के कारण, कुल मिलाकर, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पिछले वर्षों में बढ़ता गया है।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहता हूं कि जहां विचारधारा का महत्व है, उसके साथ-साथ आदर्शवाद का भी महत्व है, आइडियौलौजी का भी महत्व है। ...*(व्यवधान)* हां, जातिवाद का भी महत्व है, जिन्होंने योगदान किया है, वे अन्तरमुखी होकर देखें कि कितना योगदान किया है। आदर्शवाद और विचारधारा दोनों का अपना-अपना महत्व है। हमारी सरकार तो अभी बनी है, लेकिन मैंने तीन महीने पहले एक इंटरव्यू देते हुए कहा था-

[अनुवाद]

शासन के एक बड़े हिस्से को विचारधारा से कोई मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

जिस समय यह नेशनल एजेंडा तैयार किया गया, उस समय हम मानकर चले कि जितने हमारे सहयोगी दल हैं, वे हमारी आइडियौलौजी में विश्वास नहीं करते इसलिए ड्राफ्ट ऐसा बनाया जो नान-आइडियौलौजीकल हो, ऐसा हो कि जिसके बारे में सब लोग सहमत हों और जिसको सब पार्टियां कार्यान्वित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, 1996 में लोगों ने मंदिर के नाम पर वोट दिया होगा, 1991 में राम के नाम पर वोट दिया होगा, बोफोर्स के नाम पर वोट दिया होगा, लेकिन इस बार देश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है फिर चाहे हमारे साथ समता पार्टी हो, अकाली दल हो, पी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के, हरियाणा विकास पार्टी हो, शिव सेना हो, सबको इसलिए समर्थन दिया गया है, ताकि हम सब लोग मिलकर एक सुशासन दे सकेंगे, एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर देश को दे सकें। बहुत वर्षों से कोई प्रेरक नेता, कोई पार्टी देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में ऐसा एक प्रेरक नेता हमने पाया है जो देश के सभी वर्गों का नेता है और इसीलिए सारे मतभेदों को भुलाकर लोगों ने हमें समर्थन दिया है। फिर आप लोग परेशान क्यों होते हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमदः आप कह रहे हैं कि आपको सारे देश ने यहां राज करने के लिए बहुमत दिया है, मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको इस बार मात्र 27 प्रतिशत वोट मिले हैं और 73 प्रतिशत लोगों ने आपको नकार दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप बार-बार व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बाकी पार्टियां यही निर्णय नहीं कर पाती और भारतीय जनता पार्टी ने यदि निर्णय किया और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यह घोषणा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? जब से मैंने मुम्बई अधिवेशन में इसकी घोषणा की है तब से कितने लोग हैं, जो इसी बात के लिए परेशान हैं और प्रयास कर रहे हैं इन दोनों में भेद कैसे पैदा करें? यहां बैठे लोगों में से किस-किस ने क्या-क्या नहीं कहा? ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): हम आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं दिल्ली आता भी नहीं, लेकिन वाजपेयी जी, जिस समय पहली बार लोक सभा के सदस्य चुने *गये थे, तब पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दिल्ली आकर इनके सहयोगी के नाते यहां का काम संभालें। तब से लेकर मैंने राजनीति में जो कुछ सीखा है वह इन्हीं से सीखा है। ...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसको मैं दूर नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में कुछ लोग भले ही कहें कि कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें काफी स्पष्ट दिशा दी है। सरकार आज किस दिशा में जाएगी। मैं कुछ ही बातों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा क्योंकि बहस का उत्तर विस्तार से वाजपेयी जी देंगे। जब यहां श्री माधवराव सिंधिया बोल रहे थे, तो इस प्रकार की कोई गलतफहमी थी क्योंकि मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आपके 179 मैम्बर्स आए हैं।

लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा मिले, भले ही 141 सीटें आईं। मैंने सोचा कि उन्होंने इसे कहां से खोज निकाला है, मैं भी जाकर देखूं क्योंकि वह गलत नहीं कहेंगे और उन्होंने गलत कहा भी नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई तब सामने आयेगी जब उसके सभी तथ्य बताये जाते। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर 25.46 प्रतिशत वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 25.68 प्रतिशत वोट मिले। उनके ज्यादा वोट तो थे लेकिन उसके साथ इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए था कि हमारे 25.46 प्रतिशत वोट 388 कैंडीडेट के आधार पर थे जबकि उनके 477 कैंडीडेट के आधार पर थे।

[अनुवाद]

मैं तथ्य बता रहा हूं और कुछ नहीं। लेकिन मैं इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं कि भा.ज.पा. और उसके सहयोगियों को 37 प्रतिशत और कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को 29 प्रतिशत मत प्राप्त होने चाहिएं थे...*(व्यवधान)* यह तथ्य बतलाने के लिए है।

[हिन्दी]

मैं कुछ चीजों का उल्लेख करना जरूरी समझता हूं क्योंकि जब हम आम सहमति की बात करते हैं तो हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि आम सहमति किन-किन विषयों में होनी चाहिए।

श्री दत्ता मेघे: आप जो स्टेट बना रहे हैं, उसके बारे में भी बोलिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं वह भी बोलूंगा और उस पर भी आम सहमति चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चंद्र खन्डूड़ी ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): *आप लोग श्री शिव शंकर जी को तो समझाइये। ...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 40 में हमने कहा है कि सरकार जहां तक व्यवहार्य हो आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है, वे हैं चुनावी सुधार, केन्द्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून, अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना।

मुझे याद आता है कि इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर दशकों से चर्चा होती रही है। मैं जब प्रैस गैलरी में बैठा करता था और श्री वाजपेयी जी नीचे थे, तो मैं श्री वाजपेयी जी को ऊपर से सुना करता था। उन्होंने पहली बार हिन्दुस्तान की लोक सभा में चुनाव सुधार का मामला उठाया था और चुनाव सुधार के मामले को केवल उठाया ही नहीं था बल्कि सदन को, भले ही एक छोटी सी पार्टी थी, बहुमत वाली नहीं थी सदन को प्रेरित किया कि इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनायें और वह कमेटी बनी लेकिन वह विसर्जित हो गयी। दूसरी बार जब वह कमेटी बनी तब मैं राज्य सभा में चुनकर आ चुका था। 1977 में मैं राज्य सभा में आया। तब से वह पार्लियामैंट्री कमेटी बनी जिसने दो वाल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट आज तक पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी से हमें बहुत शिकायत है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी रिपोर्टें तैयार की लेकिन वे सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। केन्द्र-राज्य संबंधों पर जो थोड़ा बहुत काम किया, वह यूनाईटिड फ्रंट की सरकार ने किया। आपने सरकारिया कमीशन बनाया जो कि 1983 में बना। 1988 में उनकी रिपोर्ट आ गयी और जब तक उनकी सरकार नहीं बनी तब तक उस पर कुछ नहीं किया गया।

डा. शकील अहमद: श्रीकृष्ण कमीशन का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: हमने भी आपको 40 साल तक बर्दाश्त किया है ...*(व्यवधान)* इसलिए आप भी बर्दाश्त करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): श्रीकृष्ण कमीशन का इस धन्यवाद प्रस्ताव से क्या लेना-देना है? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, इंटर-स्टेट काउंसिल में उस पर विचार तो हुआ और कई ऐसी सिफारिशें हैं जिनको इंटर-स्टेट काउंसिल के माध्यम से स्वीकार भी किया गया लेकिन वे कार्यान्वित नहीं हो सकीं।

कुल मिलाकर जो नक्शा बनता है, वह यह है कि सरकारिया कमीशन, जिसकी आज से दस साल पहले रिपोर्ट आ गई, उसकी 247 रिकमैंडेशन्स हैं, 247 सिफारिशें हैं, जिनमें से आज तक एक भी क्रियान्वित नहीं हुई। पिछली इंटर स्टेट काउंसिल में, जब युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तब 89 रिकमैंडेशन्स को उन्होंने अपना पोजीटिव अनुमोदन दिया।

[अनुवाद]

आज तक एक का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई समितियों और आयोगों की यह स्थिति है। यह खेदजनक बात है।

[हिन्दी]

लेकिन हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न होगा कि इस दिशा में जितनी शीघ्रता से हो सके, आम सहमति तैयार करके इलैक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, सैंटर-स्टेट रिलेशन्स के बारे में, बल्कि सैंटर-स्टेट्स के बारे में सरकारिया कमीशन के दस्तावेज से भी आगे बढ़कर हम काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जैसे शिव सेना है, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की एक स्टैंडिंग काउंसिल हमने बनाई है जिसने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखकर हमारी जो मान्यता है, उस का उल्लेख हमने अपने नेशनल एजेंडा में किया है। हम मानते हैं कि—

[अनुवाद]

उच्चतर शक्तियों और कार्यों के राज्यों को अन्तरण का स्पष्ट मामला है।

[हिन्दी]

राज्यों के पक्ष में अधिक से अधिक अधिकार देना, अधिक से अधिक उनको दायित्व देना, शक्ति देना, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को निश्चित रूप से लागू करेंगे। लोक पाल बिल का स्पैसिफिक उल्लेख है और सरकार में ट्रांसपैरेंसी लाने के लिए हम राइट टू इन्फोर्मेशन लॉ इनैक्ट करेंगे, इसका भी उल्लेख है। लेकिन जिस चीज की कुछ मित्रों द्वारा आलोचना हुई, मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि हिन्दुस्तान के संविधान को बने हुए पचास साल हो गए और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम गरीबी दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, समाज में तनाव बहुत बढ़ गए हैं, इसका कारण संविधान नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि संविधान के कारण यह दोष पैदा हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि कोई यह समझे कि संविधान में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है तो

[अनुवाद]

जहां तक संविधान का संबंध है 1950 में बना यह संविधान ही अंतिम है ...

[हिन्दी]

यह दृष्टिकोण सही नहीं होगा। पिछले दिनों जब से हमने कमीशन ऑन दी कौन्सटीट्यूशन बनाने की बात की है, कुछ लोगों ने इस बात का बड़ा प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखिए, डा. अम्बेडकर ने संविधान बनाया और ये लोग उसे बदलने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे मित्र श्री वैको ने कल डा. अम्बेडकर का एक ऐसा उदाहरण इस सदन को सुनाया जिसमें डा. अम्बेडकर ने कहा था कि—

[अनुवाद]

हर पीढ़ी को संविधान में परिवर्तन का इच्छुक होना चाहिए।

[हिन्दी]

जो पीढ़ी आती है, उसे सोचना चाहिए कि जो पीढ़ी आने वाली है, वह दूसरी पीढ़ी है। यह तत्परता होनी चाहिए और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि कौन्सटीट्यूशन को इनफैलेबल और सैक्रोसैंट मानकर चलना सही नहीं है। साथ-साथ मैं यह भी मानता हूं कि किसी छोटे से बहाने संविधान को बदलना, यह प्रवृत्ति भी सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई (अमरावती): माननीय मंत्री जी डा. बी.आर. अम्बेडकर का गलत उद्धरण दे रहे हैं। आडवाणी जी के लिए मेरे मन में अपार सम्मान है। दरअसल व्यवस्था का प्रश्न मैं काफी देर बाद उठा रहा हूं क्योंकि मैं उनके भाषण में बाधा नहीं डालना चाहता था।

सभापति महोदय: क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? अगर हां तो किस प्रकार के नियम के अंतर्गत?

श्री आर.एस. गवई: मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं: मेरा स्पष्टीकरण का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है। वे स्पष्टीकरण देना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त कर ली है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप उसे करेक्ट कर लें। लेकिन जब मैंने उनको कल सुना, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरी बात में सुधार किया जाए मैं इसके लिए तैयार हूं।

श्री आर.एस. गवई: मेरे मन में श्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बहुत आदर है परन्तु उन्हें डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। श्री आडवाणी ने डा. अम्बेडकर का गलत उद्धरण प्रस्तुत किया है। ...*(व्यवधान)* ठीक है सभा के एक माननीय सदस्य ने गलत तरीके से उदाहरण प्रस्तुत किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री वैको: परन्तु, उनका भाषण पूरा होने के बाद मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री आर.एस. गवई: अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य किसी का निरादर करना नहीं है। परन्तु गलत उद्धरण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करना चाहिए। मैं यही चाहता हूं। इसलिए मैं स्पष्टीकरण का प्रश्न उठा रहा हूं।

माननीय सदस्य ने कल डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के अंतिम भाषण का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया। उन्होंने कहा: 'हरेक पीढ़ी अपने-आप में एक राष्ट्र है। उसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान एक स्थायी निकाय नहीं है। मैंने इस प्रयोजनार्थ संविधान में अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया है। अतएव स्वीकृत किए जाने वाले संशोधन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्यों को पूरा करने वाले हों। यही मेरा स्पष्टीकरण है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री वैको इस विषय को और स्पष्ट करना चाहते हैं। अत: उन्हें बोलने दीजिए।

श्री वैको: सभापति महोदय, जब मैं संविधान की समीक्षा करने हेतु आयोग का गठन करने के इस सरकार के निर्णय के बारे में अपना दृष्टिकोण रख रहा था तो उस समय मेरा यह आशय नहीं था कि संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दिया जाये। मैंने इस बात को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। तत्पश्चात् मैंने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का उद्धरण दिया। मैंने उनका गलत उद्धरण नहीं दिया है। मैंने तो सिर्फ 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के वाद विवाद के अंतिम दौर में दिए गए उनके भाषण का उद्धरण दिया है।

उन्होंने श्री थामस जेफसन का उद्धरण दिया है। एक अन्य उद्धरण भी है जो कि इस प्रकार है: *"यह मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है; यह जीवित व्यक्तियों के लिए है।"* अतएव मैं यह कहना चाहता था कि हम यहां संविधान के मूल ढांचे को ही बदलना नहीं चाहते हैं जबकि डा. अम्बेडकर ने स्वयं ही संविधान में संशोधन के सुविधाजनक प्रक्रिया का प्रावधान किया है। यह गौरतलब है कि हम बदलते समय के अनुसार संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने गलत उद्धरण नहीं दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं केवल एक ही मिनट लूंगी। यह सही है कि हम डा. अम्बेडकर का आदर करते हैं और हम यह मानते हैं कि संविधान न बदला जाए। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि इसमें राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार हैं? क्या आप यह नहीं मानते हैं कि रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार हों? यदि ये संविधान में शामिल किये जायेंगे तो भला इससे क्या नुकसान होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप: आप क्या चाहते हैं आयोग को किन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी चूंकि कुछ मित्रों ने हमारे इस कथन को, जैसा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 35 में कहा गया है:

[अनुवाद]

> "स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद हमारी संस्थाओं को पुन: संचरित करने का समय आ गया है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ हो सकें। सरकार का प्रस्ताव इसके लिए कदम उठाने और साथ ही संविधान की समीक्षा करने और इस पर सिफारिश करने हेतु आयोग नियुक्त करने का है ताकि विगत के विसंगतिपूर्ण अनुभव भविष्य में पुन: दोहराने न पड़ें।"

[हिन्दी]

इन पचास सालों में भी समय-समय पर अनेक गणमान्य लोगों ने कहा है, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी जिनमें

सर्वश्री वी.पी. साठेजी, वेंकटरमणजी, नानी पालकीवाला जी और मधु दंडवते जी प्रमुख हैं, जिनका कहना था कि शायद संसदीय लोकतंत्र की बजाय अगर हम प्रेसीडेंशियल सिस्टम लाएं। ...*(व्यवधान)* मैं इस मत का नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: श्री मधु दंडवते ने ऐसा कभी नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मधु दंडवते जी ने यह नहीं कहा। मधु दंडवते जी ने कांस्टीट्यूशन बदलने की बात कही थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन किया है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार का पूर्णतया विरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा पीरियोडिकली उठता रहा है। पीरियोडिकल एप्रीहेंशन को, जो प्रमुख लोगों की ओर से उठता रहा है, उन सबका मैं आदर करता हूं, उसकी बजाए अगर इस सरकार ने उचित समझा और नेशनल एजेंडा में यह बात लिखी कि एक कमीशन बनाया जाए, जिसमें कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्टस, लीगल इल्यूमिनरीज, पार्लियामेंटेरियन्स और पब्लिक लाइफ के लोग हों और वे लोग मिलकर विचार करें कि संविधान में क्या मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत है या सेंटर-स्टेट रिलेशंस के बारे में जो आज अधिकार दिये गए हैं, क्या इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए या जो इलेक्टोरल सिस्टम हमने स्वीकार किया है, क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जाए? लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारा संविधान अगर न भी बनता तो भी वे हिन्दुस्तान में हमारी संस्कृति हमारी परम्परा के हिस्से रहे, और वह यह है कि हिन्दुस्तान में हमने मजहबी राज्य कभी स्वीकार नहीं किया।

[अनुवाद]

संविधान का निर्माता चाहे जो भी हो धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति और परम्परा का अंग बन गया है। संविधान कभी भी धर्मतांत्रिक नहीं होगा। धर्मतंत्र हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

किसी समय भले ही हमने नृप स्वीकार किया हो लेकिन आज की स्थिति में स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी मत के हों, की समानता, और गणतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता संविधान का अविभाज्य अंग है। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। अतः मैं क्या कर सकता हूं। जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं करते मैं कुछ नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी कृपया अपना वक्तव्य जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मुझे कुछ और नहीं कहना है सिवाए इसके कि कभी-कभी ऐसी बातें कही जाती हैं कि इस अभिभाषण में और नेशनल एजेंडा में यूटोपिया की सी बातें हैं, मैं मानता हूं कि जो आज यूटोपिया की बातें होती हैं, सचमुच ये सब की सब बातें पिछले पचास साल में हो जानी चाहिए थी। पचास साल बाद भी हिन्दुस्तान के सभी गांवों में पानी, बिजली न पहुंचे, और हरेक नागरिक को दो समय का भोजन न मिल सके, हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य का प्रबंध न हो सके, शिक्षा का प्रबंध न हो सके, इसकी तरफ ध्यान देना हम सबका दायित्व है। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है और आज हमें कम से कम यह संकल्प करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इन बातों को पूरा करें जो दुनिया के अधिकांश देश अपने-अपने देशों में पूरा कर सके। ये सब बातें कि हरेक गांव में पानी देना, शिक्षा देना, दो समय का भोजन देना यूटोपिया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो हमने बी.जे.पी. के घोषणा-पत्र में दस साल का समय इन बातों के लिए लिखा है। लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने अपने इस नेशनल एजेंडा में पांच साल की बात कही है। जो हमने शिक्षा की बात कही है, आपने जिसमें हमें करेक्ट किया है कि प्राइमरी शिक्षा की बजाए एलीमेंटरी एजुकेशन

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

होना चाहिए, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और इसे हम करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे छठे पैराग्राफ में जो बात कही गई है, हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके, ऐसा भारत हो, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, इन तीनों अभिशापों से मुक्त हो।

एक माननीय सदस्य: भय!

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, भय।

अपराह्न 3.00 बजे

[**डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, एक अनुभव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज से बीस साल पहले श्री मोरारजी देसाई सरकार में मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था। उस समय मैं पाकिस्तान के निमंत्रण पर पाकिस्तान गया था। मेरा जन्म कराची का है। मेरा शिक्षण कराची में हुआ, जो आज पाकिस्तान, सिन्ध, में है। मेरे लिए यह एक अनुभव का अवसर था कि मैं अपने घर जाऊं और अपना घर जाकर देखूं। जहां मैं अपने स्कूल में जाऊं। मैं वहां दो दिन रहा। उन दिनों वहां पर जिया साहब का सैनिक शासन था। चारों तरफ सैनिक दिखते थे। वहां के नागरिक यह देखकर चकित होते थे कि यह भारत सरकार का केन्द्रीय मंत्री, जो यहां पर आया है, इसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। अकेले अपना घूम रहे हैं। मैं अपने स्कूल में गया और स्कूल के पास बचपन में जिन-जिन दुकानों पर जाया करता था, वहां पर मैं गया। एक विचित्र अनुभव था। वहां लोगों को देखकर आश्चर्य होता था कि यह भारत कैसा है, जिस भारत के बड़े-बड़े भी बिना संतरी के घूमते रहते हैं। इन बीस सालों में कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है। आज मैं मंत्री बन गया, लेकिन जब मंत्री न भी था, एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता था, तो भी मेरे साथ लोग चलते थे और आज भी ब्लैक-कमांडोज घूम रहे हैं। हमको बड़ा एम्ब्रैसमेंट होता है, संकोच होता है, शर्म आती है। मुझे इस पर भी संकोच होता है, जब सारे के सारे सांसद मुझे लिख कर दें कि मेरी सिक्योरिटी क्यों विदड्रा कर दी, मेरी सिक्योरिटी वापिस कर दो। मैंने अपने मंत्रालय में कहा है, इस पर अच्छी तरह से रिव्यू करो। जितना वास्तव में जरूरी है, उतनी करो। यह जो आम नागरिक हैं, उनको कम से कम इनके कारण कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है कि वी.आई.पी. मूवमेंट के कारण एक-एक, दो-दो घन्टे हवाई जहाज रोक दिया जाए। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं एक चीज पर बल दे रहा हूं, भय मुक्त भारत बनाना, जिसे हम बहुत जरूरी समझते हैं।

कल यहां पर तमिलनाडु की बहुत चर्चा हुई। कभी अवसर आएगा, तो उस पर बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि यह जो आतंकवाद है, यह जो उग्रवाद है, जो किसी समय जम्मू-कश्मीर में था या पंजाब में था, अब वह नार्थ-ईस्ट से होता हुआ, दक्षिण में पहुंच गया है, तमिलनाडु में पहुंच गया है। आए दिन वहां जो पिछले दिनों घटनायें होती रही हैं, वे बहुत चिन्ताजनक हैं। मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार इस बारे में समुचित कार्यवाही करेगी और उसको करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की तरफ से चाहे इन्टैलिजेंस का मामला हो, चाहे उनको सहयोग देने का मामला हो, हम कोई कसर उठा कर नहीं छोड़ेंगे। सभी प्रकार की सहायता हम देंगे। लेकिन हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि किसी भी कन्सीड्रेशन से इस मामले में ढील न दें, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनायें हुई हैं, वे बहुत चिन्ता पैदा करने वाली है। इस चिन्ता को आप लोगों ने भी व्यक्त किया है और मेरे मन में भी चिन्ता है। आज उसके बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं वहां की प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में जो भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाए और उसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा।

सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं फिर से इस बात पर बल देता हूं कि हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं, जहां प्रत्येक नागरिक को—चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई नस्ल हो, कोई धर्म हो—भारतीय होने का गौरव हो।

श्री राजेश पायलट: सभापति जी, अभी आडवाणी जी ने भाषण दिया। मैं इस सदन में अपनी आशंका जाहिर करना चाहता हूं और यह जरूरी भी हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने परसों जब भाषण दिया था, तो उससे एक बात साफ हो गई थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने जो नेशनल एजेंडा दिया है, उसमें वे मुद्दे छोड़ दिए हैं। हमारी तरफ से लोग खड़े हुए, तो अटल जी ने कहा—हम उठायें, तो भी हमारी मुसीबत है और हम छोड़ दें, तो भी हमारी मुसीबत है। बड़े प्यार से उन्होंने बात को दबा दिया। हमें यकीन हो गया कि इन्होंने कन्ट्रोवर्शियल मुद्दे चाहे धारा 370 हो या चाहे राम जन्म भूमि हो, अपने एजेंडे से निकाल दिए हैं। आज आडवाणी जी ने बड़ी होशियारी से कहा है कि उन मुद्दों पर वे अपोलोजैटिक नहीं है और उसके आगे कुछ नहीं कहा है। इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। आडवाणी जी आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आज भी जब आप बोल रहे थे तो आपने कुछ मुद्दे एजेंडे के उठाए थे।

[अनुवाद]

महोदय, मैं तत्काल ही एक बात बताना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इस मुद्दे को आप साफ करें, नहीं तो देश के लोगों में एक शक पैदा हो जाएगा। यह देश के हित में है, नेशनल एजेंडा के हित

में है। आप साफ कहिए कि 370, रामजन्म भूमि जैसे मुद्दे अब हमारे एजेंडा में नहीं हैं, यह सफाई देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री ई. अहमद की बारी है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय उनके बोलना शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे त्रिपुरा से बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री श्री विमल सिन्हा ढलाई जिला के कमालपुर सब डिविजन के अंतर्गत अवंगा गांव में 11.30 बजे उग्रवादियों द्वारा किये गये हमले में मारे गए तथा उन्हीं के साथ जा रहे उनके छोटे भाई तथा उनके अंग्रेजी शिक्षक श्री रॉकेट सिन्हा भी उग्रवादियों द्वारा किए गए इस हमले में मारे गए जिससे स्थिति गंभीर हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा अनेक बार कहा गया था कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा बल प्रदान किया जाए परन्तु त्रिपुरा राज्य को अर्धसैनिक बल सहायता नहीं दी जा रही है। गृह मंत्री जी भी यहां हैं और प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि त्रिपुरा की विद्रोही गतिविधियों का सामना करने के लिए तत्काल अर्द्धसैनिक बल त्रिपुरा भेजे जाएं।

सभापति महोदय: श्री आचार्य बसुदेव जी आपको मंत्री को पत्र देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इस दुखद समाचार को सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केन्द्र से जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी उसे निश्चित रूप से दी जाएगी। यह दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में आंतरिक सुरक्षा के स्तर में गिरावट आती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सबको इसे रोकने के लिए प्रयास करने होंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): जो शंकाएं व्यक्त की हैं, आप उनका जवाब दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने श्री ई. अहमद को बुलाया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री ई. अहमद के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: यह कोई न्यायालय थोड़े ही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पायलट जी, उन्होंने नोट कर लिया है, वे उत्तर देना चाहेंगे तो दे देंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री राम नाईक जी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह लोकतंत्र है। *...(व्यवधान)* वह अभी अभी उठकर बाहर चले गये हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह सभा में उपस्थित थे।

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह बात बिल्कुल साफ है कि यह प्रधानमंत्री के भाषण के विपरीत है *...(व्यवधान)* महोदय, यदि गृह मंत्री इसका उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे लिए सहयोग करते जाना मुश्किल होगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह लोकतंत्र है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोऑपरेशन की क्या बात है इसमें।

सभापति महोदय: उन्होंने सुन लिया है। अभी प्रधानमंत्री का रिप्लाई है। सभी बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। वे यहां पर बैठे हैं अभी उनका रिप्लाई होगा; प्लीज बैठ जाइये।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप दो मिनट के लिए सोचिए कि हमने क्यों शंका जाहिर की है। यही सदन था तीन दिसम्बर 1992 को और हमने यहीं शंका जाहिर की थी। आडवाणी जी और अटल जी यहां बैठे हुए थे, उनमें से एक भी नहीं बोले और हादसा घटा। आज भी हम कह रहे हैं कि इनकी नियत साफ नहीं है। यह सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, आप बैठ जाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियार पुर): महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: आप किस बारे में बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं केवल श्री ई. अहमद को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, हम भी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह बहुत बुरी बात है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: सभापति जी, नये राज्यों के निर्माण के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि वे वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन: सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पाइंट स्पष्ट कर दिये हैं। आडवाणी जी बड़े स्पष्ट बोले हैं। राइट और रॉग जो भी व्यू ये ड्रा करना चाहें, करें। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि धारा 370 को रखें तब भी विरोध होता है, न रखें तब भी विरोध होता है ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी आपको पूछ कर नहीं बोलेंगे। आपका इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री को बोलने दें कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री ई. अहमद का नाम पुकारा है। श्री ई. अहमद द्वारा कही गई बात के अलावा अन्य किसी की भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट: महोदय, वे हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या यही लोकतंत्र है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: महोदय, हम बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.14 बजे

इस पर श्री राजेश पायलट और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री राम नाईक: महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, आप मेरे वक्तव्य के बाद उन्हें बोलने की अनुमति दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें मेरे वक्तव्य की समाप्ति के पश्चात बोलना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि ऐसी परम्परा है कि माननीय सदस्यों को सभ्यता और शिष्टता से बात करनी चाहिए। जब माननीय आडवाणी जी यहां से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वह भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि यह शब्द अच्छा नहीं है। अगर यह पार्लियामेंट्री शब्द है तो इन लोगों ने भागने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री आर.एस. गवई: मैं नियम 376 के अंतर्गत औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। नियम 376(3) में कहा गया है:

> ''उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देगा जो अंतिम होगा।''

मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि बोलते समय आडवाणी जी ने छः बार 'अस्पृश्यता' शब्द का प्रयोग किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री आर.एस. गवई: कृपया, पहले मेरी बात सुनिये। आडवाणी जी ने बार-बार 'अस्पृश्यता' शब्द का प्रयोग किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने नियम 376 का हवाला दिया है। नियम 376 के तहत इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर.एस. गवई: 'अस्पृश्यता' असंवैधानिक शब्द है। संविधान 'अस्पृश्यता' शब्द से परहेज करता है। इस शब्द को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः व्यक्त अथवा प्रकट नहीं किया जा सकता। यह अपराध है। ...*(व्यवधान)* मेरा औचित्य प्रश्न है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वर्षों तक 'अस्पृश्यता' जारी रखना चाहती है।

सभापति महोदय: मैं आपके औचित्य प्रश्न को खारिज करता हूं।

श्री ई. अहमद: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं पीठासीन अधिकारी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कतिपय विषयों पर पहले ही कुछ संशोधन दिए हैं जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है।

मैं यह महसूस करता हूँ कि राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि का उल्लेख करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों को शिक्षा-सुविधा प्रदान करने के लिए आरम्भ की जाने वाली योजनाओं और इसमें इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का उल्लेख नहीं हुआ है। समयाभाव के कारण मैं अपने भाषण को उन कतिपय मुद्दों तक ही सीमित रखूँगा जिनका उल्लेख माननीय गृह मंत्री ने कुछ देर पहले अपने भाषण में किया है।

कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि उनके शासनकाल में हमारे समाज के किसी वर्ग को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। यह बिल्कुल न्यायोचित है। उन्हें देशवासियों को यह अवश्य बताना चाहिये कि भय की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को भलीभांति जानता हूँ। मैं उनकी अवधारणा, उनकी नीति सबको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि जब उनकी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसे कुछ उपायों अथवा नीतियों का प्रतिपादन हुआ है तो 'अल्पसंख्यक समुदाय' के किसी सदस्य को कैसे नहीं आशंका होगी।

यद्यपि उन्होंने कहा है कि सरकार का नेशनल एजेंडा है परन्तु हमारी आशंका यह है कि नेशनल एजेंडा का न्यूनतम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अधिकतम कार्यक्रम को लागू करने में सहायक होगा।

भाजपा एजेंडा के पृष्ठ 4 पर यह कहा गया है कि हिन्दुत्व सभी धार्मिक पूजा-अर्चना स्थलों का सम्मान करता है। परन्तु, अगले ही पैरा में यह लिखा है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मस्थान पर वहीं बनाया जायेगा जहां अभी कामचलाऊ मंदिर स्थित है। यदि हिन्दुत्व सभी प्रकार की आस्थाओं, धर्मों और पूजा अर्चनाओं को स्वीकार करता है तो हिन्दुत्व की दुहाई देने वालों द्वारा बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गयी? देश यह कैसे विश्वास करे कि जिस पार्टी के नेताओं ने मस्जिद गिराने में शिरकत की उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है।

माननीय आडवाणी जी, अयोध्या मसले से संबंधित राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में उपस्थित थे। तब उन्होंने यह आश्वासन

[श्री ई. अहमद]

दिया था कि बाबरी मस्जिद को छेड़ा नहीं जायेगा। परन्तु 6 दिसम्बर, 1992 को आडवाणी जी की उपस्थिति में उस ढांचे को धराशायी कर दिया गया। ऐसी हालत में, हम माननीय प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर कैसे यकीन करें कि सरकार का एक नेशनल एजेंडा होगा और इसे लागू किया जायेगा? निस्संदेह, इसमें उनकी *नीयत नेक हो सकती है। परन्तु हम यह कैसे यकीन करें कि यह* सरकार भाजपा कार्यसूची पर कार्य नहीं करेगी?

मैं भाजपा कार्यसूची में उल्लिखित इन पांच मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। (1) हिन्दुत्व, (2) पहले जहां मस्जिद थी उस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण, (3) संविधान की धारा 30 का संशोधन, (4) अल्पसंख्यक आयोग समाप्त किया जाना, और (5) समान आचार संहिता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्हीं बातों से देश में अल्पसंख्यक समुदायों को भय है। जब तक इन्हें हटाया नहीं जायेगा और पूरी तरह अस्वीकृत नहीं किया जायेगा तब तक अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे भले ही यह साझा सरकार क्यों न हो।

माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, सर्वसम्मति आज के समय की मांग है। मैं इससे सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम इसे समझते हैं। तो देश की बहुसंख्यक पार्टी भाजपा क्यों नहीं इन पांचों—हिन्दुत्व, राममंदिर का निर्माण, धारा 30 का संशोधन, अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करना और समान आचार संहिता को देश में भिन्न-भिन्न समुदायों के सहअस्तित्व की खातिर हटाकर सर्वसम्मत कार्यक्रम शुरू करती है? देश में अलग-अलग समुदाय के लोग हैं और यहां मेल-मिलापपूर्ण सहअस्तित्व होना चाहिए। यदि श्री वाजपेयी अपनी सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों के सहअस्तित्व के लिए सर्वसम्मति प्राप्त कर सकते हैं तो भाजपा इस देश में विभिन्न समुदायों के बीच इसी प्रकार मेल-मिलापपूर्ण सहअस्तित्व के लिए इन नीतियों को क्यों नहीं त्याग देती है?

महोदय, मेरा यह विचार है कि यह देश समान आचार संहिता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आडवाणी जी कह रहे थे कि यह संविधान में उल्लिखित है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। इसका उल्लेख संविधान के अध्याय 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' में अनुच्छेद 44 में है न कि ''मौलिक अधिकारों'' के अध्याय में है। यह केवल एक सहायक प्रावधान है। इस देश में समान आचार संहिता है। इसके क्या अपवाद हैं।

केवल एक अपवाद अल्पसंख्यक समुदाय का पर्सनल लॉ है। पारसी समुदाय के विवाह अधिनियम को लें। उनका इस देश के कुल अधिनियमनों का 2 से 3 प्रतिशत है। क्या भा.ज.पा., जिसकी कि सरकार में बड़ी भागीदारी है, इस देश में अल्पसंख्यक पर्सनल लॉ को स्वीकार करेगी? उस परिस्थिति में, क्या आप इसे सभ्य समाज कहेंगे या बहुल समाज?

इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा के शब्दों के बारे में संदेह होता है क्योंकि इसमें वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है तथा हम सभ्य, मानवीय तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कृत संकल्प हैं। यह 'न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था' कहां है? यह और कुछ नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से समान आचार संहिता को लाने का प्रयास है। मुझे संदेह है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ही अनुग्रहीत हूंगा यदि वे इस देश *के अल्पसंख्यकों के मन से संदेह दूर करने में समर्थ हों।*

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश सभी का है। हम लोग इस देश के भाग हैं। हमारे पास कुछ संवैधानिक अधिकार भी हैं। हमें उन संवैधानिक अधिकारों को रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। जहां तक हम लोगों का संबंध है, हमारा पर्सनल लॉ शरियत हमारे विश्वास का एक हिस्सा है। अतएव हमें भी इस देश में उस अधिकार का उपयोग करने की अनुमति हो। अतएव, सरकार तथा सरकार के नेता के रूप में श्री वाजपेयी जी के लिए आवश्यक है कि वह इस संदेह को दूर करें कि यह कभी इस देश में लागू नहीं किया जायेगा।

मैं अपनी ओर से यह भी कहूँगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, मजबूर करेंगे तथा संवैधानिक रास्ता अख्तियार करेंगे। यदि किसी परिस्थितिवश इसे लागू किया जाता है तो हम इसका डटकर विरोध करेंगे। अतएव, मैं इस सरकार को यह संदेह दूर करने का आग्रह करता हूं। केवल तभी माननीय प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ''ठीक है, जहाँ तक मेरी सरकार का संबंध है आपको कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है।''

जब तक यह मौत का फरमान है तथा इसे लंबित रखा जाता है, लागू नहीं किया जाता है अर्थात् जिस स्थान पर मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर का निर्माण करने की बात कही जाएगी तब तक यह संदेह बना रहेगा। मैं केवल दो मिनट लेना चाहूंगा।

अल्पसंख्यकों की शैक्षिक उन्नति के संबंध में कतिपय प्रावधानों को देखकर मुझे काफी खुशी हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख है। किसी विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। इस देश के अल्पसंख्यकों की क्या कठिनाइयां है? उनके पास पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमें वर्तमान शिक्षा सेवा में विश्वास है, लेकिन हमें सरकार का समर्थन तथा सहायता आवश्यक है। जब तक हम अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में और महाविद्यालय, संस्थान, तकनीकी संस्थान तथा और नीतियां नहीं बनाएंगे तब तक हम इससे लाभान्वित नहीं होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अपने भाषण में वह इसका उल्लेख करें।

जनसंख्या का 12 प्रतिशत से अधिक भाग एक विशेष समुदाय अर्थात् मुस्लिम समुदाय का है। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख

हो रहा है और भारी दिल से यह मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तथा सरकारी उपक्रमों में उनका कितना प्रतिनिधित्व है? यह काफी कम है। जो भी दल सत्ता में रहा उसने पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। अतएव, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आपको यह कदम भी उठाने चाहिए ताकि सरकारी सेवा में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिल सके तथा इसमें कोई भेदभाव न हो।

माननीय प्रधानमंत्री सभी देशों में विशेष रूप से विदेशी मामलों के संबंध में अच्छी तरह जाने जाते है। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अरब तथा खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंधों का कोई उल्लेख नहीं था। हमने उनके साथ काफी विचार-विमर्श किया तथा इन मामलों में माननीय प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री तथा विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कीं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में खाड़ी के देशों, प्रशांत देश, हमारे पड़ोसी देशों तथा मुस्लिम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय पारंपरिक संबंधों का कोई उल्लेख नहीं है। मैं और भी ज्यादा अनुग्रहीत अनुभव करूँगा यदि माननीय प्रधानमंत्री अपने उत्तर में यह उल्लेख करें कि भारत के अरब तथा मुस्लिम देशों के साथ पारंपरिक संबंध और मजबूत किए जाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर): सभापति महोदय, आज मैं इस सम्मानित सदन में बोलते हुए बहुत ही गौरान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं जहां जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी और अन्य महान नेताओं ने ऐतिहासिक भाषण दिए। इतनी कम उम्र में यहां सांसद चुन कर आना हमारे इस महान देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान का सूचक है जिस पर हम सभी भारतीय नागरिकों को गर्व है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक सकारात्मक बातों की मैं प्रशंसा करता हूं। दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति के अभिभाषण में कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों को शामिल नहीं किया गया विशेष तौर से आधारभूत संरचना का पुन:निर्माण जिसको पिछले आठ वर्ष के आतंकवाद के दौरान नुकसान पहुंचा।

राष्ट्रपति ने सही कहा की सरकार एक नए भारत के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है, जिसमें असुरक्षा, भूख और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न होगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि 50 वर्षों की आजादी के बाद भी हालात की मजबूरियों के कारण हमें यह बात बार-बार दोहरानी पड़ती है। हमारे इस महान देश के लिए कलंक है कि 50 वर्षों की आजादी के बाद भी इस देश में लोग हैं जो भूखे सोते हैं और जिन्हें छत भी नसीब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य होने के नाते हम केवल बातें ही न करेंगे बल्कि हमारे राष्ट्र के सामने आई कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठायेंगे।

अब समय आ गया है कि हम इस बात को महसूस करें कि मतदाताओं ने हमें वोट देकर यहां किसी उद्देश्य से भेजा है जो कि यहां हल्ला करने, चिल्लाने और दूसरों को नीचा दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यहां अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा गया है। हमारा उद्देश्य निर्णय लेना, कुछ कार्य करवाना जिससे की अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधार सके जहां से हम निर्वाचित होकर आए हैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों एवं राज्य के प्रति अपने कर्त्तव्य पर खरा नहीं उतरूंगा अगर मैं राष्ट्रपति अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण समस्याओं का जिक्र न किए जाने का उल्लेख न करूँ। ये हैं जम्मू-कश्मीर में आधारभूत ढांचे का नष्ट होना और युवाओं में व्याप्त अत्याधिक बेरोजगारी।

मेरा राज्य आठ वर्ष के आतंकवाद के नरक से उभर रहा है। इन आठ वर्षों के दौरान देश के अन्य हिस्सों ने दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति की। सड़कों, उर्जा एवं रेल से संबंधित अत्यावश्यक आधारभूत परियोजनाओं में अत्यधिक विदेशी निवेश हुआ। जबकि हमारे राज्य जम्मू-कश्मीर में पर्यटन से विदेशी मुद्रा में होने वाली आय समाप्त हो गई।

जहां अन्य राज्यों ने बड़े भारतीय औद्योगिक समूहों को अपने यहां निवेश करने के लिए प्रेरित किया और मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया, वहीं सभापति महोदय, हमारे राज्य में आतंकवादियों के हमले के डर से लाभ में चलने वाले उद्योगों को हम मजबूरन बन्द होते देखते रहे।

इन सब में सबसे ज्यादा कष्ट हमारे छोटे भाइयों एवं बहनों को उठाना पड़ा जिन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उन्हें अब सरकारी क्षेत्र के बाहर कोई स्थाई रोजगार पाने की कोई उम्मीद नहीं है।

महोदय, इस देश के अन्य लोगों की तरह मैं भी इस देश के अन्य लोगों की भांति प्रैस में छपने वाली खबरों को विश्वसनीय मानता हूं। पिछले कुछ वर्षों से मैं नियमित रूप से पढ़ रहा हूं कि कश्मीरी युवक अलग थलग पड़ गए हैं और देश की मुख्यधारा में शामिल होने की उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है।

सभापति महोदय मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी और गर्व को व्यक्त करने के लिए जब एक युवक होने के नाते मैंने महसूस किया कि वर्षों से जो समाचार पढ़ रहा था वो पूर्ण रूप से असत्य है।

[श्री उमर अब्दुल्ला]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जम्मू तथा कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में हुई रैलियों में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनका एक सीधा सा अनुरोध था। उन्हें रोजगार चाहिए। जो सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में वादा किया है। रोजगार एक सरल शब्द है। मगर इस पर जम्मू-कश्मीर राज्य का भविष्य निर्भर है।

सभापति महोदय, नौकरी सार्थक रोजगार है। रोजगार युवक अपना सर गर्व से ऊंचा रख सकते हैं। युवा कह सकता है, ''जी हां, मैं स्वावलंबी हूं।''

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि शायद मैं इस सदन का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं और इस कारण मेरी स्मरण-शक्ति कुछ अन्य के मुकाबले शायद ज्यादा है। मुझे यकीन है हम सब को अपने पहले वेतन की याद है। जो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में सक्षम हैं और हम अपने अभिभावकों की परेशानी को कम कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे पालन-पोषण में झेली।

सभापति महोदय, मुझे अपने पहले वेतन पर अत्याधिक गर्व है। इससे मेरे स्वाभिमान और गौरव में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। महोदय, इसी थोड़े से स्वाभिमान के लिए मेरे भाई-बहन न केवल जम्मू-कश्मीर बल्कि सारे भारत में निवेदन कर रहे हैं।

इसी पर राज्य का भविष्य निर्भर है। जिन युवाओं ने अपने भविष्य को संवारने के लिए पहले हथियार उठाए थे इसकी निरर्थकता को देखते हुए इससे विमुख हो गए हैं। सौभाग्य से जो युवा बच गए वो अपनी रोजी रोटी कमाकर अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। महोदय हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। हमें हिंसा का विकल्प उन्हें देना ही होगा। अन्यथा अनेक देशी एवं विदेशी एजेंसियां उनके असंतोष का अपने हित में लाभ उठाएंगी और इसके लिए हम स्वयं ही दोषी होंगे।

महोदय, रोजगार समय की मांग है। जम्मू-कश्मीर सरकार पहले से हो सरकारी खजाने पर भारी दबाव के बावजूद अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पूरे प्रयास कर रही है। फरवरी 1998 के अन्त तक, 13000 युवाओं का चयन कर लिया गया है। इसमें पुलिस भी शामिल है।

हम खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र में रोजगार के विशेष अवसरों हेतु प्रावधान कर रहे हैं जिससे, आशा है कि 10,000 से भी अधिक नवयुवकों को काम मिल सकेगा लेकिन ये रोजगार निजी क्षेत्र और स्व-नियोजन के क्षेत्र में सृजित किये जाने चाहिये। निजी क्षेत्र के लिए हमें आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है और ये सुविधाएं मेरे राज्य में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं।

इन बातों के साथ मैं अपने भाषण के मुख्य मुद्दे पर आता हूं अर्थात् मेरे राज्य में मूलभूत आधारभूत सुविधाओं का पुनर्निर्माण। *सभापति महोदय, जबकि अन्य राज्यों में पुलों का निर्माण हो रहा था, मेरे राज्य में पुल ढहाए जा रहे थे। जबकि अन्य राज्यों में, स्कूलों का निर्माण भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए किया जा रहा था, मेरे राज्य में स्कूलों को जलाया जा रहा था।* आधारभूत सुविधाओं के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा गया। सड़कों, स्कूलों, पुलों, बीज गोदामों, विद्युत ट्रांसमिशन और हस्पतालों तक को नहीं बख्शा गया। उन्होंने हरेक चीज को पूरी तरह से नष्ट किया। इस नुकसान से राज्य को काफी धक्का लगा है।

मैं सदन के समक्ष कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि आप एक अन्दाजा लगा सके कि पिछले आठ वर्षों में हमने कितना नुकसान झेला है। शुरू-शुरू में, 1995 में 2.49 करोड़ रु. तक की क्षति का आकलन किया गया था। जुलाई, 1996 में इसे अद्यतन बनाया गया तो यह 300 करोड़ का निकला। दिसम्बर, 1996 में जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकप्रिय सरकार चुने जाने के बाद इस आंकड़े की पुनरीक्षा की गई और दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार यह क्षति 444.94 करोड़ रु. की होती है। यह रकम किसी भी सरकार के लिए बहुत अहम है तथा इसकी भरपाई करना उस सरकार के लिए लगभग एक असंभव कार्य है जो अपने ज्यादातर धन के लिए केवल केन्द्र पर निर्भर करती है।

हमारे सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन हेतु महत्वपूर्ण सेवाओं को पहचानना था। लेकिन दुर्भाग्यवश सीमित धन के कारण योजना संबंधी क्रियाकलापों का पुनर्प्राथिमिकीकरण करना पड़ा जिसकी वजह से कुछेक मूलतः आवश्यक परियोजनाओं को टालना पड़ा। मार्च, 1997 तक हम 84.64 करोड़ रु. खर्च करने में सफल हुए थे। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है।

सभापति महोदय: मैंने उसे नोट कर लिया है। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री उमर अब्दुल्ला: इसमें 35.15 करोड़ रु. स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिए शामिल हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने।

हमने 33.41 करोड़ रु. पुलों के निर्माण पर खर्च किए। कृषि क्षेत्र में, हानि का आकलन 1986 लाख रु. किया गया है जिसमें हमारे द्वारा स्थापित 'इन्डो-डच मशरूम' परियोजना से संबंधित 400 लाख रु. की राशि भी शामिल है।

बागबानी के क्षेत्र में हमने 155.82 लाख रु. का नुकसान उठाया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति के क्षेत्रों में 644 लाख रु. मूल्य की इमारतें और वाहन नष्ट हो गए।

सभापति महोदय, हम महसूस करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने सर्वाधिक हानि उठाई है। आतंकवाद के दौरान, हमारी शिक्षा दशकों पीछे धकेल दी गई। हमने 26 कालेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. और स्टेडियम खो दिए हैं।

लेकिन इससे भी बदतर हमने 718 स्कूल खो दिए जोकि चौंकाने वाली बात है। जी हां, सभापति महोदय, 718 स्कूल, जिनका निर्माण हमने अपनी भावी पीढ़ी के लिए किया था, नष्ट कर दिये गए। वित्तीय संदर्भ में देखें तो यह नुकसान 138 करोड़ रु. का बताया गया है। पर अगर हम इसकी तुलना मानवता के संदर्भ में करें तो वित्तीय नुकसान बहुत छोटा है। यह ऐसा नुकसान हुआ है जिसे हमारी भावी पीढ़ी ने झेला है तथा जिसका असर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसका खामियाजा हमारी आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी।

आतंकवाद की आग में 406 पुलों और पुलियों को नुकसान पहुंचा जिनकी कुल लागत 18,662 लाख रु. की थी। यह सूची तो अन्तहीन है। स्वास्थ्य सेवाओं, विद्युत, उद्योग तथा हरेक चीज को नुकसान ही हुआ है और मेरे राज्य के लोगों को वायदा किस बात का किया गया था—एक बेहतर जीवन का।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री उमर अब्दुल्ला: जी, महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या इन आतंकवादियों को वाकई में ये विश्वास था कि इन महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं के विनाश से मेरे लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा? अगर वे ऐसा सोचते थे तो हम उनके बारे में जितना सोचते थे वे उससे भी बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी बेवकूफी और अदूरदर्शिता के कारण हमें बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनसे जूझते हुए हमें अपने संसाधनों को उन चीजों के पुनर्निर्माण में लगाना चाहिए जिन्हें हम खो चुके हैं।

हम जम्मू-कश्मीर में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जो न सिर्फ हमारे लिए एक राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए है बल्कि यह लड़ाई इससे भी बड़ी है। यह लड़ाई हम एक राष्ट्र के रूप में लड़ रहे हैं, भारतीय के रूप में लड़ रहे हैं और हमें कहने की जरूरत नहीं है कि समूचे देश के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में केन्द्र अपना पूरा समर्थन देगा।

सीधे-सीधे कहें तो हमें खोई हुई चीजों की पुनर्प्राप्ति के लिए सहायता चाहिए। हमें क्षतिग्रस्त हुई आधारभूत सुविधाओं का पुनर्निर्माण करना ही चाहिए। लेकिन धन के अभाव में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में बाधा पहुंची है। इसके समर्थन में मैं जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री मोहम्मद शफी को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने मार्च, 1998 में अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि...

सभापति महोदय: श्री अब्दुल्ला, अब कृपया समाप्त करिए। मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री उमर अब्दुल्ला: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक पैरा उद्धृत करूंगा। हम जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ी देर के लिए इसे सुनें। यह मेरा पहला भाषण है। कृपया इसे मेरे लिए थोड़ा सा सहज बनाइए। महोदय, मैं उद्धृत करता हूं:

> "मुझे यहां यह बताना चाहिए कि राज्य के वित्तीय घाटे में वृद्धि मुख्यतया उन कारणों से हुई जो राज्य सरकार के नियंत्रण से परे थे। इसका एक मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा संबंधी व्यय का पूरा-पूरा संवितरण न किया जाना है। मार्च, 1997 को इस शीर्ष के अंतर्गत 561 करोड़ रु. बकाया थे जिसका संवितरण अभी भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। चालू वर्ष के दौरान यदि राज्य सरकार को इस देय राशि का पूरा-पूरा संवितरण नहीं किया गया तो यह और बढ़ जाएगी। राज्य सरकार आशा करती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल द्वारा जनता को दिये गये आश्वासन के अनुरूप रक्षा संबंधी व्यय को एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में देखा जाएगा तथा सम्पूर्ण धनराशि का वितरण कर दिया जायेगा।"

मैं इस सदन का बहुमूल्य और कीमती समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। मैं अभी लम्बे-चौड़े भाषण को संक्षेप में सारगर्भित रूप से देने की कला को विकसित नहीं कर पाया हूं। लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जम्मू और कश्मीर निजी क्षेत्र में और अधिक रोजगार सृजन करने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण, जैसाकि मैंने कहा है, यह है कि हमारी आधारभूत सुविधाओं को बहुत नुकसान हुआ है। कश्मीर में समस्याएं जटिल और अनेक हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि एक नहीं अपितु दो-दो ने मेरे राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है और उनमें से एक देश मेरे राज्य के हिस्से पर ऐसे अपना कब्जा जमाने का दावा कर रहा है मानो उस भूमि पर उसका अपना अधिकार हो।

कश्मीर हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, यह आज भी भारत का एक अंग है और यह हमेशा भारत का एक अभिन्न अंग रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती है। बंदूक की नाल से स्वतंत्रता संबंधी संगोष्ठियों के कतिपय मुद्दे तो उछल सकते हैं। लेकिन कश्मीर के लोग अपने दिलोजान से भारत के साथ हैं और उनका साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि इस राज्य के लोगों के साथ इस सरकार का रवैया निष्पक्ष रहेगा। मैं यह सब कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही पक्का वायदा करना चाहिए और तत्पश्चात् कुछेक पिछली सरकारों की तरह लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि हम

[श्री उमर अब्दुल्ला]

कोई हल ढूंढ सकें अन्यथा आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को जीतते रहना बहुत मुश्किल होगा। विदेशी आतंकवादियों के आगमन जिस पर भी हमने काफी हद तक काबू पा लिया है को छोड़कर हम इस लड़ाई को जीतते आ रहे हैं। स्वदेश में प्रशिक्षित किये जा रहे आतंकवादियों की बात अब पुरानी पड़ गई है। हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्थिति कायम रहे और इस कार्य के लिए, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि विदेशी एजेन्सियां हमारे युवकों और युवतियों को भर्ती न कर पाएं। यदि हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं तो हम उन्हें बेहतर जीवन-स्तर और आत्म-सम्मान का जीवन प्रदान कर सकते हैं और इसके लिए हमें उन्हें काम मुहैया कराना होगा। काम मुहैया कराने के लिए निवेश की आवश्यकता पड़ती है, निवेश के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता पड़ती है, दुर्भाग्यवश आधारभूत संरचना वह चीज है जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र तक नहीं है। मैं यह आशा करते हुए अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं की ओर दिलाया जाए और वह उन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए माननीय श्री शान्ता कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, वह हमारी सरकार की जो वित्त नीति है, जो प्रोग्राम है, उसकी ओर संकेत करता है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है, उसमें उनकी भावना, उनकी जो इच्छा थी, यह उसकी पूर्ति करता दिखायी देता है। आडवाणी जी ने ठीक कहा था कि इस चुनाव में जो स्लोगन लगा, वह एबल लीडरशिप और स्टेबल गवर्नमेंट का था, उसको लोगों ने दायित्व दे दिया है और लोगों ने यह फैसला किया है कि देश में अगर कोई लीडरशिप है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की है।

मैं सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सरकार में लेकर आये और देश के लोगों की इच्छा की पूर्ति की।

इस अभिभाषण पर दो दिन से चर्चा हो रही है। मुझे अफसोस होता है कि विरोधी दल के मेरे कुछ मित्र हैं, वे इस अभिभाषण में और इस प्रोग्राम में कोई नुक्ताचीनी करने की बजाय हिस्ट्री निकालकर उसकी नुक्ताचीनी में ही लगे रहे और कोई पुख्ता सुझाव नहीं दिया। कभी वे कहते थे कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पीने का पानी लोगों को कैसे मिलेगा, ये देश को कैसे आगे ले जायेंगे। कभी कह देते थे कि जो नेशनल एजेण्डा है, वह असल *रूप में कुछ और है। हिडन एजेण्डा की बात भी की गई। मुझे एक बात याद आ गई। जब पंजाब का मसला था, हमारे शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप उस समय के प्रधानमंत्री से मिलने* आई। जब उनको मसला दिया गया तो उन्होंने आनन्दपुर साहब का रैजोल्यूशन पढ़ा। प्रधानमंत्री बोले कि इसमें तो कोई खराब बात ही नहीं है। मुझे मेरे लोगों ने बताया है कि अकालियों ने जो असली आनन्दपुर साहिब का रैजोल्यूशन था, उसे अलमारी में रखकर आये हैं, यह नकली यहां लेकर आये हैं। तो उस समय हमारी लीडरशिप ने, टोहरा साहब ने कहा कि जो रैजोल्यूशन हम लेकर आये हैं, यही पूरा कर दो। अगर हिडन एजेण्डा से डर लगता है तो जो एजेण्डा है, उसी को आप मान लो, यह मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, जो बार-बार आती रही, वह रिमोट कंट्रोल की थी। हम सब लोग जो इलैक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान रखते हैं, यही हमारे मित्र सिंधिया जी ने सुबह कहा कि नागपुर में बी.जे.पी. का रिमोट कंट्रोल है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई है भी तो दूर से चला रिमोट कंट्रोल उतना काम नहीं कर सकता, जितना नजदीक बैठा हुआ कर सकता है। आपके तो नजदीक ही बहुत हैं—अगर इनका रिमोट कण्ट्रोल है तो एक ही है न, आप तो रिमोट कंट्रोल बदलते रहते हैं। पिछले समय आप एक ओल्ड मॉडल का रिमोट कंट्रोल ले आये, वह अपने आप ही फट गया। दूसरे हाउस में चला और उसने यह हाउस उड़ा दिया। हमने बहुत शोर मचाया कि इस देश पर तरस करो। इस देश के लोग भूखे मर रहे हैं और आप रिमोट कंट्रोल से उड़ा रहे हैं। फिर इन्होंने वह रिमोट कंट्रोल बदल दिया ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा कि उसमें कोई बात आपत्तिजनक तो नहीं है।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री अजीत जोगी: इन बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कोई गलत बात होगी, तो मैं उसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: सभापति महोदय, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई गलत बात होगी तो रिकार्ड से निकाल दी जाएगी।

[अनुवाद]

मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: आपको इन बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्रेम सिंह जी आपने जो कुछ कहा है, क्या आप उसे विदड्रा करते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: वह इस तरह से हमारे नेता की खिल्ली नहीं उड़ा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: उन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने शब्द वापस लें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: पूरे सदन से माफी मांगें, पूरे देश से माफी मांगें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: उन्हें इन शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने पहले ही इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: दत्ता मेघे जी आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: कल जब विपक्ष के नेता आंकड़े दे रहे थे, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिये। मैं खड़ा हूं। आपने जो कुछ कहा है, उनको बड़ा आघात लगा है, आप अपने शब्द वापस लीजिएगा।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी: महोदय, उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुखदा मिश्र (इटावा): रिमोट कंट्रोल का शब्द किसने निकाला? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

वह विषय समाप्त हो गया।

...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: सभापति जी, कल जब श्री शरद पवार जी आंकड़े दे रहे थे तो मैं समझता था कि इन चुनावों में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, उससे उन्हें कोई सबक सीखा होगा। ...*(व्यवधान)* मगर जो आंकड़े दिए हैं, उससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। वह बोलें कि इन्हें 55 प्रतिशत वोट मिले। मुझे गांव की एक कहानी याद आ गई है। दो औरतें एक शादी में जाकर आई थी। एक ने सौ रुपए शगन में दिए और दूसरी ने ग्यारह रुपए दिए थे। एक तीसरी औरत ने पूछा कि कितना शगन डाला है? इस पर जिसने सौ रुपये दिये थे, वह तो चुप थी और जिसने ग्यारह रुपए दिये थे, वह बोली कि हम 111 रुपए डालकर आए हैं। ऐसा ही यहां पर हाल है जिन्हें तीस प्रतिशत वोट मिले, वे नहीं बोल रहे हैं और जिन्हें पच्चीस प्रतिशत मिले, वे बोलते हैं कि इन्हें 55 प्रतिशत वोट मिले हैं।

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी : इनकी गिला जायज है। वे बेचारे तेरह की तेरह सीटें पंजाब में हारकर आए हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.59 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: क्या इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये कभी चार सौ हुआ करते थे, फिर तीन सौ हुए, फिर दो सौ पर आ गए और अब 140 पर आ गए हैं।

श्रीमती सुखदा मिश्र: जबकि यू.पी. में इनकी एक भी सीट नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: सभापति महोदय, अगर किसी घर में कूड़ा-करकट हो तो उसे झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है। सफाई का एक तरीका यह भी है कि झाड़ू के बाद पौंछा भी लगाया जाता है। हमारे मित्र कमल चौधरी जी ने ठीक कहा है कि पंजाब ने इनको पौंछा ही लगा दिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्हें सोचना होगा कि ऐसी बात क्यों हुई? मैं इसलिए बोल रहा था कि माननीय जाखड़ साहब जी सुनें लेकिन वह यहां पर बैठे नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने जो चर्चा की है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह काम कैसे होगा और वह काम कैसे होगा। कार्यक्रम के बारे में तो कहा है कि अच्छा है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि यह पूरा कैसे होगा। मुझे पंजाब की एक कहावत याद आ रही है, यह कहावत सारे देश की भी है—सावन के महीने में कोई अंधा हो, तो उसे हरियाली ही हरियाली दिखायी देती है। वैसे ही अब यहां इनको दिखायी दे रही है। चिदम्बरम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विद्वान हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने यह कैसे कह दिया कि सरकार के पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है। समय कम होने के कारण मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में तीन मूल तत्व हैं—भय, भूखा और भ्रष्टाचार रहित समाज की रचना करना। यह कोई कार्यक्रम नहीं है ...*(व्यवधान)* इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कदम उठाने होंगे। सबसे जरूरी बात जो इस देश के लिए है, वह यह है कि देश में आचरण सही हो, ईमानदारी हो। हमारे देश की ईमानदारी दुनिया में मानी जाती थी। लेकिन इन पिछले पचास सालों में इस बारे में सोचना होगा, हमें शर्म आती है कि आप कैसे इस तरफ

सोचेंगे, लेकिन इन पिछले पचास सालों में विदेशों में हमारे देश की खिल्ली उड़ी है। इसलिए इस बारे में सोचना होगा कि यह कैसे हो गया। सबसे ज्यादा कलंकित हमारा देश भ्रष्टाचार के जरिए हुआ है। भ्रष्टाचार को किस प्रकार खत्म करना है, इस बारे में सोचना होगा। इसको खत्म करने के लिए एक तरीका तो कांग्रेस वालों ने अपनाया। ये पैसा भी खाते थे और खत्म करने का कानून भी बना देते थे और फिर सीबीआई ...*(व्यवधान)* अगर आप बीच में टोकेंगे, तो फिर हम आपको बोलने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार करके केस दर्ज कराते रहे। पैसे खाते रहे और केस दर्ज कराते रहे। इसका दूसंरा तरीका हमारी सरकार ने सुझाया है। असली तरीका है कि इसको मूल रूप से जोड़ा जाए, लेकिन इस बारे में पहले सोचना होगा कि कैसे हो सकता है। यह सुखराम जी ने पैदा किया। उसका कारण यह है कि जब मोनोपॉली होती थी, तो भ्रष्टाचार होता था। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार पैदा हुआ, क्योंकि इनकी मोनोपॉली रही। हर क्षेत्र में इनकी मोनोपॉली रही। मैं समझता हूं कि मोनोपॉली खत्म हो जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अभी देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब की सरकार रही, इसमें भ्रष्टाचार नहीं आया। मोनोपॉली होती है, तो भ्रष्टाचार होता है। हमारी सरकार ने इसको खत्म करने का निर्णय लिया है।

भ्रष्टाचार की दूसरी वजह है, डिस्क्रीशनरी कोटा, जैसे पेट्रोलियम, हाउस एलाटमेंट आदि। हमारी सरकार ने इसे भी खत्म करने के बारे में सोचा है। डिलेड वर्क भी सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का है। इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि एक चीज की सुविधा होते हुए भी, उसे और प्राप्त करना—जैसे एक टेलिफोन है, तो दूसरा टेलिफोन चाहता है; दो कोठियां हैं, तो चार कोठियां चाहते हैं; एक कार है, तो दूसरी कार भी चाहता है। हर चीज की एक सीमा होती है और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मूल रूप में खत्म हो सकता है। इस बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही है और वह यह कि प्रशासन की कार्यवाहियों और गतिविधियों की चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस दिशा में जा रही है।

अभिभाषण में भूख से मुक्त होने की बात भी कही गई है। देश में हर दो व्यक्ति के बाद तीसरा व्यक्ति भूख से मर रहा है। कहा जाता है कि वाजपेयी जी के मन में चिन्ता क्यों है, उनके मन में इस बात से चिन्ता न हो, तो क्या हो। देश में भूख से लोग मर रहे हैं। रुपए की कीमत कम हो रही है। इसलिए चिन्ता तो होनी ही है। आप जैसे वे नहीं हैं। यहां तो लाशों पर भंगड़े भी पाए गए और कत्लेआम हुआ, तो खुशियां भी मनाई गईं। हमारे वाजपेयी जी ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि भूख से मरने के रोज समाचार आ रहे हैं। कृषि लाभकारी न होने के कारण किसान आत्म-हत्या कर रहे हैं। जो पैदा कर रहा है वह भूखा मर रहा है, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है। जो कृषि का क्षेत्र है उसमें माइनस दो प्रतिशत प्रोडक्शन में कमी आ गई तो यह सोचने की बात है। हमारी सरकार ने सोचा है, हमारी सरकार ने नेशनल एजेंडा में भी 60 प्रतिशत प्लान का पैसा कृषि क्षेत्र के लिए दिया जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने इस नब्ज को सही रूप में पकड़ा है। मैं समझता हूं इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए। जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, प्रोडक्शन ही बढ़ाई जा सकती है। देश के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती और प्रोडक्शन के लिए कोई नयी रिसर्च नहीं हुई, डेवलपमेंट पर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया। जाखड़ जी बोल रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया। आपके समय प्वाइंट 69 प्रतिशत पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया गया जबकि हमारी सरकार दो प्रतिशत से भी अधिक खर्च करने की सोच रही है। मैं समझता हूं कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहले ऐसा होता था कि जो एवरेज प्रोडक्शन था, उसके साथ कम्पीटेशन किया जाता था। मैं समझता हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ कम्पीटिशन होना चाहिए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट हैं, देश में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स पावर सैक्टर के ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। पंजाब में थीम डेम है, जो वहां कई सालों से चल रहा है। वहां काफी पैसा खर्च हो गया लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। उसका पानी पाकिस्तान को जाता रहा। मैं समझता हूं कि ऐसे जितने ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वे मुकम्मल होने चाहिए।

मुझे इस बात की खुशी है कि फसल बीमा स्कीम, जो पहले की सरकारें सिर्फ कागजों में रखती रहीं, उसे हमारी सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत देश की कृषि को आगे बढ़ाने की है।

अब मैं जल नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश का 50 प्रतिशत जल बेकार हो जाता है, मिसमैनेजमेंट, मिस-यूटिलाइजेशन के कारण और पानी की वेस्टेज के कारण धरती के नीचे जल की सतह नीची होती जा रही है। खेती सूख रही है। पीने को पानी नहीं मिलता। इन्होंने तो स्टेट्स के आपस में झगड़े खड़े कर दिये, कोई हल नहीं किया। संगमा जी कह रहे थे कि हम कैसे पांच सालों में पानी देंगे। मैं समझता हूं कि अगर देश का पानी सही रूप से बचा कर चला जाए तो यह कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी जहां पानी न पहुंचे।

ऐसे ही बेरोजगारी का मामला है। ये कहते हैं कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बेरोजगारी दूर हो सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जो कृषि पर आधारित उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। इस

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

एम्प्लायमेंट भी बढ़ेगी। यहां मल्टीनेशनल कम्पनियां आती हैं। वे हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी जमीन इस्तेमाल करती हैं लेकिन एम्प्लायमेंट हमारे लोगों को नहीं मिलता। वे केपिटल ओरिएंटेड होती हैं जबकि लेबर ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसे ही सब्सिडी का मसला है। ऐसे कई खाद के कारखाने हैं जहां बोला गया कि हमने दस लाख टन खाद पैदा की है और दस लाख टन सब्सिडी खाद पर ले ली, जाली कागज बना दिया, जबकि पैदा एक लाख टन ही किया। ऐसा कह कर नौ लाख टन खाद पर मिलने वाली सब्सिडी ले ली और किसानों को ब्लैक में खाद मिली। ऐसे बहुत से कारखाने हैं। हम जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनको लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे ही पी.डी.एस. स्कीम में बिचौलिए ही मार जाते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह उनके पास डायरेक्ट जानी चाहिए, किसान के पास भी और कंज्यूमर के पास भी डायरेक्ट जानी चाहिए। 50 वर्षों के बाद क्षेत्रीय पार्टियों को, प्रदेशों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने से एहसास हुआ कि हमारा भी देश में हिस्सा है।

हम भी इस देश के नागरिक हैं और खुशी की बात है कि सेंटर-स्टेट रिलेशन्स को संविधान में रिव्यू करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए इस सरकार ने कहा है। वी.डी.आई.एस. स्कीम के तहत स्टेट्स को जो फुल शेयर दिया गया है वह इसी बात का संकेत देता है। यह सरकार और भी बहुत कुछ करने वाली है। हमने पिछले हाउस में कहा था कि संसद को भंग न होने दो, क्योंकि रिजल्ट दुबारा भी वही आयेगा और वही आया। इस चीज पर कोई पक्की सोच होनी चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि हमें कोई पक्का सर्टिफिकेट लिखकर दे दो, मगर यह जरूर चाहते हैं कि बार-बार देश को चुनावों में न जाना पड़े। इस बात के लिए कोई पक्की सोच होना जरूरी है। मेरा एक सुझाव सरकार के पास है और मैं समझता हूं कि सब इसे मानेंगे। मैं यह चाहता हूं कि अगर किसी को सरकार के विरोध में प्रस्ताव लाना है तो दूसरी तरफ कोई प्राइममिनिस्टर का उम्मीदवार तो लाओ। किसी एक के विरोध में प्रस्ताव आए तो दूसरे के पक्ष में भी प्रस्ताव आना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि पांच साल सरकार चल सकती है। इसी तरह से जो राज्यपाल का पद है वह खत्म होना चाहिए। मैडम, हमारे यहां 1991 में जब चुनाव हुए तो जनरल मल्होत्रा राज्यपाल थे। उन्होंने रेडियो पर रात को बोला कि निर्भय होकर वोट डालें। हम भी वहां असैम्बली के उम्मीदवार थे। जब हम एक दिन पहले वोट लेने के लिए गांव में गये तो लोगों ने कहा कि रेडियो में खबर आई है कि चुनाव कैंसिल हो गये। हम भागे-भागे एस.डी.एम. के पास आये। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम आ गयी है। जब गवर्नर को इतना भी नहीं पता तो उसकी जरूरत क्या है? मैडम, उनका दुरुपयोग होता है। इसलिए हमारी सरकार ने जो यह स्पष्ट किया है कि उनका राजनैतिक दुरुपयोग नहीं होगा, वह सही बात है। ...*(व्यवधान)*

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण विकास योजना, साक्षरता अभियान, यूथ वैलफेयर स्कीम, पीने के पानी की योजना या जो अन्य केन्द्र की स्कीमें हैं, इन पर संसद-सदस्यों द्वारा निगरानी होनी चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन इनमें होनी चाहिए तथा सार्वजनिक तौर पर लोगों को इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। इससे लोगों को इन स्कीमों से पूरा लाभ मिलेगा और पैसे का दुरुपयोग भी रुकेगा।

इसका आखिरी तत्व है—भय रहित समाज। जिन लोगों ने 50 वर्षों में से 45 वर्षों तक देश पर राज किया, उन लोगों ने यहां डर का, भय का वातावरण पैदा किया। कभी मैजोरिटी को डरा देते थे कि माइनोरिटी के लोग आपके लिए खतरा हैं, खूंखार हैं, दरिंदे हैं, भयानक हैं और उनको डराकर वोट ले लेते थे और कभी माइनोरिटी को मैजोरिटी से डराकर वोट ले लेते थे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम समाज और देश को भयरहित बनाएंगे और जो गुरू तेगबहादुर साहब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में देश की इज्जत और आन के लिए शहादत दी थी, उस इज्जत और शान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा था कि "भय काहू को भेद नहीं, न भय मानका"। मुझे खुशी है कि इसी नीति पर सरकार चल रही है और सर्वत्र का भला सोचकर, सर्वत्र का भला मानकर, इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए यह सरकार चल रही है और मुझे आशा है कि देश के लोगों ने जिस भावना और इच्छा को लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और उनके भाषण से ऐसा संकेत मिलता है कि लोगों की वह इच्छा और भावना पूरी होगी।

सभापति महोदय: अब सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मैं सब से अनुरोध करूंगी कि वे छोटी और सारगर्भित स्पीच दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिचर्चा में भाग ले सकें। यदि वे पांच मिनट में अपने विचारों को रखने में समर्थ हों तो पूरा सदन आपकी कालैरिटी और ब्रेविटी की तारीफ करेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मतलब है रसगुल्ला खाकर चाय पीना। कॉनफीडेंस वोट के बाद इस पर दो दिन से चर्चा हो रही है। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, केवल कुछ क्लैरिफिकेशन्स चाहता हूं। दुर्भाग्य से यहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित नहीं है। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं।

महोदय, इन्होंने नेशनल एजेंडा बनाया। बहुत अच्छी बात है। जैसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, बड़ों की आज्ञा मानो, ठीक वैसे ही इनके नेशनल एजेंडे से किसी को कोई आपत्ति नही हो सकती। इसमें कहा गया कि सब को पानी देंगे, खाना देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे और नौकरी देंगे। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कुछ मुद्दों का

सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है—जैसे कि संविधान संशोधन का मामला है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान की समीक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा और सरकार कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करेगी। हम इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि यह सरकार संविधान की समीक्षा किन मुद्दों पर करेगी? वह पूरे संविधान की समीक्षा करेगी या जो उनके कुछ प्वाइंट्स हैं जैसे कि हंग पार्लियामेंट और साझा सरकार होने पर सरकार कैसे काम करेगी, सरकार पांच साल तक चले, बाहर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसका संसद में ही निर्णय हो जाए, ऐसे कुछ मुद्दों पर यदि समीक्षा हो तो मुझे बात समझ में आती है लेकिन जनरल तरीके से कैसे संविधान की समीक्षा की जायेगी।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने हिडन एजेंडे का जिक्र किया, मैं इसे समझ नहीं पाया। इसे लागू करना अलग बात है। कम से कम इस बात को साफ करना चाहिये कि आपका संविधान की समीक्षा से क्या मतलब है? हमारे भाई राजेश पायलट जी ने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नेशनल एजेंडा के बारे में जो विचार रखे, उनमें विरोधाभास है। आपकी सरकार में अकाली दल है, समता पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, अन्ना डी.एम.के. है, एम.डी.एम.के., पी.एम.के. और लोक शक्ति है। इन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से कोई लेना-देना नहीं है। आपको उन पार्टियों के समर्थन से बहुमत हासिल हुआ है। आपके मैनिफेस्टो में मथुरा का मामला था, काशी का मामला था, कश्मीर के बारे में धारा 370 का मामला था, कॉमन सिविल कोड का मामला था और राम जन्म भूमि का मामला था। आपके नेशनल एजेंडा में कही बातें टेम्पोरेरी हैं या परमानैंट हैं? *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। उन्हें साफ-साफ घोषणा करनी चाहिए कि हमने उन मुद्दों को छोड़ दिया है। यदि आप यह कहते हैं कि यह मुद्दा तब तक छोड़ा है, जब तक हमारी साझा सरकार है और ज्यों ही हमारी सरकार बहुमत में आ जाएगी, हम उन मुद्दों को लागू करना शुरू कर देंगे, इसको आप स्पष्ट करें। माननीय सदस्यों का कहना है कि यह हिडन एजेंडा है।

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब दें तो बताएं कि इस मुद्दे को आपने सदा के लिए छोड़ दिया है या इन मुद्दों को तब तक के लिए छोड़ा है जब तक कि आपकी सरकार अपने बल-बूते पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ जाती है या जोड़-तोड़कर आप अपनी सरकार नहीं बना लेते हैं। कभी कभी जब कोई घटना घट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी बचने के लिए किसी और पर दोष लगा देती है। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो इन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, विश्व हिन्दू परिषद के लोग इसमें शामिल हैं। कुछ और हो जाता है तो कहते हैं कि आर.एस.एस. के लोग इसमें शामिल हैं। कभी कह देते हैं कि हम शामिल नहीं हैं, बजरंग दल के लोग शामिल हैं। आपने अलग-अलग ग्रुप बना रखे हैं। डंडा चलाने का मामला हो, हिन्दू-मुसलमानों का मामला हो तो बजरंग दल का उपयोग करते हो। *...(व्यवधान)* मैं कोई विवाद का मामला नहीं उठा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम): तब आपकी सरकार थी। जो दोषी थे उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? *...(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): आपने भी दलित सेना और दूसरी सेनाएँ बनाई हैं। *...(व्यवधान)*

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी: ग्रीन ब्रिगेड भी है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अगर आप कह दें कि आर.एस.एस., बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद भी आपके नेशनल एजेण्डा के साथ हैं तो हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि आप कुछ और कहें, आर.एस.एस. कुछ और कहे तो वह ठीक नहीं है। आज आडवाणी जी की वाणी से झलक रहा था कि उन पर कहीं न कहीं से प्रेशर पड़ा है। *...(व्यवधान)* मैंने कभी नहीं छिपाया और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र से वे आर.एस.एस. में रहे और अभी तक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर: आप जो बोल रहे हैं कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी अलग दिखाई देते हैं, यह बात गलत है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हो सकता है कि एक जहर हो और एक शुगरकोटेड हो लेकिन अंतर दोनों में थोड़ा सा है। सभापति जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं कह रही हूं कि चर्चा में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें इसके लिए इंटरप्शन कम हो तो अच्छा है।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदया, मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि लोगों को मैंने पिछली बार भी कहा था कि राम का नाम सबके साथ है, लेकिन सब लोग राम के उत्तराधिकारी हैं। तो यह कहावत है कि—

> "रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाई पर वचन न जाई॥"

प्रधानमंत्री जी ने जो वचन दिया है, कल एक वचन हुआ संगमा जी के संबंध में प्राण भी नहीं गया और वचन भी चला गया। दूसरा जो वचन है जिसमें आपने कहा है कि *...(व्यवधान)* जो आपने राष्ट्रीय एजेण्डा के नाम पर देश की जनता को वचन दिया

[श्री राम विलास पासवान]

है इस वचन के ऊपर आप सदा कायम रहेंगे, इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी को साफ तौर से राष्ट्र को देना चाहिए।

सभापति जी, दूसरी बात यह है कि कौन आदमी ईमानदार है और कौन नहीं है, यह मामला नहीं है। काम से भी झलकना चाहिए कि आप ईमानदार हैं। आपने कहा कि हम लोग सैक्यूलरिज्म की बात करते हैं। आपने इसमें जैनुइन सैक्यूलरिज्म की बात कही है। हम से भी एक कदम आगे चले गए हैं। मैं कहता हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद, जो माइनौरिटी के लोग हैं और खासकर जो मुस्लिम माइनौरिटी के लोग हैं, उनके मन में आपके प्रति शंका क्यों है, इसके क्या कारण हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* सभापति जी, यहां एक-एक घंटे तक सरकारी पक्ष के लोग बोले हैं। मैं कांफीडेंस मोशन पर भी नहीं बोला हूं। मैं आज भी नहीं बोलना चाहता था। मैं एक-एक प्वाइंट पर बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम विलास जी मैं आपसे अन्याय नहीं कर रही हूं। आप अपने समय में जल्दी खत्म कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। आप मेरी नेचर को जानती हैं। मैं इसके बावजूद भी जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं। तीसरी चीज हिंदुत्व की है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती यदि आप भारतीय संस्कृति की बात कहते। हालांकि हमारे देश के लोग भारतीय संस्कृति की हर चीज पर गर्व नहीं करते। मैं पश्चिमी सभ्यता का बहुत विरोध करता हूं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने कुछ अच्छी चीजें भी दी हैं। यदि बैलगाड़ी का युग रहता तो आज कोई दलित आदमी बैलगाड़ी पर नहीं बैठ पाता। बस, रेलवे और हवाई जहाज का युग आया, सब आदमी उनमें बैठ रहे हैं। धोती पहनने का भी अलग-अलग ढंग होता है। राजस्थान में पगड़ी बांधने का भी अलग-अलग ढंग होता है। पगड़ी बांधने से ही आप पहचान सकते हैं कि यह ठाकुर साहब की पगड़ी है, यह दलित की पगड़ी है। फुल पैंट और शर्ट है, उसमें किसी जाति का जल्दी पता नहीं चलता है। गांव में जात-पात का पता पहनावे और ओढ़ावे से लग जाता था। लेकिन आप संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि संस्कृति के साथ आप हिंदुत्व को जोड़ देते हैं। पाटिल साहब यहां बैठे हुए हैं। मुझे आज तक मालूभ नहीं है कि हिन्दुत्व का शब्द हिंदू से निकला होगा। मैंने रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़े हैं। कभी भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: हिन्दुस्तान शब्द किससे निकला है।

श्री राम विलास पासवान: हिन्दुस्तान शब्द तभी बना है जब हिंदु शब्द आया है। इसके पहले आर्यावर्त था। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम विलास जी, आप बोलिये ...*(व्यवधान)* आप अपनी बात कहते जाइये, जल्दी खत्म कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंदु शब्द आया है यह पारसी के शब्द से आया है। ...*(व्यवधान)*

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी: क्या आप हिंदुस्तान शब्द निकालना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं कहना चाहता हूं कि आप हिंदुत्व को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम मत कीजिए। हिंदू शब्द सिंधु से बना है। ईरान से जो लोग आये थे वे 'स' के बदले 'ह' बोलते थे और वहीं से हिन्दू शब्द बना है। हम लोग यह बचपन में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। इसलिए हिन्दुत्व को भारतीय संस्कृति से नहीं जोड़ा जा सकता और इसलिए जब आप भारतीय संस्कृति की बात कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो उस पर मेरा यह कहना है कि आग का कोई धर्म नहीं होता, आग न हिंदू होती है न मुसलमान होती है। पानी न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। उसी तरीके से राष्ट्र न हिंदु होता है न मुसलमान होता है। जिस समय आपने राष्ट्र को हिंदुत्व से जोड़ दिया, उस समय आप खालिस्तान शब्द को नहीं हटा सकते, इस्लामिक शब्द को नहीं हटा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का मामला है यह बहुत ही खतरनाक मामला है।

कुमारी ममता बनर्जी: राम विलास जी आप तो बी.जे.पी. का सपोर्ट लेकर जीते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, जिस तरीके से हमने सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म शब्द को बार-बार इस्तेमाल किया है। हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। यह पार्टी यथास्थितिवादी पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। किसानों की दुश्मन है, मजदूरों की दुश्मन है। इन सारी चीजों को छोड़कर हमने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। हम सेक्युलर हैं। वे कम्युनल हैं। हम सेक्युलर हैं। धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में आया कि कम्युनल का मतलब होता है कि हम माइनोरिटी के समर्थक हैं, मुसलमानों के समर्थक हैं। कम्युनल का मतलब है कि आप हिंदू के समर्थक है। यह बात आम लोगों के दिमाग में आई जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है।

सभापति महोदय मैं साफ कहना चाहता हूं कि सरकार का जो नेशनल एजेंडा है यह एक छलावा मात्र है। मैंने कहा—यह तो अच्छी बात है कि आपने विश्वास का मत प्राप्त कर लिया और विश्वास का मत प्राप्त करने के बाद आपको तीन महीने, छः

महीने या 10 महीने का जो भी टाइम मिलेगा, वह अवश्य मिलेगा। फिर आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें मौका नहीं मिला और जो बात आप हमेशा कहते थे कि हमें ये लोग सत्ता में नहीं आने देते हैं, वह बात नहीं होगी। आपके साथ जो गैर-भाजपाई लोग बैठे हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इनकी जो मंशा है वह यह है कि अपनी पार्टी को परमानेंट किया जाए और जिसे हम सब लोग इनका हिडन एजेंडा कह रहे हैं, उस छिपे हुए एजेंडे को लागू करने का काम ये लोग करने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः राम विलास जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री राम विलास पासवानः मैडम चेयरमैन, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक बात भारत और पाक के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि हमारे जार्ज साहब, जो कभी हमारे साथ थे और हमारे नेता थे, वे हमेशा भारत-पाक रिश्तों को संभालने की बात कहते थे, वे अब कैसे इस पार्टी के साथ हैं जो एटम बम बनाने की बात कर रही है। जार्ज साहब हमेशा पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात कहते रहे हैं फिर क्या एटम बम बनाने से हमारे संबंधों में बाधा पैदा नहीं होगी? आपने सरकार बनाने के साथ ही कहना शुरू कर दिया कि यदि जरूरत पड़ी, तो हम एटम बम बनाएंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारेंगे—ये दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव हैं? आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत पीने के पानी की है, खाने के लिए अन्न की है और पहनने के लिए कपड़े की है। आप रक्षा बजट देखिए, हमारे देश का पिछले वर्ष का रक्षा बजट 25 हजार करोड़ रुपये का था। यहां पूर्व रक्षा मंत्री बैठे हैं, वे मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। पाकिस्तान का भी 25 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक बजट है। इस प्रकार से दोनों देशों का रक्षा बजट 50 हजार करोड़ रुपये का हो जाता है। मजेदार बात यह है कि हम दोनों को हथियार सप्लाई करने वाला एक ही देश है। वह कभी पाकिस्तान को एफ-16 देता है, तो हमें एफ-17 और फिर पाकिस्तान को कहता है कि हम आपको एफ-18 देंगे। इस प्रकार से हम दोनों देशों का पैसा एक तीसरा ही देश ले रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः राम विलास जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री राम विलास पासवानः सभापति महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जितना धन एक पैटन टैंक बनाने में खर्च होता है, उतने धन से 100 प्राथमिक पाठशालाएं खोली जा सकती हैं, 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा सकते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि रक्षा पर व्यय करने के बजाय हम, अपने पड़ोसी देश से संबंध सुधारें, इसके लिए हम धीरे-धीरे पहल करें और अपने संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते रहें।

सभापति महोदया, अभी हमारे साथी फारुख अब्दुल्ला के नौजवान बेटे ने यहां जो भाषण दिया और कहा कि हमारे कश्मीर के विकास के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। हमें कश्मीर के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करना चाहिए।

सभापति महोदया, अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण बात शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। आपने टाडा के संबंध में कहा है कि आप उन प्रकरणों की समीक्षा करेंगे, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ, तो दुर्भाग्य से उस आदेश में एक पैराग्राफ लिख दिया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म किया जाता है। जब हम लोगों ने बहुत दबाव डाला और इस मुद्दे को जारी रखा, तो इस बारे में संविधान में संशोधन भी हुआ और वह लागू हो गया, परन्तु अक्तूबर, 1997 में वह फिर से खत्म कर दिया गया। हम लोगों ने उस मुद्दे को कैबिनेट में उठाया था और हमारी अध्यक्षता में उसके लिए एक कमेटी बनी, लेकिन दुर्भाग्य से नवंबर, 1997 में जब कमेटी की रिपोर्ट आई, तो हमारी सरकार को वह निर्णय इसलिए नहीं लेने दिया गया क्योंकि तब तक लोक सभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और हमारी सरकार काम चलाऊ सरकार बन गई थी। इस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला संविधान में संशोधन हो जाने के बाद भी रोक दिया गया है। यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं।

और जितनी जल्द हो सके, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू करने का काम करें। इसके साथ छोटे राज्यों का जो मामला है उसमें मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि विदर्भ स्टेट को भी इसमें जोड़ा जाये। हम सब लोग इसके पक्ष में हैं। इसी तरीके जो बोडोलैंड है। जब हम कल्याण मंत्री थे तब हमने इस मामले को आगे बढ़ाने का काम किया था। इन दो मुद्दों को मैं जानता हूं। जब आपने छोटे राज्य बनाने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आप इनको भी जोड़ने का काम कीजिए।

जहां तक टाडा का सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही, उसका सिंगनल अच्छा गया है कि आप टाडा कैसेज को रिव्यू करेंगे। उसके लिए एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट भी दी है कि टाडा के अंदर जो लोग जेलों में बंद हैं, जब टाडा कानून खत्म हो गया है तो उनकी सुनवाई जनरल कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। टाडा के लिए जो स्पेशल कानून बना था, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो पाइंट दिये हैं, उनमें से कुछ पाइंट का हम समर्थन करते हैं लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नेता, नीति और नीयत—इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और उनका एजेंडा हाथी के दो दांत के समान हैं, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए। जितनी भी

[श्री राम विलास पासवान]

पोलिटिकल पार्टीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको अभी बहुत सी बाधाओं से गुजरना पड़ेगा और तभी आपको मालूम होगा कि उनका असली दांत कौन सा है, दिखाने वाला कौन सा है। यह मुझे मालूम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में आये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. गंगा रेड्डी (निजामाबाद): महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप लोग शोर गुल मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं सबके साथ एकमोडेट करने की कोशिश करूंगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह आप लोगों पर डिपेंड करता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. गंगा रेड्डी: स्वतंत्रता के पचास वर्षों पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आई है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि समय का आप्टीमम यूटीलाइजेशन चाहते हैं तो शोरगुल और इंटरपशन्स कम कीजिए।

[अनुवाद]

श्री जी. गंगा रेड्डी: सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा बड़ा ही प्रशंसानीय और उदार है। यह आधुनिक समाज, विशेषतया नई पीढ़ी की वर्तमान संस्कृति को परिलक्षित करता है। इसलिए यह सरकार पूरी तरह से समक्ष है और अपने कार्यनिष्पादन का बखूबी निर्वाह करेगी। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पृष्ठ संख्या छः और सात पर कहता है, "....एक ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी कोई जाति, नस्ल या धर्म हो भारतीय होने का गौरव अनुभव करे।"

सेक्युलरवाद भारतीय परम्पराओं का अंतरंग भाग है। मेरी सरकार देश के सेक्यूलर मूल्यों को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्राय: हम धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं मैंने अपने स्कूल के दिनों में महान कवि इकबाल की एक कविता पढ़ी थी जिसे मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा:

[हिन्दी]

मैं उर्दू में एक शेर सुनाता हूं:

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन हिन्दोस्तां हमारा।

इकबाल साहब ने कम से कम 108 साल पहले हिन्दुस्तान के बारे में लिखा है।

[अनुवाद]

एक ओर तो हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तथा दूसरी ओर हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले पचास वर्षों में यह लोगों से वोट लेने का साधन मात्र बन गया है।

इस सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सभी के लिए भोजन की सुनिश्चितता का वायदा किया है। उन्होंने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। जनसंख्या नियंत्रण और बेरोजगारी को दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। अतीत में भी पूर्व सरकारों ने इन दो मुद्दों पर आश्वासन तो दिये मगर इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया। मेरी मौजूदा सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है कि इस समस्याओं के संबंध में कोई व्यावहारिक समाधान निकालें। हम लोग तो केवल भाषण ही करते हैं और महज इससे हम आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। सरकार ने महिलाओं को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भी आश्वासन दिया है।

पैरा 29 में कहा गया है कि राष्ट्रीय जल नीति का प्रभावशाली और सभी त्वरित मतभेदों को दूर करके त्वरित निपटारे के लिए समयबद्ध कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि सभी जगह विशेषतया दक्षिण में, वहां के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। हम जल आपूर्ति से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों को कैसे निपटा सकते हैं?

इसलिए मैं राष्ट्रीय सिंचाई नीति की आवश्यकता का सुझाव देना चाहता हूं। हमें कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं आरंभ करनी चाहिएं। दक्षिण में पानी की कमी है। अत: मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं बनाये जिससे संकट के

समय हम उन राज्यों की सहायता कर सकें। जहां तक मैं समझता हूं कि इस संबंध में पहले ही काफी सुझाव दिये जा चुके हैं।

इस समय सभी नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है विशेषकर महानदी, गोदावरी, पेन्ना, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों के जल को। इसलिए मैं मौजूदा सरकार से प्रार्थना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं आरम्भ करलें ताकि भारत के भविष्य और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा की जा सके। पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाकर साठ प्रतिशत तक किया जायेगा। यह सब केवल कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस वचन को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सरपंच के रूप में मैंने गांवों में देखा कि आधा एकड़ या एक एकड़ भूमि वाले किसान उर्वरकों, बीजों, अपने उत्पादों के विपणन, और अन्य समस्याओं जिनका वे सामना कर रहे हैं, के लिए विशेष रूप से साहूकारों पर निर्भर हैं। कृषि विभाग के कर्मचारी केवल जिलों का दौरा करते हैं, वे गांवों का दौरा नहीं करते। इसलिए हमारे कार्यकरण में काफी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। हम जनता के पास गलत तरीके अपनाकर केवल वोट मांगने के लिए जाते हैं। मुझे आशा है कि वर्तमान सरकार कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर ईमानदारी से कार्य करेगी, क्योंकि हमारी 70% आबादी कृषकों की है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पांच-पांच मिनट का समय मिला है तो इसका ख्याल रखा जाए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुखदा मिश्र (इटावा): 33 परसेंट तो बोलने में चाहिए और वैसे भी ज्यादा चाहिए।

सभापति महोदय: सभी को अपनी-अपनी पार्टी का समय मिला है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): महोदया, कितना समय दिया गया है? अब आपको केवल 15 मिनट दिए गए हैं। क्या आप सभी दलों को अनुमति देने जा रही हैं या अभी इसको ऐसा ही छोड़ रही हैं? कृपया मुझे बताएं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रत्येक दल को आवंटित समय के अनुसार सूची तैयार की गई है। मैं आपको आबंटित समय से भी अधिक समय दे रही हूं। मैं अधिकाधिक माननीय सदस्यों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप शोर कीजिएगा तो जो भी समय बचा है, वह भी समाप्त हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बैठिए, जो भी और दो-तीन लोग बोल सकते हैं, वे भी नहीं बोल पाएंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या तर्क है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप आएं और आपकी पार्टी को आबंटित समय को देखें और फिर यह प्रश्न उठाएं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बैठ जाइए। अपनी-अपनी पार्टी का समय देख लीजिए, फिर उसके बाद बहस कीजिए। आप बैठिए, हाउस का समय बर्बाद मत कीजिए, तभी लोग बोल सकेंगे। सुखदा जी, आप बोलिये, शुरू कीजिए।

श्रीमती सुखदा मिश्र: माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो 42वां बिन्दु है, जिसमें महात्मा गांधी जी के लिए हमने कहा है कि:

[अनुवाद]

> "महात्मा गाँधी जी इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। हम महात्मा गाँधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों के परिणामों के उत्तराधिकारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व उनके स्वप्नों और आदर्शों के अनुसार आचरण करने का है।"

[हिन्दी]

हमने यह बात इसलिए यहां से शुरू की कि महात्मा गांधी जी की शहादत के भी 50 साल हो रहे हैं। भारतवर्ष ने स्वतंत्रता के

[श्रीमती सुखदा मिश्र]

50 साल पर जो स्वर्ण जयंती मनाई थी, इसलिए हमने जरूरी समझा कि हम पहले महात्मा गांधी जी से अपनी बात शुरू करें। जवाहर लाल नेहरू ने ब्रॉडकास्ट टू दि नेशन में 14 फरवरी, 1948 में कहा था:

[अनुवाद]

> ''इस राष्ट्र के परिदृश्य में कोई संकीर्णता तथा इसे सीमाओं में बांधने का प्रयास हमें मिले इस अंतिम पाठ के प्रति विश्वासघात होगा और यह निश्चित रूप से अनर्थ होगा, इससे हमारी स्वतंत्रता, जिसे महात्मा गांधी ने हमारे व्यापक हित में अथक परिश्रम से प्राप्त किया, की क्षति होगी।''

[हिन्दी]

इसलिए हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा और हम यह प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के विचारों पर भी एक बार एक सैशन बुलाना चाहिए और उस पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

हमने लगातार डिबेट में यह देखा और सुना कि हमारे विरोधी दल के लोग राष्ट्रपति के अभिभापण पर तो कम बोल रहे हैं, लेकिन नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नैस पर बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। लगातार उसकी दिखा-दिखा कर यह बात कही गई कि नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नैस में आपने यह कहा, नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नैस में आपने यह कहा। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के 11 नम्बर बिन्दु पर आती हूं। उसमें हमने पोपुलेशन की बात की है कि राष्ट्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह जनसंख्या की है। अभी जगमोहन जी ने बहुत फीगर्स अपने भाषण में रखे। बहुत सी बातें हमारे विरोधियों ने पानी पर, बिजली पर, खेत पर, मकान पर कही। हर एक पर बहुत चिन्ता व्यक्त की गई कि हमारी यह बातें पूरी नहीं हो रही हैं। सोचने की बात है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो 34 करोड़ की आबादी थी और आज इस देश में हम 100 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। डिमांड और सप्लाई का प्रश्न है, मांग बढ़ती चली जा रही है और हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस बात को कहें कि आपको 40-45 साल हो गए राज करते हुए तो आप कहते हैं कि आप लगातार इस बात को कहते रहते हैं। लेकिन जब आपको 40-45 साल हो गए तो इस बात का कौन जिम्मेदार होगा कि यह बात क्यों नहीं पूरी हुई।

जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, यह बात कही गई कि 1977 में कांग्रेस की सरकार आपातकाल के मुद्दे पर गई थी, लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहती हूं कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया इसलिए हो गया था कि उसने वहां जनसंख्या को रोकने के लिए जबर्दस्ती की। इसका नतीजा यह हुआ कि जनसंख्या को रोकने के लिए उसके बाद किसी सरकार में और किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहले ही उस पर एक सरकार जा चुकी थी। इसलिए उनके मन में भी यह विचार नहीं आ पाया। इसके साथ ही यह वोटों का भी मामला है। इसी कारण जनसंख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब हमें इस पर सोचना पड़ेगा। मैं इसका एक कारण यह भी मानती हूं कि अभी तक हमारे यहां सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है। पांच लड़कियों के बाद भी मां-बाप यह चाहते हैं कि उनके लड़का हो, चाहे वे कितना भी पढ़े-लिखे हों। उनका मानना है कि लड़की अपने मां-बाप की सेवा करने नहीं आ सकती। यह सोच है कि हमारे यहां सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। अतः इस मुद्दे पर मैं मांग करती हूं कि हमें विशेषरूप से ध्यान देना पड़ेगा।

हम संगमा जी को धन्यवाद देते हैं, मैं उस वक्त इस सदन में नहीं थी, लेकिन मैं यहां की डिबेट सुन और देख रही थी। यहां 1 सितम्बर, 1997 को एक प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें इंडिया—एजेंडा फार इंडिया की बात हुई थी। एजेंडा फार इंडिया पर लगातार चार दिन तक उस स्पेशल सैशन में चर्चा हुई। उसमें कहा गया—

[अनुवाद]

> ''...कि जोरदार राष्ट्रीय अभियान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभियान जिसे आर्थिक समस्याओं से मुकाबला करने के लिए सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा शुरू किया जाना है और जनसंख्या की लगातार वृद्धि को पहचानें कि इस प्रकार की वृद्धि हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है।''

[हिन्दी]

यह सारे सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ और सारे नेताओं के इस पर दस्तखत हैं, तो इसमें गलत बात क्या है?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें और दूसरे स्पीकर को भी बोलने का मौका दें।

श्रीमती सुखदा मिश्र: मैं दो-तीन प्वाइंट्स और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

दूसरी बात मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूं। एक अर्से से उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात चल रही है। अभी माधवराव सिंधिया जी ने कहा कि हमने तो 33 प्रतिशत आरक्षण में सहमति जताई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इन्होंने छोटी सी बात पर संयुक्त मोर्चा की सरकार गिरा दी। अगर इसी 33 प्रतिशत वाले मुद्दे पर सरकार गिराते तो बात कुछ समझ में आती और नेशन में इनका महत्व भी बढ़ता।

मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि 1 सितम्बर 1997 में आपने सेकंड रेजोल्युशन पास किया था और उसमें लिखा था:

[अनुवाद]

> "कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेषरूप से बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र के चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन, 1995 की घोषणा तथा कार्रवाई मंच की भावनाओं के अनुरूप न्याय किया जाए ..."

[हिन्दी]

इसलिए लगातार आप लोग इस बात को कहते रहे कि एजेंडा फार इंडिया, नेशनल एजेंडा फार गवर्नेंस है। आपने यह भी कहा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो बातें है वे नेशनल एजेंडा में भी हैं इसलिए यह गलत है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारे सहयोगी अगर सहयोग की बात कहते हैं तो वह गलत है, अगर आपके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फारुक अब्दुल्ला हों तो वह अच्छे हैं और हमारे साथ आ जाएं तो अच्छे नहीं है। आपके साथ जो साथी हैं वे भ्रष्ट नहीं हैं और अगर वे हमारे साथ आ जाएं तो भ्रष्ट हो जाते हैं।

यहां पर स्थिर सरकार की बात कही गई। हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि आपने कैसे कह दिया कि हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। हमने इसलिए कह दिया कि हम स्थायी सरकार देंगे क्योंकि स्थायी सरकार देने के लिए दो-चार बातें पूरी होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके प्रधानमंत्री हैं। हमारे जितने सहयोगी दलों के लोग हैं, वे उनको प्रधानमंत्री मानते हैं जिससे हमारी सरकार स्थायी होगी। यह सरकार स्थायी इसलिए भी होगी कि हमारे ज्यादातर लोगों की सरकार में भागीदारी है और जिनकी नहीं है, हम उनसे भागीदारी की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्टेबल सरकार होगी। हमने नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस दिया है, जिसको लेकर आपको बहुत तकलीफ है।

आपने आलोचना की कि हमने ममता बनर्जी जी को बंगाल में एक पैकेज दे दिया। अरे, वह एक एम.पी. हैं, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, हम सब लोग अपने क्षेत्रों के लिए प्रगति की मांग करते हैं, अगर उन्होंने एक पैकेज मांग लिया तो इसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है। इसलिए यह सरकार स्थायी होगी।

आपने आम सहमति की बात कही है जिससे माननीय माधवराव सिंधिया जी और बलराम जाखड़ जी को बहुत परेशानी हो रही है। अपने एजेंडा ऑफ इंडिया में आम सहमति कही थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुखदा मिश्र : संगमा जी को बहुत चिंता थी। हम कह देना चाहते हैं कि आम सहमति जो हमने मांगी है, वह इसलिए मांगी है क्योंकि आज देश को आम सहमति की जरूरत है। हमें यह सुन-सुनकर बहुत ताज्जुब होता है कि जो लोग इधर बैठे हैं, वे कहते हैं कि देश में सम्मिलित सरकारों का समय आ गया है। समय आ गया है, इसे हमने भी माना है। जब हमने आम सहमति की सरकार बना ली तो बुरा हो गया और जब आपने आम सहमति की सरकार बनाई थी तब अच्छा हुआ था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए।

श्रीमती सुखदा मिश्र : एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।

जलाते चलो चिराग और रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन मिले।

कुमारी ममता बनर्जी: कल से डिबेट चल रही है लेकिन हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के सदस्यों का नाम भी जोड़ा है। सभी को एकोमोडेट किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुन तो लीजिए।

श्री मदन लाल खुराना: अभी अपोजीशन से बात हुई है। प्रधानमंत्री जी जो पहले पांच बजे उत्तर देने वाले थे, वह अब छः बजे उत्तर देंगे। जो एक घंटा है, उसमें छोटी-छोटी पार्टीज के लोगों को मौका मिल जाएगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरी एक बात मानिए। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सब शांति से डिस्कस करें और सब लोग टाइम शैड्यूल फोलो करें तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी वक्ता टाइम शैड्यूल के अंदर अपनी बात समाप्त नहीं करना चाहता।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: छोटी-छोटी पार्टी की बात नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए समय देने की कोशिश कर रही हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर, प.बं.): आप चर्चा शुरू होते ही समय पर नियंत्रण क्यों नहीं करते। आप हर बार चर्चा के समाप्त होने के समय समय-सीमा संबंधी कठिनाइयां बताते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस पर अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: मैं संसदीय कार्य मंत्री से समय पर नियंत्रण चर्चा आरम्भ किये जाने के साथ ही किये जाने का अनुरोध करूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कृपया अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिए। हमें अब चर्चा आगे बढ़ाने दें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: जब तक आप पीठासीन हैं आपको हमारी बात सुननी होगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का समय देने की कोशिश कर रही हूं। कृपया मुझे सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस तरह आपको अपनी मर्जी से लगातार बोलते नहीं रहना चाहिए।

[हिन्दी]

देखिये, इस तरह से किसी को मौका नहीं मिलेगा। आप मेरी भी परेशानी समझिए। शांति से बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, समता पार्टी आपकी सूची में है कि नहीं है?

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पलानीमनिक्कम।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, आप हमारी बात सुनिए।

सभापति महोदय: आप किसी और सदस्य को बोलने नहीं देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को समर्थक दलों को छोटी-छोटी पार्टियां कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए। यह इसलिए कि छोटी-छोटी पार्टियों की बदौलत ही यह सरकार चल रही है। छोटी-छोटी पार्टियां कह कर अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्होंने छोटी पार्टियां कहकर अपमानित करने का काम किया है, जबकि छोटी पार्टियों के बल पर ही यह सरकार चल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: छोटी पार्टियों से मेरा मतलब यह था कि छोटी पार्टियों ने समय नहीं लिया है और बड़ी पार्टियां ले सकी हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी सम्मानित सदस्यगण हैं, कोई छोटी पार्टी नहीं है। कृपा करके समय न बर्बाद करें। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप माननीय सदस्य बोलते जायें, चाहे कुछ भी हो। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो काम कैसे होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए। मैं कह रही हूं कि सभी को मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह से शोर करने से किसी को मौका नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ी हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

***श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): सभापति महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं अपने नेता और मेरे निर्वाचन क्षेत्र तन्जावूर के मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे उनका प्रतिनिधित्व करने का पुन: एक मौका दिया है। अभिभाषण में कहा गया है कि केवल संसदीय अंकगणित ही अच्छे शासन की कुंजी नहीं हो सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि यह कुंजी संसदीय बहुमत और अल्पमत के विचारों से ऊपर उठकर सहयोग, समझदारी और आम सहमति की भावना से काम करने की हम सबकी इच्छा में निहित है। यही कारण है कि उन लोगों ने भी आपको वोट दिया है जिन्हें आपकी पार्टी में विश्वास नहीं है। वैचारिक तौर पर हम आपसे भिन्न हो सकते हैं, हमें आपकी पार्टी में भी विश्वास नहीं है फिर भी हम आप में विश्वास करते हैं।

आपने यह भी उल्लेख किया है कि आप राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करेंगे। अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में, मेरी सरकार सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही करेगी और साथ ही साथ पंचायत स्तर तक शक्तियों के अधिकाधिक हस्तांतरण के उपाय ढूंढेगी। जब आप सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार करें तो आपको राजामन्नार समिति की रिपोर्ट पर भी विचार करना चाहिए। जब कभी आप यह कहते हैं कि राज्यों को और अधिक शक्तियां मिलेंगी तो हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग कतिपय राज्य सरकारों की छवि खराब करने और कतिपय मुख्यमंत्रियों का उपहास बनाने की चेष्टा करते हैं। अत: जो कुछ आप कहते हैं हमें उस पर भरोसा नहीं है। राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां पाते देखकर हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। आपने कहा है कि राजभवनों का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाएगा। या तो आप राज्यपाल के पदों को ही समाप्त कर दें अथवा उन पर आप राजनैतिक व्यक्तियों की नियुक्तियां ही न करें। इन पदों पर आप निष्पक्ष व्यक्तियों को सुशोभित करें। इस तरह से आप विश्वास पैदा कर सकते हैं।

अभिभाषण में एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने की बात कही गई है। एक ऐसे देश में जहां अनेक वर्ण और भाषा के लोग रहते हैं, नदी जल विवादों को हल करने का प्रयास भावनात्मक होकर नहीं अपितु विवेक से करना चाहिए। आपके इस प्रयास से हमें सुखद अनुभूति होती है कि इसका हल सबको साथ लेकर किया जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कावेरी अधिकरण द्वारा दिए गए अवार्ड का क्रियान्वयन करे जो हमारे अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 14 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। आपने यह भी कहा है कि सरकार आतंकवाद, तोड़-फोड़ और विद्रोह की समस्या से लड़ने के लिए संघर्ष करेगी। इन गतिविधियों से आज प्रत्येक आम आदमी भयभीत है। जैसाकि आपने कहा है कि हमारी प्राथमिकता देश को तथा देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की होगी, यह सच है कि आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियां देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस समस्या को लेकर वास्तव में चिन्तित हैं। केवल पिछले एक वर्ष में ही दिल्ली में 23 बम विस्फोट हुए हैं। सैंकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकवाद और उग्रवाद में वृद्धि को देखना हमारे लिए एक आम बात हो गई है जिसकी परिणति निर्दोष लोगों की मौत में होती है। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस्तीफे की मांग करना भी उचित नहीं होगा। मैं तो केवल आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के मार्गोपायों को सुझाना चाहता हूं।

1991 से 1996 तक तमिलनाडु में पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान 336 बम विस्फोट की घटनाएं हुई थीं। यह सत्य है कि हम इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसी तरह से कुछेक बम विस्फोट की घटनाएं, जो होती रहती हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं। किसी पर उंगली उठाना गलत है। इस समय तमिलनाडु सरकार आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने तथा अपराधियों की धरपकड़ सख्ती से करने के लिए प्रभावशाली उपाय कर रही है। अभी तक सैकड़ों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक पदार्थों और अनेक तरह के बमों को जब्त किया गया है। मेरे कुछेक मित्रों ने यहां दिये अपने भाषणों में कहा है कि तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो तमिलनाडु को आतंकवादियों और हिंसा का स्वर्ग बनाने के लिए जिम्मेदार थे। ये वही लोग हैं जो तमिलनाडु को आतंकवाद और हिंसा का अड्डा बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। दल के नेता को सूचित किये बिना, इस देश की सरकार को जानकारी दिए बिना उन्होंने अवैध रूप से समुद्री सीमा पार की। हमारे नेता "कलायग्नार" जो कभी किसी के सामने नहीं झुके थे, उन्हें भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या पर शोक व्यक्त करना पड़ा। उन्हीं लोगों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है।

आपने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का वायदा किया है। लेकिन आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के साथ गठबंधन कर लिया है। तब यह कैसे संभव है? हम किस प्रकार विश्वास करें? मेरे मित्र, जो यहाँ बोले हैं, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे झूठे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया साक्ष्य से यह पता चलता है कि जयललिता भ्रष्टाचार में संलिप्त है? लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्ट जयललिता की सम्पत्ति को जब्त करवाने की मांग करते हुए कन्याकुमारी से चेन्नई तक "पदयात्रा" की थी, वे भी अब स्वयं इसका खण्डन कर रहे हैं। माननीय मंत्री वी. राममूर्ति और माननीय सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के दल की सहयोगी सुश्री चन्द्रलेखा ने तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल को एक याचिका दी थी। इसमें लिखा था–

> "सुश्री जयललिता के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की सरकार भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री, स्वयं अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं और बेहिसाब धन इकट्ठा कर रही हैं। यह मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कानून के उल्लंघन का मामला है। इस राज्य में एक भ्रष्ट राजनीतिक ढांचा विकसित हुआ है।
>
> मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री राज्य को लूट रहं हैं। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकारी तन्त्र अवरुद्ध हो गया है। नौकरशाही चुप है। पुलिस बल असहाय हो गया है। अपराध दर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। जिन लोगों के खिलाफ अपराधिक मामले दायर हैं, वे राज्य पर शासन कर रहे हैं और विभिन्न निगमों में कार्य कर रहे हैं। संवैधानिक तंत्र पूर्णरूप से चरमरा गया है।"

तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल के समक्ष 18.3.94 को जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसमें इन सभी बातों का उल्लेख मिलता है। इन लोगों का अब यह कहना है कि ये सभी मामले झूठे हैं। श्री वी. राममूर्ति ने प्रेस को यह बताया है कि तमिलनाडु में यदि सुश्री जयललिता के खिलाफ दायर किए गए मामलों में न्यायालय निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाता है तो दिल्ली में बैठे राजनीतिज्ञ इस पर नजर रखेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में उनकी भी यही राय है।

हमारे एक साथी सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आन्दोलन किए। उन्हें अखिल भारतीय अन्ना द्रमुख के समर्थकों का अनोखे विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनके चेहरे पर तेजाब फेंककर भी हमला किया। लेकिन अब वे भी कहते हैं कि ये सभी मामले झूठे हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इन लोगों को इतने कम समय में क्या हो गया है। मैं यह देख रहा हूं कि राष्ट्रपति के इस

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

अभिभाषण पर गत 2 दिनों के दौरान कई गैर-कांग्रेसी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिर भी हमने यह पाया है कि आपने उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। अतः हम इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बहुत हो चुका। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया शोर मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया सदन का समय व्यर्थ न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दूँगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए।

यदि कोई आपत्तिजनक बातें दिखाई देंगी तो उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

सभापति महोदयः अब मैं अगले माननीय सदस्य को आमंत्रित करूंगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बहुत हो गया। कृपया अब समाप्त करें अन्यथा मैं अगले माननीय सदस्य को अपना भाषण देने के लिए आमंत्रित करूंगी।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय जी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं, दूसरे माननीय वक्ता को आना है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः सभापति महोदय, मैं समाप्त कर दूंगा। कृपया मुझे एक और मिनट का समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : ...*(व्यवधान)* सुश्री जयललिता से संबंधित मामलों में तमिलनाडु में कानूनी प्रक्रिया चले, दिल्ली की राजनीति उसकी निगरानी करेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः अब मैं श्री प्रभात कुमार सामन्तराय को बोलने के लिए आमंत्रित करती हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब कृपया समाप्त करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री प्रभात कुमार सामन्तराय जी, कृपया अब आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदया, अध्यक्षपीठ का ध्यानाकर्षित करने के लिए इस तरह का व्यवहार करने हेतु मैं मजबूर हूं और ऐसा करने के बाद ही अध्यक्षपीठ ने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यक्षपीठ द्वारा इस तरह के नकारात्मक रवैया को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणी करने पर मुझे खेद है।

मैं बीजू जनता दल की ओर से मेरे सम्मानीय सहयोगी श्री शान्ता कुमार द्वारा पेश राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय मैं बड़ी तल्लीनता से दोनों तरफ के सदस्यों की बातें सुन रहा था तथा यह आशा कर रहा था कि वे पिछले पचास साल के शासन के व्यापक अनुभव के आधार पर अपने सुझाव देंगे। कुछ सदस्य जो दल बदल कर उस ओर से इस ओर आ गए हैं वे भी यहां उपस्थित हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे अपने व्यापक अनुभव के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे तथा हमें यह बताएंगे कि देश ने कहां गलती की और वे हमें देश के भविष्य को संवारने के लिए इन सभी विषयों के बारे में अपने सुझाव भी देंगे। जिनसे संबंधित महामहिम राष्ट्रपति ने 25 मार्च, 1998 को समवेत दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था। लेकिन यह सुनकर मैं चकरा गया कि मार्गदर्शन करने के बजाय उन्होंने ऐसा आभास दिया कि मानो पिछले पचास वर्षों से इस देश में सुचारू शासन है ही नहीं और मानो अचानक ही हम सब नींद से जागे हों, उन्होंने इस वर्तमान सरकार के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं जिसने अभी शपथ ही ली है तथा जो राष्ट्र के समक्ष प्राथमिकताओं के प्रति वचनबद्ध है। इस तरह की आशंकाएं न केवल उनके द्वारा व्यक्त की गई हैं जिन्होंने पिछले पचास वर्षों तक इस देश पर शासन किया बल्कि उनके द्वारा भी जो इस सरकार में सहभागी हैं। इसके साथ ही हमें इस बात को मानना होगा कि आजादी के पचास वर्षों में हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे जिनके लिए देश ने एक के बाद एक सरकारें चुनी।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के माध्यम से हमें याद दिलाया कि इस देश में जनसंख्या की अत्यधिकता इस देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। इस देश में साक्षरता 48 प्रतिशत है। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हमें गरीबी, भुखमरी और अन्य कई गंभीर समस्याओं की याद दिलायी है। राष्ट्रपति ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तो रास्ता बताया ही साथ ही उन्होंने ये बताया कि नए भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है। दोनों सदनों के माध्यम से राष्ट्र को दिए गये अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने यही मुद्दे राष्ट्र को बतलाये हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में वायदा किया कि लोगों के मन से असुरक्षा की भावना को खत्म कर दिया जाएगा। आज दिल्ली से लेकर देश के किसी भी हिस्से तक कानून व्यवस्था की समस्या किसी सरकार की न होकर हरेक व्यक्ति की है। मानो कानून व्यवस्था किसी व्यक्ति की संपत्ति हो न कि सरकार की। राष्ट्रपति ने वायदा किया है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, कानून व्यवस्था को सक्षमतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने भुखमरी, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं का जिक्र किया है जिनका समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

सभापति महोदया, मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आपके एवं अपने सहयोगियों के माध्यम से उड़ीसा के अनदेखा किये जाने के स्पष्ट उदाहरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं। केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पचास सालों से उड़ीसा को हर क्षेत्र में अनदेखा किया गया है। उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। काश मैं याद दिला सकूं कि देश के कुल लौह अयस्क भण्डार का 26 प्रतिशत भण्डार अकेले उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोयले का भण्डार देश के कुल भण्डार के 23.6 प्रतिशत से भी अधिक है। बाक्साइट भण्डार 29 प्रतिशत है। क्रोमाइट भण्डार 98.2 प्रतिशत है। अभी उड़ीसा म कोई औद्योगिक हलचल नहीं हुई है। बाक्साइट को छोड़कर उन सभी खनिज पदार्थो से संबंधित उड़ीसा में कोई औद्योगिक गतिविधि वहां नहीं हुई है। पिछले 50 वर्षों से उड़ीसा को अनदेखा किया गया है।

हम, बीजू जनता दल का मतलब है व्यापार। हमें यहां न केवल दिल्ली में प्रत्येक को याद दिलाने के लिए भेजा गया है बल्कि उड़ीसा के लोगों की सेवा के लिए भी भेजा गया है। हम चुप नहीं रहेंगे। पिछले पचास वर्षों से उड़ीसा को अनदेखा किया गया है। हमें यहाँ अपने राज्य के लोगों की मांग उठाने, लोगों की सेवा करने तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भेजा गया है। मैं यही कहना चाहता था।

महोदया, मैं आपका ध्यान अपने राज्य में रेलवे लाइनों की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। स्वतंत्रता के पश्चात शायद ही उड़ीसा में कोई नई रेल लाईन बिछाई गई हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक टुकड़ियों के आने जाने के लिए बंगाल और चेन्नई को जोड़ने का एक प्रयास किया गया था। उन दिनों इसका नाम बी.एन.आर. हुआ करता था जिसे आज दक्षिण पूर्व रेलवे के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उड़ीसा में मुश्किल से ही कोई नई रेल लाईन बिछाई गई होगी। परियोजनाएं तो अनेक हैं।

तेलचर, सम्बलपुर, खुर्द, बोलनगीर, हरिदासपुर-प्रदीप तथा और बहुत सी परियोजनाएं हैं। लेकिन बजटीय प्रावधान बहुत सीमित हैं। पिछले 20 वर्षों से कुछ नहीं किया गया है।

महोदया, मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण सभा का ध्यान एक दूसरे तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उपेक्षा केवल उड़ीसा की ही नहीं की जा रही है बल्कि उड़ीसा के महान सपूत श्री बीजू पटनायक की भी उपेक्षा की जा रही है। श्री बीजू पटनायक वह व्यक्ति थे जिन्हें दूसरे दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। इन्डोनेशिया ने उनका सम्मान किया और रूस ने उनका सम्मान किया। परंतु इस देश ने उस आदमी का जिसने पाकिस्तान द्वारा किए गए गए आक्रमण के दौरान जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना को उतारने के लिए सर्वप्रथम भारतीय विमान से उड़ान भरी, कोई सम्मान नहीं दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात इस सम्माननीय सभा में अनेक लोगों ने उनकी अनेक बातों का वर्णन किया। परन्तु भारत ने इस महान सपूत को सम्मानित करने के लिए कुछ नहीं किया।

[श्री प्रभात कुमार सामन्तराय]

महोदया, मैं सभी सदस्यों का ध्यान न केवल उड़ीसा की उपेक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं बल्कि बीजू पटनायक के सम्मान की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप चेयर के साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं सबको बोलने का मौका देने की कोशिश कर रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कौन से रूल के अन्तर्गत आपका प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री मित्रसेन यादव: हमारी समाजवादी पार्टी के 20 सदस्य हैं। उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुब्रत मुखर्जी: क्षमा करें, महोदया, मैं विरोधस्वरूप अपना नाम वापिस ले रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिए और मेरे साथ सहयोग कीजिए।

डा. बिक्रम सरकार (हावड़ा): सभापति महोदया, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने और पहली बार इस माननीय सदन में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं।

आरम्भ में, मैं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह कहना चाहूंगा कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुझे यहाँ माननीय वरिष्ठ सदस्यों के अच्छे भाषण सुनने का अवसर मिला है। इस प्रकार, एक सांसद के रूप में मेरी सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। मैं यह भी सीख रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए।

मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के एक माननीय वरिष्ठ सदस्य ने महिलाओं के प्रति कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इससे हम सबको दुःख हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं यह भी सीख रहा हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए।

महोदया, हावड़ा, हुगली नदी के किनारे स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है और मैं इस हावड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह पूर्व और पूर्वोत्तर भारत का रेलवे प्रवेश द्वार भी है, जिसकी उपेक्षा केन्द्र सरकार गत 50 वर्षों के दौरान तथा अब तक करती आ रही है। इसलिए हमारे दल की ओर से हमने बंगाल पैकेज को प्रस्तुत किया है जिसमें कई मदें शामिल हैं जिसके लिए संसाधनों आदि की आवश्यकता है। मैं हावड़ा के बारे में बोल रहा हूं। यह क्षेत्र एक समय औद्योगिक गतिविधियों में व्यस्त रहा करता था और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों से कई मजदूर यहाँ काम की तलाश में आते थे। यह एक प्रकार से छोटा भारत है।

वर्ष 1977 में ही उद्योग में बड़े पैमाने पर गिरावट की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई थी। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा समय पर अवसर का लाभ न उठा पाने के कारण बंगाल में वर्तमान आर्थिक, औद्योगिक व अवसंरचनात्मक स्थिति कोई उत्साहजनक नहीं है। यह मैं एक सिविल कर्मचारी की हैसियत से साढ़े तीन दशक के अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव के रूप में काम करने के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ।

मुझे मालूम है कि इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहने के बावजूद आई.ई.एम. (औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन) के नए निवेश प्रस्ताव अन्य राज्यों की तुलना में आशातीत नहीं है। मेरे पास इस संबंध में आंकड़े हैं लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं इस माननीय सदन को बता सकूं।

छोटे स्तर पर हावड़ा में बहुत बड़ी संख्या में मझौले आकार की लघु औद्योगिक इकाइयां, लौह और इस्पात प्रसंस्करण इकाइयां बंद कर दी गई हैं और यह अर्थक्षम नहीं है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का कमजोर होने का एक बड़ा कारण इतनी अधिक संख्या में औद्योगिक इकाइयों का बंद हो जाना है। यही स्थिति पटसन उद्योग की भी है।

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी., एच.डी.पी.ई. और कलकत्ता पत्तन का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इन सभी को औद्योगिक पुनरुद्धार और रोजगार सृजन के लिए उचित केन्द्रीय निवेश की आवश्यकता है। इन सभी खामियों की ओर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कलकत्ता पतन के स्तर की बात स्वयंमेव आ जाती है। मुझे 1993 से 1997 तक कलकत्ता पतन के अध्यक्ष के बतौर कार्य करने का अवसर मिला है। मैं भारत और हमारे मित्र व पड़ोसी

बंगलादेश के बीच फर्रखा बांध के लिए भागीरथी-हुगली जल बंटवारे के संबंध में दिसम्बर, 1996 में हुए समझौते का उल्लेख करूंगा। इसका कलकत्ता पतन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर व्यापक चर्चा बाद में की जा सकती है।

फिलहाल मैं कुछ ही बातों का उल्लेख करना चाहता हूं अर्थात नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है, नदी का पानी काफी खारा हो गया है जिससे बायलर वाले उद्योगों को काफी खतरा पैदा हो गया है, तथा हावड़ा, हुगली और नाडिया जिलों में नदी से पीने के पानी की योजनाओं को खतरा पैदा हो गया है। इससे इस नदी के दोनों किनारों के अनेक जिलों में बहुत से गांव भी प्रभावित हुए हैं। जल बंटवारा समझौते के कार्यान्वयन से अभी तक पश्चिम बंगाल और बंगलादेश किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। अत: समझौते की तत्काल समीक्षा आवश्यक है।

हावड़ा में बुनियादी ढांचे के संबंध में हमने पहले ही कई बातें कही हैं लेकिन मैं विशेष रूप से मौरीग्राम फ्लाइओवर, लिलुआ रेलवे स्टैक यार्ड जहाँ काम शुरू हो चुका है पर योजना दर योजना चलता ही जा रहा है, और सियालदा व हावड़ा को साल्ट लेक के रास्ते जोड़ने के लिए मेट्रो रेलवे के विस्तार का उल्लेख करूंगा।

इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेरा कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बेहतर, उन्नत, समृद्ध भारत का निर्माण करने और प्रत्येक नागरिक को भारतीय होने का गर्व प्रदान करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर उचित रूप से ध्यान दिलाया गया है। सरकार ने निर्धनों और असमर्थ लोगों की सहायता को उच्च प्राथमिकता दी है।

मुझे 1982 से 1987 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था जहां विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के मामलों की देखरेख का काम था, और मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कह सकता हूं कि अब तक जो कुछ भी किया गया है वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के विकास के मामले में एक मौखिक आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कर दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदया, उन्होंने केवल तीन मिनट लिए हैं। कृपया उन्हें कम से कम 5-6 मिनट तो दीजिए।

सभापति महोदय: उन्होंने पहले ही सात मिनट बोल लिया है। कृपया, अब समाप्त कर दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: ठीक है। रोक दीजिए। दूसरे सदस्यों को बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो कृपया समाप्त कर दीजिए।

श्री राजेश पायलट: महोदया हमें एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। उन्हें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रही हूँ।

डा. बिक्रम सरकार: महोदया, जहां तक पूर्व भारत का संबंध है, कलकत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यह पेटेन्ट कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी मुद्रा शाखा, कोल इंडिया, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे जैसे असंख्य संस्थानों का मुख्यालय है। मैं समझता हूँ कि गत कुछ वर्षों में अस्थिरता के नाम पर अथवा अन्य किसी बहाने से इन संस्थानों के मुख्यालयों को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। यह केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के हित में होगा कि इन संस्थानों के मुख्यालयों को पश्चिम बंगाल में ही रहने दिया जाये। यह अत्यन्त आवश्यक है। अत: महोदया हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में कार्यवाही करें ताकि इन संस्थानों के सभी मुख्यालयों को कलकत्ते में ही रहने दिया जाये।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करूँगा कि पब्लिक शेयर एकाउन्ट के नाम से भारी वित्तीय अनियमितताएं बरती गईं। महोदया, आपको यह मालूम हो कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इन निधियों का आबंटन करती है। लेकिन मुझे खेद है कि इन निधियों का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। अत: यह सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि इन निधियों का उपयोग उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाये जिन उद्देश्यों के लिए इन्हें आबंटित किया गया है।

यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं स्वामी विवेकानन्द जी को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

"मूव ऑन, ओ लॉर्ड, इन दाई रेजिस्टलेस पाथ,
टिल दाई नून ओवर स्प्रेड्स द वर्ल्ड,
टिल एवरी लैंड रिफ्लैक्ट्स दाई लाइट,
टिल मेन एण्ड वीमेन विद अपलिफ्टेड हेड,
बिहोल्ड देयर शैक्ल्स ब्रोकन एण्ड नो, इन स्प्रिंगिंग ज्वाय,
देयर लाइफ रिन्यूड"

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ...*(व्यवधान)* लालू प्रसाद जी जो कुछ कहते हैं मैं उनका भी आभारी हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात कहिये।

श्री सुब्रत मुखर्जी: सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण आलोचना करने के लायक नहीं है।

सभापति महोदया, सरकार का जो वक्तव्य राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के रूप में सदन के दोनों सदनों के समवेत सदस्यों के सामने दिया गया है इसकी चर्चा और आलोचना करना आवश्यक हो जाता है और यह भी आवश्यक हो जाता है कि मैं अपनी बातों को अभिभाषण में दर्शाई गई बातों तक ही सीमित रखूं। मैं ऐसी बातों पर ही चर्चा करूंगा जिन पर इस सदन में कम ही चर्चा होती है। इस अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे प्री-इंडिपेंडेंस का युग आ गया हो। उस समय जैसे भाषण दिये जाते थे, वैसा ही यह भाषण है। इसमें कहा गया है कि यह करेंगे, वह करेंगे जिससे देश का चेहरा एकदम बदल जाएगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें एक भी बिन्दु पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि हम किस रास्ते से चलकर किस प्रकार से इसमें कही गई बातों को पूर्ण करेंगे और कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिभाषण मात्र घोषणाओं का ही पुलिंदा है और कैसे वे घोषणाएं पूरी होंगी, इस बारे में हमें ही नहीं देश की जनता के मन में भी आशंकाएं हैं और उनके मन में ऐसी आशंकाएं जागना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सभापति महोदय, जैसे अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुखर्जी साहब, एक मिनट के लिए कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा है शाम 5.30 बजे का समय नियम 377 का है। यदि नियम 377 में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की अनुमति हो, तो इन भाषणों को सदन के सभा पटल पर रखा माना जाए ताकि राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रह सके।

[अनुवाद]

यदि सभी सदस्यों की सहमति हो तो उन्हें सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

अपराह्न 5.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लोगों को बिजली और पानी के कनैक्शन देने तथा उन्हें ये सुविधायें शीघ्र प्रदान करने के लिए वर्तमान नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हजारों लोग गांवों एवं कालोनियों में रहते हैं। गांवों में बहुत सारे लोग गांव की लाल लकीर के बाहर अपनी जमीन पर बनाये गये अपने ही मकानों में रहते हैं। परंतु इनमें से अधिकांश लोगों को बिजली एवं पानी के स्वतंत्र कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इस कारण इन लोगों को काफी दिक्कतों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह लोग बहुत लम्बे अरसे से यह मांग करते आ रहे हैं कि इन्हें बिजली एवं पानी की सुविधा दी जाये।

पिछले कुछ महीनों से इस संबंध में लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों ने भी सरकार को इस संबंध में ज्ञापन दिये हैं। इन लोगों ने भी अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष किया है तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। बिजली एवं पानी के बिना आज किसी भी नागरिक का जीवन जीना लगभग असम्भव है। यह जीवन की मूल-भूत सुविधायें हैं जो प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार के तौर पर मिलनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से पिछले 50 वर्षों में भी चंडीगढ़ जैसे क्षेत्र में जिसे दुनिया का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है, यह सुविधायें देश की सरकारों ने उपलब्ध नहीं करवायी हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि वह चंडीगढ़ संघीय शासित प्रदेश में बिजली एवं पानी के कनेक्शन देने की अपनी वर्तमान नीति में संशोधन करे तथा इस प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात प्रत्येक घर एवं झुग्गी को स्वतंत्र रूप से बिजली एवं पानी के कनेक्शन जारी करे तथा यह कनेक्शन 14 अगस्त, 1998 तक जारी कर दिये जायें ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50वें वर्ष की समाप्ति से पहले ही यह मूलभूत सुविधा सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके।

(दो) बिहार के कोडरमा जिले में बरियाडीह मोड़ पर आयुध कारखाना शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): बिहार प्रदेश के अत्यंत उपेक्षित, शोषित एवं पिछड़े क्षेत्र वनांचल स्थित मरकच्चों जिला

---

*पाठ सभा पटल पर रखे माने गए।

कोडरमा के बरियाडीह मोड़ पर एक आयुध कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 1984 से ही सबसे उपयुक्त स्थान के लिए जांच कराई थी। बहुत स्थानों में से मरकच्चों प्रखंड में बरियाडीह मोड़ का स्थल सभी दृष्टियों से उपयुक्त माना गया था। 7500 एकड़ भूखंड सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट कहा गया। इस भूखंड में मात्र 125 परिवार विस्थापित होंगे, जो नगण्य है। ग्रैंड कार्ड रेल लाइन—कलकत्ता एवं दिल्ली जाने के लिए मात्र 8 कि.मी. दूरी पर पास करती है। जी.टी. रोड तथा एन.एच. 31 भी समीप है। पानी, मौसम, भूमि, वन, आदि की जांच विशेषज्ञों के द्वारा हो चुकी है।

आयुध निर्माण के लिए कच्चा माल 100 कि.मी. के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस कारखाने की स्थापना हेतु बेरोजगार युवक कई बार धरना, प्रदर्शन एवं रोड जाम कर चुके हैं। बिहार सरकार ने भी रक्षा मंत्रालय को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भूमि प्राय: वन विभाग की है जो कि बिना खर्च के उपलब्ध है।

इस आर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए विगत 12-14 वर्षों से मोटी संचिका ठंडे बस्ते के रूप में रक्षा मंत्रालय में पड़ी है। मैंने 7वीं, 9वीं एवं 11वीं, लोक सभा में बार-बार इस प्रश्न को उठाया है। कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले की पिछड़ी जनता के लिए यह कारखाना एक वरदान सिद्ध होगा। इस क्षेत्र से हजारों हजार बेरोजगारों का पलायन रोकने तथा इस अभ्रक व्यवसाय के मृतप्राय: उद्योग से प्रभावित लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऋण मिलेगा। यह कार्य राष्ट्रीय एजेंडा के अंतर्गत लिया जाये।

प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध है कि इस आयुध निर्माणी (आर्डिनेंस फैक्ट्री) संबंधित चिरलंबित संचिका पर तुरन्त कार्यवाही की जाये और उत्तरी वनांचल के इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापनार्थ कारगर कदम उठा कर आगामी बजट में जोड़ा जाये।

(तीन) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक समान शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल और गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

डा. संजय सिंह (अमेठी): उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। ग्रामों तथा पुरबों मजरों में प्राथमिक पाठशाला तथा जू.हा. एवं कन्या जू.हा. स्कूल नहीं हैं। जहां से दूरी 3 कि.मी. से लेकर 10 कि.मी. तक है। जहां पर आबादी 500 से लेकर 3000 तक की है। इसलिए अमेठी संसदीय क्षेत्र को सबके लिए समान शिक्षा कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाए जिससे जिले के ग्रामीण अंचलों में प्रा. पाठशालाएं तथा जू.हा. एवं कन्या जू.हा. स्कूल खोले जा सकें।

(चार) उत्तर प्रदेश में आंवला में चीनी मिल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय आंवला लोक सभा क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है। वहां पर रोजगार के साधन नहीं है और गन्ना किसानों के लिए कोई चीनी मिल भी नहीं है। ऐसी दशा में मेरे चुनाव क्षेत्र में कम से कम दो चीनी मिलों की आवश्यकता है। जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिले और साथ ही साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके और साथ-साथ क्षेत्र का विकास भी हो सके।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र आंवला, उत्तर प्रदेश में यथा शीघ्र चीनी मिल लगाने की स्वीकृति दी जाये।

[अनुवाद]

(पांच) गुजरात के कच्छ जिले में समात्रा में टी.वी. टावर के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता ताकि लोग दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम साफ-साफ देख सकें

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): हाल ही में 'सामभान' नामक एक स्थानीय समाचार पत्र दिनांक 26.3.98 में एक समाचार छपा था कि पाकिस्तान के टी.वी कार्यक्रमों का मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ जिला (गुजरात) अर्थात पाकिस्तान की सीमा के पास रहने वाले लोगों के दिमागों पर बहुत ही प्रतिकूल और खतरनाक प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग गुजरात के कच्छ जिले में भुजतलुका में समात्रा गांव के निकट बने दूरदर्शन के टी.वी. टावर के बावजूद दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं। यह टी.वी. टावर वहां के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने में पूर्णत: विफल है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि गुजरात के कच्छ जिले में समात्रा के टी.वी. टावर के कार्यकरण में सुधार किया जाये।

[हिन्दी]

(छह) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): मध्यप्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में भयंकर ओलावृष्टि के कारण किसानों की पहले सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, किसान अभी उबर भी नहीं पाया था कि पुन: हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना तथा मसूर की

फसलें भी चौपट हो गई। ओलावृष्टि इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति मर गया, अनेक घायल हुए। सैंकड़ों पशु-पक्षी मर गये, मकान नष्ट हो गये हैं। प्रदेश की सरकार किसानों को राहत देने में पूर्णत: विफल सिद्ध हुई है। केन्द्र सरकार तत्काल केन्द्रीय दल भेजकर क्षति का आंकलन कर राहत हेतु प्रभावी कदम उठाये।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा में बिमलगढ़ और तालचेर रेल परियोजना को पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़): आजादी के पचास वर्षों के बाद भी राउरकेला शहर से भुवनेश्वर तक कोई सीधा रेल मार्ग नहीं है। इस परियोजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण जनता पार्टी की सरकार के शासन काल के दौरान 1977 में किया गया था। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ कि अनेक जनआंदोलनों के बावजूद इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका।

बिमलगढ़ से तालचेर रेल परियोजना नामक रेल सम्पर्क मार्ग सुन्दरगढ़, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल और कटक जैसे महत्वपूर्ण जिलों को सीधे जोड़ेगी। इस रेल मार्ग द्वारा कोयला, लौह अयस्कों मैंगनीज और डोलोमाइट की ढुलाई भी सहज रूप से की जा सकेगी।

[हिन्दी]

(आठ) गुजरात में पाटण और मेहसाणा के बीच धिणौज में क्षतिग्रस्त रेलवे पुल का पुनर्निर्माण कराने तथा इस क्षेत्र में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री महेश कुमार कनोडिया (पाटण): मेरे क्षेत्र उत्तर गुजरात में पाटण में बाढ़ का पानी आने के कारण कई रेल पटरियां टूट गई थी। पाटण से मेहसाणा के बीच धिणौज के पास वाला पुल टूट गया था, आज सात महीने से अधिक समय हो गया लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी इसे देखने के लिए नहीं आया। यह पुल टूटने के कारण क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है और इस क्षेत्र से नौकरी पर जाने वाले लोग अपनी नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस पुल के टूटने से प्रतिदिन का किराया बहुत ज्यादा पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पुल को तुरन्त बनाया जाये जिससे कि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। पाटण एक प्रमुख शहर है। सिर्फ पाटण ही नहीं बल्कि मेहसाणा तारंगा हिल ट्रेन भी सरकार ने बंद कर दी है, उसे जल्दी से जल्दी फिर शुरू किया जाये और साथ-साथ अबली या सण बीजापुर ट्रेन भी बंद *है जिससे लोगों को बहुत परेशानी है। इसे पुन: आरम्भ किया जाये और पाटण कांसा भिलडी को भी जोड़ दें ताकि दिल्ली आने-जाने का रास्ता आसान हो जाये।*

उत्तर गुजरात की सभी ट्रेनों को आप शीघ्र अति शीघ्र पुन: आरम्भ करने की कृपा करेंगे और अहमदाबाद दिल्ली राजधानी जो कि सप्ताह में एक दिन चलती है, उसे सप्ताह में कम से कम 5 दिन चलाया जाये।

[अनुवाद]

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गांव को इकाई मानकर फसल बीमा शुरू किये जाने की आवश्यकता

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा): मैं आन्ध्र प्रदेश में अनेक किसानों की दयनीत स्थिति के बारे में इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं। पिछले छह महीनों के दौरान, 200 से अधिक किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और बैंकों और अन्य महाजनों से लिए गए फसल संबंधी ऋण को चुका न पाने के कारण वहां प्रतिदिन 4-5 किसानों ने आत्महत्या की। यहां तक कि, अभी वर्षा न होने और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण वित्तीय संकट से त्रस्त होकर एक अथवा दो और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना प्रदेश में अधिक किसान अपनी बलि दे रहे हैं।

महोदय मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह किसानों के इस समुदाय को अपनी मुसीबतों से राहत दिलाने के लिए बैंकों को ऋणों की वसूली के लिए दबाव डालने से रोके और राज्य सरकारों को भूमि राजस्व इत्यादि एकत्र करना बन्द करने को कहे तथा किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए, उनके लिए और ऋण दिलाए।

महोदय इस महान देश में, किसानों के इस समुदाय की देखभाल करने के लिए एक गांव को इकाई मानकर फसल बीमा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए क्योंकि एकमात्र यही रक्षा प्रदान करने वाला उपाय है।

[हिन्दी]

(दस) मध्य प्रदेश में विशेषकर रायपुर, बिलासपुर तथा रीवा संभाग के ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): मध्य प्रदेश के समस्त 45 जिलों में जनवरी, फरवरी, 1998 में हुयी भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से खरीफ और रवी की फसलों को भारी नुकसान हुआ तथा

उत्पादन की क्षति लगभग 5.62 लाख टन की हुई है जिसकी अनुमानित लागत 538.84 करोड़ रुपयों की आंकी गयी है। भारी वर्षा के कारण 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर में फसल नहीं बोयी जा सकी है जिसकी अनुमानित लागत 283 करोड़ 50 लाख की है। अकेले रबी की फसल 25 लाख हेक्टेयर में बरबाद हो चुकी है जिसकी लागत 1047 करोड़ रुपयों की है। अक्तूबर, नवम्बर, 1997 में अतिवृष्टि हुयी थी।

मध्य प्रदेश शासन ने केन्द्रीय सरकार को प्रभावित जिलों में 90 लाख लोगों को मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1998 में रोजगार (राहत कार्य) के लिए 940 करोड़ रुपयों का मांग पत्र भेजा है। किसानों को तकावी, बीज तथा जानवरों के चारे के लिए 2103 करोड़ 65 लाख का मेमोरेन्डम भेजा है जिसमें से मात्र 100 करोड़ रुपयों की राशि दी गयी है। खेतिहर मजदूरों का पलायन भारी संख्या में हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, रीवा, जबलपुर संभाग के सभी जिले प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान पुन: आकर्षित किया गया है। स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो चुकी है।

[अनुवाद]

(ग्यारह) मध्य रेलवे के दौंड से मनमाड के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव): मैं उपर्युक्त विषय पर रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अनेक सरकारी चीनी मिलों, राहोड़ी कृषि विश्वविद्यालय तथा शिरडी और शिग्नापुर के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण दोन्ड-मन्नड रेल मार्ग पर यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। कोपरगांव, बेलापुर, रण्होड़ी, बम्बोली और अहमदनगर पांच रेलवे स्टेशन हैं। करीब 5 एक्सप्रैस रेलगाड़ियों और अनेक मालगाड़ियां इस रेलमार्ग पर चलती हैं। इन स्टेशनों पर चीनी के बोरों का लदान होता है और कोपरगांव पर शिरड़ी के लिए अनेक यात्री भी आते हैं। यह अकेला रेलमार्ग यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या का भार वहन नहीं कर सकता है। यदि इस रेल मार्ग का दोहरीकरण कर दिया जाता है तो इससे न केवल आम जनता और सरकार का समय बचेगा और सहकारी चीनी मिलों को सुविधा होगी बल्कि इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

(बारह) दक्षिण मध्य रेलवे के कराड़ और सतारा रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): रेल मंत्री द्वारा दक्षिण-मध्य-रेलवे के कराड़ और सतारा रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार करने की घोषणा अप्रैल, 1996 में की गई थी। अभी तक इस कार्य को शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे दोनों स्टेशनों पर नवीनीकरण और उन्नयन के कार्य को शीघ्र शुरू करवायें।

(तेरह) नागपुर के चहुंमुखी विकास के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित किये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): अब वह समय आ गया है जब हमें इतिहास की उस हाल ही में घटी उस घटना के इस तथ्य की ओर तत्काल ध्यान देना पड़ेगा जब सन 1951 में हमारे शहर नागपुर को अचानक ही राज्य की राजधानी के दर्जे से वंचित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विदर्भ और विशेष तौर पर नागपुर के लोगों को एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया था कि शहर के महत्व को हर प्रकार से बनाये रखा जायेगा। फजलाली आयोग ने ऐतिहासिक, आर्थिक आधार पर तथा अन्य तर्कसंगत पहलुओं के आधार पर मूल रूप से विदर्भ के लिए एक अलग राज्य की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त आधारों के अलावा संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र के लिए नागपुर से नियमित तथा पर्याप्त हवाई सेवा शुरू करने की भी आवश्यकता है।

सभी प्रकार के हवाई यातायात को समन्वित करने के लिए अब नागपुर हवाई अड्डे को तेजी से विकसित किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डे में बदलने के लिए थोड़ी सी धनराशि की आवश्यकता होगी जिससे संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र में औद्योगिक तथा वाणिज्य के अनेक आयामों जैसे पर्यटन और व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

रेल मंत्रालय की तीन वर्ष पुरानी वचनबद्धता के पश्चात भी नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के लिए अतिरिक्त गाड़ी की कोई संभावना नजर नहीं आती, न ही नागपुर, नागभीर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किया गया है।

नागपुर के हजारों बुनकर बेरोजगार हैं। हलबंस जनजाति के लोग अपने जनजातीय स्तर तथा उन सभी सुविधाओं से जो कि वह पहले उठा रहे थे से वंचित हैं।

नागपुर की जनसंख्या पहले ही तीस लाख से अधिक है। इनमें से अधिकांश के पास समुचित आवास, पेयजल, सड़कें, बिजली तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव है और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है।

अत: नागपुर की जनता की ओर से मेरा माननीय नए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि विशेष प्रावधानों हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करें ताकि नागपुर के चहुंमुखी विकास को अविलम्ब सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

(चौदह) राजस्थान में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल भेजने तथा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरु): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य का मेरा संसदीय क्षेत्र ज्यादातर सूखे के कारण अकालग्रस्त रहता है, लेकिन इस बार न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में बेमौसम की तेज बारिश आई, बहुत तेज गति से आंधी चली और भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों की फसल चौपट हो गई। फसल चौपट होने से किसान बर्बाद हो गया और आज उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं। राजस्थान का किसान तो सिंचित क्षेत्र न होने के कारण पहले से ही दयनीय स्थिति में रहता है, लेकिन मौजूदा ओलावृष्टि ने तो किसान की कमर ही तोड़ दी है और इन हालात से जूझने में किसान पूरी तरह से अपने को असमर्थ पा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वह राजस्थान में हाल में हुई भयंकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तुरन्त एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजे और अध्ययन दल की रिपोर्ट आने से पहले किसानों को फौरी सहायता प्रदान करने हेतु अविलम्ब राहत राशि दी जाए तथा रिपोर्ट आने पर नुकसान के आधार पर उनकी भरपाई की जाए।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, असम की ''मरियानी'' बायपास परियोजना को स्थगित रखने और इस परियोजना को नए सिरे से शुरू करने के लिए स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत किये जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट): हालांकि, हम असम की जनता की लम्बे समय से चली आ रही आमान परिवर्तन मांग पूरी होने का स्वागत करते हैं परन्तु मेरे लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मरियानी जंक्शन उत्तर सीमान्त रेलवे अधिकारियों की अविवेकपूर्ण और अदूरदर्शी आयोजना के कारण बहुत ही खराब हालत में है। मरियानी जोकि लगभग सौ वर्ष पुराना है और जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा बसाया गया था, यह न केवल एक प्रगतिशील व्यावसायिक शहर है अपितु यह आस-पास रह रहे ग्रामीण लोगों को विशेषकर चाय उगाने वाले आदिवासी लोगों के लिए उच्च शिक्षा का केन्द्र भी है। वस्तुतः, नगरपालिका वाला यह शहर जिसमें करीब 2000 छोटे और मध्यम आकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वहां अधिकांशतः रेलवे कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा आस-पास के ग्रामीण लोग रहते हैं। इस शहर की प्रगति पूर्णतः रेलवे और उसके संबंधित क्रियाकलापों पर निर्भर है।

उत्तर सीमान्त रेलवे अधिकारियों के ''मरियानी बायपास'' परियोजना से यह शहर जल्दी ही अलग-थलग पड़ जायेगा।

कारण चाहे जो भी हो, यह आवश्यक होगा कि उत्तर सीमान्त रेलवे अधिकारी इस विलंबित स्तर पर भी न केवल असम के स्थानीय और चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे सांसदों और विधायकों से सलाह-मशविरा करें और उन्हें विश्वास में ले बल्कि नागालैंड के स्थानीय तथा चुने हुए प्रतिनिधियों से भी सलाह-मशविरा करें तथा उन्हें विश्वास में लें क्योंकि मरियानी नागालैंड का प्रवेश-द्वार है।

स्थानीय लोगों में बहुत असंतोष और चिंता है। विरोध आंदोलनों के फलस्वरूप पैदा हो रही स्थिति से बचने के लिए, यह आवश्यक ही होगा कि इस परियोजना को तुरंत स्थगित किया जाए और स्थानीय नेताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और असम तथा नागालैंड सरकारों के अधिकारियों के साथ फिर से बातचीत शुरू की जाए ताकि यह परियोजना सभी लोगों को स्वीकार्य हो।

(सोलह) प्राकृतिक गैस संसाधनों का दोहन करने और त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गहराई तक तेल का पता लगाने हेतु ड्रिलिंग करने वाली ''बोरिंग रिग्स'' प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम): मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में बहुतायत में गैस उपलब्ध है किंतु केन्द्रीय सरकार की तरफ से पहल न होने के कारण, इस विपुल प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं किया गया है, अनुरोध है कि सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस संसाधन का दोहन करने के लिए आवश्यक आदेश दे, चूंकि त्रिपुरा औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है इसलिए सरकार को इस प्राकृतिक गैस का दोहन करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इसका उपयोग राज्य का औद्योगिक विकास करने के लिए किया जाना चाहिए। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्राकृतिक गैस 600 रुपये प्रति 1000 घन मीटर की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ त्रिपुरा का भी विकास प्राकृतिक तेल का दोहन करके करें और गैस भण्डारों के नीचे तेल की खोज के लिए गहराई तक कार्य करने वाले ''बोरिंग रिग्स'' उपलब्ध करवायें।

(सत्रह) संविधान की दसवीं अनुसूची में दिये गये दल-परिवर्तन रोधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं सभा का ध्यान दल-परिवर्तन रोधी अधिनियम 1985 तथा 18 मार्च, 1986 को रूपायित दल-परिवर्तन रोधी नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये नियम सभा में विधायी दलों के नेताओं पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं कि वे ऐसे विधायी दलों के गठन के 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष को सूचित करें।

अत: मैं केन्द्र सरकार से दल-परिवर्तन रोधी कानून में यह संशोधन करने का आग्रह करता हूँ जब कोई संसद सदस्य/विधायक किसी राजनीतिक दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल में जाने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह पहले विधान सभा/संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे और फिर अन्य राजनीतिक दल में जाए।

[हिन्दी]

(अठारह) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ऐरा खमरिया कस्बे के पास शाखा नदी द्वारा हो रहे कटाव के कारण पीलीभीत-बस्ती राजमार्ग के लिए पैदा हुए खतरे का आकलन करने तथा इस खतरे को रोकने हेतु बांध का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): मेरे क्षेत्र लखीमपुर खीरी में मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती मार्ग पर ऐरा खमरिया कस्बे के पास शाखा नदी अपनी मूल धारा छोड़ कर बह रही है तथा भारी कटाव कर रही है। नदी इस वक्त पीलीभीत बस्ती राजमार्ग से लगभग 11 फीट की दूरी पर बह रही है जिससे राजमार्ग को खतरा पैदा हो गया है। राजमार्ग कटते ही एक महत्वपूर्ण कस्बा ऐरा खमरिया जिसकी आबादी लगभग दस हजार है तथा गोविन्द शुगर मिल ऐरा खमरिया प्रत्यक्ष रूप से नदी की मुख्य धारा के सामने आ जाएगा तथा जन धन का भारी नुकसान होगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में भारी उदासीनता तथा उपेक्षा बरती जा रही है। बरसात आने के लिए यदि बांधों का निर्माण नहीं हुआ तो बरसात में आने वाली बाढ़ जन धन का व्यापक विनाश करेगी और जनपद के एक तिहाई क्षेत्र में सहायता पहुँचाना भी संभव नहीं हो सकेगा।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि तत्काल एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्थल का निरीक्षण करवाकर आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(उन्नीस) बारहवीं लोक सभा के आम चुनाव की घोषणा के पश्चात उड़ीसा राज्य में की गई सभी भर्तियों को रद्द किये जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 12वीं लोक सभा के चुनावों की समयसारिणी की घोषणा किये जाने के बाद, केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार के विकास कार्यों और सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रियाओं को आरम्भ न करें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावी हो जाती है। परन्तु आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के बाद उड़ीसा राज्य में बालासोर जिले के आई.सी.डी.एस. ब्लाकों में 21, 22 और 23 जनवरी, 1998 को भी भर्ती की प्रक्रियाओं को जारी रखा गया। इस प्रकार इससे राज्य में सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए निर्वाचित आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ उठाया जाये कि उड़ीसा में राज्य प्रशासन द्वारा की गई ऐसी भर्तियों को तुरन्त रद्द किया जाये जिससे कि सभी को न्याय दिलाने के लिए विज्ञापित पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को नए सिरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से आरम्भ किया जा सके।

(बीस) तिरुअनन्तपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के तमिलनाडु में पड़ने वाले भाग का तुरन्त रखरखाव करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल): तिरुअनन्तपुरम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का तमिलनाडु में पड़ने वाला भाग काफी समय से बहुत ही खराब स्थिति में है जिसके कारण यात्रियों और आम जनता को कठिनाइयां और असुविधाएं हो रही हैं। संसद और अधिकारियों को बार-बार अभ्यावेदन दिये जाने पर सरकार ने इस राजमार्ग के उक्त भाग के समुचित रखरखाव के लिए लगभग 18 महीने पूर्व धनराशि आवंटित की। किन्तु अभी यह कार्य किया जाना है। कहीं-कहीं केवल छिट-पुट कार्य किया गया है और धनराशि के आवंटन के अनुसार इस कार्य को पूर्णत: करने के बजाए रोक रोक कर किया जा रहा है। सड़क पर बहुत से खड्डे, दरारें और गड्ढे हैं और सड़क की दोनों ओर गहरे गड्ढे बन गये हैं, इस प्रकार लगातार घटनाएं होती रहती है। सड़क की इस खराब स्थिति से यात्रियों और वाहनों के आवागमन में गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह देश के व्यस्ततम सड़कों में से एक है। एक जमाने में इसे भारत की सबसे लम्बी सीमेंट सड़क के रूप में जाना जाता था। अब रख-रखाव की दृष्टि से सबसे खराब सड़क

माना जाता है। रख-रखाव कार्यों की और उपेक्षा किये जाने से सड़क की हालत और खराब हो जाएगी।

इसलिए मैं सरकार से इस सड़क के तत्काल रख-रखाव के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(इक्कीस) हवेरी, कर्नाटक में मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलते समय वर्षा ऋतु के दौरान जमा हो गए जल की निकासी को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण): कर्नाटक में हवेरी जिले में बंगलौर-मिराज रेललाइन की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलते समय एक भूमिगत पुल का निर्माण किया गया था।

इस पुल पर वर्षा के कारण जमा हो गए जल की निकासी के लिए लगाए गए पम्प में खराबी आ जाने के कारण इस जल की निकासी नहीं हो सकी। यह राज्य का एक राजमार्ग है और इस पुल से होते हुए वाहन नहीं जा सकते हैं जिससे जनता को काफी कठिनाई हो रही है। रेलवे विभाग को नियमित रूप से शिकायत पत्र लिखे गये किन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस वर्ष अप्रैल से वर्षा के मौसम के आरंभ होने से पूर्व इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें।

(बाईस) मंजेरी (केरल) में एफ.एम. रेडियो स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद (मंजेरी): मंजेरी (केरल) में एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। लगातार अनुरोध किये जाने के बावजूद, सूचना और प्रसारण विभाग ने इसका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है। मंजेरी एक पिछड़ा क्षेत्र है और सरकार ने पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के बावजूद दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किए हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मंजेरी में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना का कार्य शुरू करवाया जाये।

(तेईस) असम के कारबी, अंगलोग और नार्थ कछार हिल्स जिलों में बेहतर दूर-संचार सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

डा. जयंत रंगपी (स्वशासी जिला-असम): असम के कारबी, अंगलोग जिलों और उत्तर कछार पर्वतीय क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं संभवतः पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति में है। स्वायत्त पर्वतीय परिषदों की राजधानियों दीफू और हाफलांग के जिला मुख्यालयों में दूरभाष केन्द्र पुराने मॉडल के हैं तथा अधिकतर खराब रहते हैं। बोकाजन, हमरेन, मैबांग नामक उप-प्रभागीय मुख्यालयों में समुचित दूरभाष केन्द्र नहीं है। ब्लाक मुख्यालयों में तथा हावड़ाघाट, डॉकमोका, फुलानी, बॉकुलिया, सिलोलीजल, रांगमोंगवे, डोलामार, खिरोनी और हरनगजाओं जैसे ग्रामीण कस्बों में अभी भी समुचित दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूरभाष विभाग द्वारा इस पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्र की उपेक्षा से यहां के लोगों में काफी असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं माननीय संचार मंत्री से तुरंत निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध करता हूं:

1. दीफू और हाफलांग के विद्यमान दूरभाष केन्द्रों का उन्नयन और विस्तार करना तथा उन दूरभाष केन्द्रों की ट्रंक बुकिंग सेवाओं को फिर से स्थापित करना जिन्हें हाल ही में नागांव तथा सिल्चर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

2. उपर्युक्त सभी उप-प्रभागीय मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों तथा ग्रामीण कस्बों में इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्र स्थापित करना।

3. असम सर्किल के दूरसंचार जिले को पुनर्गठित करना तथा पर्वतीय जिलों के लिए अलग दूरसंचार जिलों का गठन करना जिसका मुख्यालय दीफू या हाफलोंग होगा।

(चौबीस) एक पृथक राज्य बोडोलैंड बनाये जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): कई दशक पुरानी तथा ज्वलन्त "बोडोलैंड की समस्या" का शान्तिपूर्वक, सम्मानजनक तथा स्थायी राजनीतिक हल निकालने की प्रक्रिया काफी समय से लम्बित है। असम में वर्तमान में सबसे अधिक विकट तथा विस्फोटक जातीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति और सब जगह अशांतिपूर्ण परिस्थितियों के रहते मूल बोडो निवासियों का प्रश्न तथा अन्य दलित जनजातीय दलों की उत्तरजीविता तथा अस्तित्व, उनकी रक्षा तथा सुरक्षा, उनका चहुँमुखी विकास और प्रगति तथा असम में उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान का संरक्षण वास्तव में बहुत असम्भव और असंगत है। अतः बहुप्रतीक्षित पृथक बोडोलैंड राज्य की तत्काल स्थापना बहुत आवश्यक है और पूरे राष्ट्र के हित में बोडोलैंड की गुत्थी का यही एकमात्र और स्थायी हल है।

(पच्चीस) एस्सार समूह द्वारा तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक को अधिग्रहीत करने से रोके जाने की आवश्यकता

श्री वैको (शिवकाशी): तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक लिमिटेड, जिसे पहले "नादर बैंक लिमिटेड" कहा जाता था, को वर्ष 1921

में तमिलनाडु के पिछड़े नादर समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। अक्तूबर, 1994 में एस्सार समूह ने सभी प्रकार के प्रलोभन देकर बैंक के लगभग 70% शेयर हथिया लिए और बैंक के शेयरों का हस्तांतरण पंजीकृत करवाने के उद्देश्य से आवेदन किया। प्रोमोटरों ने इसका विरोध किया। कम्पनी विधि बोर्ड ने एस्सार समूह के पक्ष में अपना विनिर्णय दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए शेयर हस्तांतरण से इंकार कर दिया। समझौते के अनुसार नादर समुदाय को 31 दिसम्बर 1997 तक विवादित शेयरों के बदले 100 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित करनी थी। जबकि धन एकत्रित करने का कार्य जारी था, स्टर्लिंग कम्प्यूटर ने यह सूचना दी कि उसने एस्सार समूह की सात कम्पनियों के शेयर प्राप्त कर लिए हैं जिसने पहले तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक के 135 करोड़ रुपये के विवादित शेयर प्राप्त किये थे और उसने वी.डी.आई.एस. के अंतर्गत अघोषित आय के 135 करोड़ रुपये के धन के लिए 51 करोड़ रुपये अदा किये थे जिससे उन्होंने उपर्युक्त शेयरों को प्राप्त किया और अब फॉरम को पुन: शेयर खरीदने के लिए 186 करोड़ रुपये देने चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.33 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): एक उद्घोषणा की गई थी कि कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री अपराह्न 5.30 बजे एक वक्तव्य देंगे। इस संबंध में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय: वह भी होगा।

श्री सुब्रत मुखर्जी, भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): सभापति महोदय, अभिभाषण में सार्वजनिक प्रणाली के बारे में जो चर्चा की गई है उस संबंध में मैं प्रधानमंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को पिछली सरकार ने लाल कार्ड दिए थे और सस्ता अनाज देने की योजना आरंभ की थी। क्या आप उस योजना को जारी रखेंगे, यदि जारी रखेंगे तो उसका क्या रूप होगा और क्या इस योजना में आप कोई और सुधार करेंगे? इस बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं उनका आभारी रहूंगा और चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, तो मेरे इस प्रश्न का जवाब भी वे अवश्य दें।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में बाल-श्रम की आलोचना की गई है और इसे समाप्त करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा जिससे देश का कोई भी बच्चा भूखा न रहे। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच बाल श्रम को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि आठवीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उस पर अमल करें, तो स्वयं इस देश से धीरे-धीरे बाल श्रम समाप्त हो जायेगा और इस देश का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। बाल श्रम में मूल रूप से आर्थिक कारण जुड़े हुए हैं। यदि इन आर्थिक कारणों को दूर कर दिया जाए, यदि गरीबों की आर्थिक दशा सुधार दी जाए, तो हमारे देश से हमेशा-हमेशा के लिए बाल श्रम दूर हो सकता है और इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। यह कैसे होगा, इस अभिभाषण में उसकी कोई दिशा नहीं दी गई है। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने भाषण में इस बात का खुलासा करें।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पृष्ठ 14 और 15 पर जो लड़कियों के बारे में मान्यता दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे देश में लड़कियों को बहुत छोटी नजर से देखा जाता है। इस भावना को हटाने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने एक स्कीम चालू की है—"मेरी बेटी मेरा धन"। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्कीम सारे हिन्दुस्तान में भी लागू करने का प्रबंध होना चाहिए।

सभापति जी, अभिभाषण के पैरा नं. 16 में कहा गया है कि समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति का लाभ कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित न रहकर पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन मुझे पता नहीं कि वे इसे किस तरीके से देंगे क्योंकि इस मामले में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। इस संबंध में उनको सुझाव देना चाहिए। इसी के साथ आपने कृषि क्षेत्र में धन लगाने की बात कही है। हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार कृषकों को किस दृष्टि से देख रही है, वह मैं नहीं जानता। कल जब हमारे साथी श्री बलराम जाखड़ जी, जो पूर्व कृषि मंत्री थे, बोल रहे थे तो वे अपने को किसान कह रहे थे। मैं कहूंगा कि श्री बलराम जाखड़ जी किसान नहीं हैं क्योंकि खेती के कामों से जुड़े हुए लोगों को किसान कहा जाता है जबकि वे उससे जुड़े हुए नहीं है। सही मायने में उपज पैदा करने के लिए जिन उपायों, साधनों का बंदोबस्त करना पड़ता है, उन साधनों के साथ कोई न कोई रिश्ता जुड़ा हो तो उसे किसान कहा जाता है। हमारे यहां धनिक किसान है, मध्यम वर्ग के किसान हैं, छोटे किसान हैं। हमारे यहां किसान पहले किसान थे लेकिन अब जमीन न होने के कारण वे भूमिहीन किसान समझे जाते हैं। जो लोग

[श्री सुब्रत मुखर्जी]

जमीन पर काम नहीं करते लेकिन जमीन रखते हैं, उनको किसान न कहकर जमींदार कहा जाता है। अगर किसानों को इन चारों हिस्सों में बांटने का इंतजाम नहीं किया जायेगा तो किनके लिए यह पैसा खर्च किया जायेगा, यह बात समझ में नहीं आ रही है।

यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया गया था तथा उनसे परामर्श लिया गया था। बहुत से राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भूमि सुधार पर जोर दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे भूमि सुधार कानून को सिर्फ स्टेट का सवाल कहकर उठाने का काम करेंगे या इसे सख्ती के साथ लागू करके किसानों को भूमि देने का बंदोबस्त करेंगे? मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं कि आज कृषि-योग्य भूमि का अवमूल्यन हो रहा है। हमारी जो बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश न करके सिर्फ एक कमीशन बनाकर छोड़ दिया जाये, तो ठीक नहीं है। कमीशन पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी भूमि उपजाऊ नहीं बनती है। इस मामले में आपका क्या सुझाव रहेगा, यह भी मैं जानना चाहता हूं। मेरा सुझाव होगा कि बंजर भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटकर एक कमीशन के जरिए यह तय किया जाए कि उसमें कितना खर्च आएगा। इसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वे किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। किसान चूंकि अपनी जमीन का मालिक है, इसलिए वह अपनी मेहनत से उस जमीन पर कार्य करेगा और बंजर भूमि को फसल लायक बनाने की स्थिति में हो जायेगा। इस पर ध्यान देने का मैं अनुरोध करूंगा।

भूमिहर किसान जो मजदूर बन गए हैं, उनकी दैनिक मजदूरी क्या होनी चाहिए, इस मामले में जातीय स्तर पर कभी भी आलोचना नहीं हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, क्योंकि वे बोल रहे हैं कि वे नया भारत बनाएंगे, तो नए भारत का सबसे बड़ा हिस्सा छोटे और भूमिहर किसान हैं, उन की रोज की न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, उसे सख्ती से वसूल करने का वादा भी वे करेंगे या नहीं। इस मामले में भी यदि वे स्पष्ट रूप से बताएं तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, नियम 377 कब लिया जायेगा।

सभापति महोदयः सभा पटल पर रखने का मतलब है कि वह रिकार्ड में आ गये हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः *मैंने सभी का नाम लिख लिया। यदि सब लोग कोआपरेट करेंगे तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा।*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ऐसा करते हुए मैं समझता हूं कि यह बताना मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं। साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अनिश्चित बहुमत वाली सत्तारुढ़ सरकार को शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 5.42 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन* हुए]

महोदय जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के प्रति अपनी वचनबद्धता की बात कही तो मुझे बहुत खुशी हुई। परन्तु आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब हमने इस सदन में अयोध्या के मुद्दे पर चर्चा की थी तो माननीय गृह मंत्री जी यहां थे और वे उस तरह से अपनी वचनबद्धता जाहिर करने में हिचकिचा रहे थे, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इससे मुझे हैरानी हुई और मैं समझता हूं कि हम सभी को हैरानी हुई।

मेरी इच्छा है और प्रार्थना करता हूँ कि श्री वाजपेयी—एक ऐसा व्यक्ति जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनसे मैं भली भांति परिचित हूँ—के नेतृत्व वाली सरकार को टूटने का खतरा नहीं झेलना होगा। जो कुछ आज मैंने इस सदन में देखा उससे मुझे लगता है कि कभी-कभी सत्ता पक्ष दोहरे व्यक्तित्व का शिकार होती है। तथापि, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं केवल यही देखना पसन्द करूंगा कि करनी कथनी से अधिक बलवान होती है और विश्वास करता हूं कि आने वाले महीनों में प्रधानमंत्री अपने वचन के पक्के साबित होंगे।

बचपन से ही, जब मैं स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेता था, मैं हमेशा यही मानता था कि भारत एक विशाल देश है। भारत का हृदय न केवल बहुसंख्यक समुदाय बल्कि मेरे जैसे अल्प-संख्यक या छोटे समुदायों की तरह दिखता है।

आप जानते हैं कि मैं मेघालय राज्य से आया हूँ तथा वहां के बहुत ही छोटे समुदाय, खासी समुदाय से संबंधित हूं। 1946 में एक बार पंडित जी शिलांग आए थे, उन्होंने मेरे समुदाय को बहुत ही छोटा समुदाय कहा था। परन्तु उन्होंने कहा था कि हमारे लोग एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आएंगे।

उन्होंने आगे कहा था कि सम्भवत:, जनजातीय समुदाय का कोई व्यक्ति दिल्ली में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। मैं इससे

काफी प्रभावित हुआ था। मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कार्यरत था।

आज मुझे यह देखकर दुख हुआ कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम नहीं जानते कि हम इसके लिए क्या करें। आपकी दिशा क्या है? मैं जानता हूँ कि सत्ता पक्ष ने राष्ट्रीय एजेन्डा तैयार किया है। परन्तु मैं समझता हूँ कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें किसी आदर्श के प्रति कड़ी वचनबद्धता करनी होगी। भारत तभी मजबूत हो सकता है जब देश का प्रत्येक भाग मजबूत होगा। यह मानव शरीर की तरह ही है। मानव शरीर भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक इसका छोटे से छोटे अंग मजबूत नहीं होगा। इसलिए, जब मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा तो मुझे खुशी नहीं हुई।

आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवाद, अव्यवस्था तथा उग्रवाद की बुराई पर काबू पाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे कुछ भी नहीं कहा गया है। पूर्वोत्तर सात राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का समूह है—तथा यह एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक तिहाई है। सम्पूर्ण क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से केवल लगभग 20 मील चौड़े रास्ते से ही जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के संबंध में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे मस्तिष्क पर हमेशा भौगोलिक दूरी छाई रहती है। मैं समझता हूँ कि हमें इस क्षेत्र को अच्छे ढंग से समझना होगा।

पूर्वोत्तर के चार राज्य आतंकवाद से ग्रस्त हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य आतंकवाद और उग्रवाद से ग्रस्त हैं। केवल तीन राज्य ही विद्रोह के खतरे से बाहर हैं। परन्तु मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि हम दिल्ली में बैठे हुए, मीडिया भी, पूरे क्षेत्र को विद्रोह ग्रस्त मानते हैं। मेरे विचार काफी मजबूत हैं। मैंने पिछले दो तीन प्रधानमंत्रियों से इसकी चर्चा की थी कि हम पूरे पूर्वोत्तर को उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र नहीं कह सकते। हमें इस बात की सराहना करनी होगी कि काफी विकट स्थिति होते हुए भी—हम आतंकवाद के कुचक्र से ग्रस्त हैं जिससे निवेश और आर्थिक विकास में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी से उग्रवाद पैदा हुआ—मैं समझता हूँ कि हमें इस कुचक्र को तोड़ना होगा। मेरा अपना विचार यह है। उग्रवाद को कड़ाई से रोकना आवश्यक है, इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्याओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं केवल एक-दो मिनट ही बोलूंगा।

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक बात है कि हम शांतिपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करें चाहे यह असम में हो या पूर्वोत्तर के किसी भाग में, जहां निरन्तर आर्थिक निवेश किया जा सके, जहां हम उद्योग लगा सकें और जहां हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें।

हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर लेते तब तक वहां समस्या बनी रहेगी। म्यानमार, बंगलादेश और चीन से लगी हुई हमारी सीमा काफी लम्बी है। यह आवश्यक है कि पूर्वोत्तर की स्थिति सुधारने के लिए उग्रवाद की समस्या के प्रति पूरे सदन द्वारा सही रवैया अपनाया जाना चाहिए। हम उग्रवाद की अनुमति नहीं दे सकते।

मैंने आज सुबह ही शून्य काल के दौरान कहा था कि मेघालय में, जो कि एक शांतिपूर्ण राज्य है, आतंकवादियों के विरुद्ध पिछले सात दिनों से सुरक्षा कार्रवाई चल रही है। मैं यह कह रहा हूँ कि उग्रवाद फैल रहा है। जब तक हम शांति सेनाओं को मजबूत नहीं बनाते, तब तक हम आतंकवाद से लड़ ही नहीं सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): हमारी समता पार्टी के सिर्फ एक ही सदस्य बोले हैं और वह भी चार मिनट बोले हैं।

सभापति महोदय: इसमें कोई हर्ज नहीं है कि चार मिनट बोले हैं, अब आप बैठ जाएं, बाद में बोल लेना। आप सुनिए, मैंने कैलाशो देवी जी को बुलाया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें नहीं बोलना है तो हम लोग चले जाते हैं, आप हमें नियमन दे दीजिए।

सभापति महोदय: दूसरे बोल रहे हैं, उनका भी भाषण सुनें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: तो क्या हम सिर्फ सुनने के लिए ही आए हैं?

सभापति महोदय: सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार: आर.पी.आई. की तरफ से कोई नहीं बोला, जबकि उनके चार सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): आर.जे.डी. को भी मौका नहीं मिला है। पार्टी की स्ट्रैंथ के हिसाब से मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय: आपकी तरफ से बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाएं, उनको बोलने दें।

श्रीमती कैलाशो देवी: सभापति महोदय, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हिन्दुस्तान के इस पवित्र पावन मंदिर में आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपका तहेदिल से आभार प्रकट करती हूं। आजादी के बाद हिन्दुस्तान की यह 12वीं लोक सभा है। इस बार भी लोक सभा के सत्र का प्रारम्भ सौभाग्य से उसी 23 मार्च के महान दिवस से शुरू हुआ, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे चूमकर हिन्दुस्तान की परतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किये थे। सभापति महोदय, आपने शायद आजादी की वर्षगांठ पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण का बजाये जाने वाला कैसेट सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए आजादी हासिल करना चाहते हैं।

ऐसे ही उद्देश्य का उल्लेख शहीद भगत सिंह के उस आखिरी पत्र में मिलता है जो उन्होंने फांसी का फंदा चूमने से पहले अंग्रेजों के नाम लिखा था। शहीद भगत सिंह सरीखे शहीदों के खून से तृप्त होकर जब आजादी की देवी भारत माता के द्वार पर दस्तक देने लगी, तब विंस्टन चर्चिल जो इंगलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस समय हिन्दुस्तान को आजाद करने का मतलब करोड़ों दलित, शोषित और पीड़ित लोगों की भाग्य की बागडोर चंद भ्रष्ट, लुटेरे और तानाशाह लोगों के हाथों में सौंप देना होगा और हिन्दुस्तान राजनैतिक अस्थिरता के भंवर में खो जाएगा और हिन्दुस्तान के लोगों को स्वतंत्रता और परतंत्रता का मतलब समझने में हजारों वर्ष लग जाएंगे और करोड़ों लोगों की बर्बादी का जिम्मा क्लेमेन हैडली के सिर पर होगा जो उस समय हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। चर्चिल की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई क्योंकि आज तक हिन्दुस्तान की आजादी ऐसे भ्रष्ट और तानाशाह लोगों के हाथों में रही जिन्होंने हिन्दुस्तान की जनता का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण किया तथा हिन्दुस्तान को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। आज हिन्दुस्तान आजादी की पचासवीं स्वर्ण जयन्ती मना रहा है जबकि हकीकत यह है कि आजादी के पचास वर्ष बाद भी हिन्दुस्तान में भयंकर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक गुलामी है। आज हिन्दुस्तान विश्व के चंद निर्धनतम, कर्जे के नीचे दबे हुए देशों की श्रेणी में हद से ऊपर आता है। आज प्रत्येक भारतवासी के सिर पर लगभग तीस हजार रुपए का विदेशी कर्ज है। देश का प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा अपने सिर पर दस हजार रुपए का विदेशी कर्ज लेकर पैदा होता है।

आज हिन्दुस्तान में प्रत्येक वर्ष 85 हजार युवक और युवतियां कर्जे और बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज हिन्दुस्तान मानव अंगों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर देश है। आज भारत की गरीब और बेरोजगार लड़कियां अरब देश में बेची जाती हैं। क्या यही वे बातें हैं जिनके कारण हमें अपने हिन्दुस्तानी होने का फख्र महसूस होता है? क्या यही वे बातें हैं जिनसे खुश होकर हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें?

आज बापू के देश की यह दुर्दशा क्यों हुई? बापू जी स्वयं धोती और लंगोटी पहना करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछा था कि आप केवल धोती और लंगोटी क्यों पहनते हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि मेरे देश के करोड़ों लोगों के पास तो पहनने के लिए धोती और लंगोटी भी नहीं है, फिर मैं और कपड़े पहनकर क्या करूंगा? आखिर ऐसी हालत क्यों पैदा हो गई? इसका कारण यह था कि स्वतंत्रता ऐसे लोगों के हाथ में काबिज रही जिनके शासनकाल में इतने कांड और घोटाले हुए कि उंगलियों पर इन्हें गिनाया नहीं जा सकता। अकेले हर्षद मेहता बैंक प्रतिभूति घोटाले ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यदि सभी कांडों और घोटालों के समग्र पैसे को रोजगार के संसाधनों पर इस्तेमाल किया जाता तो कितने डैम्स, नहरें, थर्मल पॉवर प्लांट्स तथा रिफाइनरीज बनाई जा सकती थी। इस पैसे से हिन्दुस्तान से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का नाश किया जा सकता था। यह बात नहीं कि हिन्दुस्तान के पास पैसा कम है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं रही है मगर तत्कालीन सरकारों की नीति जन विरोधी थी, उनकी नीतियां और नीयत साफ नहीं थी।

देश में आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने यह मान लिया है कि वह उस उद्देश्य को हासिल कर सकेगी, जिस उद्देश्य को लेकर आजादी हासिल की गई थी। हमारी हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय पार्टी ने भी भाजपा गठबंधन सरकार को समर्थन दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा से वे मुद्दे निकाल दिए हैं जिन पर हमारा उनसे विरोधाभास था, जैसे धारा 370, समान नागरिक आचार संहिता और मंदिर-मस्जिद विवाद आदि। इसलिए मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार एक धर्मनिरपेक्ष, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन इस देश को देगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, अब समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती कैलाशो देवी: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और भी मुद्दे हैं जिनमें समाज के सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण, प्रशासन में पारदर्शिता तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

अपराह्न 6.00 बजे

राज्यों को स्वायत्तता देने की बात भी कही गई है। राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। मगर राज्यों के जो मुद्दे वर्षों से लम्बित पड़े हैं, जो जनकल्याणकारी योजनायें कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अधिकार देने चाहिए। हमारे राज्य की सतलुज कैनाल योजना है, जो वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है। इसको पूरा कराने की ओर केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए।

महोदय, अब मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में हमारी पार्टी हरियाणा लोकदल के बारे में एक विवादास्पद समाचार छपा है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कथित तौर पर श्री ओम प्रकाश चौटाला से संपर्क किया है जिनकी पार्टी के नई लोक सभा में चार सदस्य हैं और उन्होंने उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उन्होंने कुछ संसद सदस्यों से भी संपर्क किया है।"

[हिन्दी]

यह खबर सरासर निराधार है और झूठी अफवाह है। राज्य में हरियाणा लोक दल की लोकप्रियता को देखकर ये लोग बौखला गए हैं और इस प्रकार के विवादास्पद कार्य कर रहे हैं। मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है और मैं चाहूंगी कि इसकी एन्क्वायरी कराई जाए।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। हरियाणा में शराबबन्दी का मुद्दा लेकर बंसीलाल जी की सरकार सत्ता में आई थी। जब शराबबन्दी सफल नहीं हो सकी, तो उसको एक अप्रैल से खोलने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आपके बोलने का क्या उपयोग है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: आप कम समय में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: महोदय, मुझे उम्मीद है, आप मुझे एकोमोडेट करेंगे। मेरी पार्टी उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी सबसे ज्यादा समस्यायें हैं। इसलिए सबसे ज्यादा समय पाने के हम अधिकारी हैं। ...*(व्यवधान)* आपने ठीक कहा कि आबादी भी ज्यादा है।

सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर मेरा चुनाव क्षेत्र है। पूरा लखनऊ सजा हुआ था और वहां लिखा था—राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे अटल बिहारी। ...*(व्यवधान)* मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, इसमें भी आपको ऐतराज है। माननीय अटल जी का राजतिलक हुआ, उनकी इच्छा पूरी हुई, महत्वाकांक्षा पूरी हुई। ...*(व्यवधान)* चलिए आपकी इच्छा पूरी हुई। मैं मानता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हुई। ...*(व्यवधान)* आपकी यह इच्छा पूरी हुई, आपको बहुत-बहुत बधाई। इसी के साथ ये एजेंडा हैं। मैंने आपको पहला नारा बताया—"राजतिलक की करो तैयारी" और दूसरा यह दस्तावेज है—"शासन का राष्ट्रीय एजेंडा।"

श्रीमन्, यह देश 1947 में आजाद हुआ। लगभग 50 वर्ष हो गए, हमें अपना संविधान, लोकतांत्रिक संप्रभुता, संपन्न भारत का संविधान अपनाए हुए, जिस संविधान को एडोप्ट करते वक्त, उसे अंगीकृत करते वक्त डा. अम्बेडकर ने कहा था कि अब इस देश में किसी का राजतिलक नहीं होगा, सेवातिलक होगा। कहा गया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब इस देश का शासन वह आदमी चलाएगा, वह आदमी सरकार चलाएगा जिसके बारे में बैलेट बॉक्स से फैसला होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: *श्रीमन्, मैं नहीं बोलूंगा, जब तक ये खामोश नहीं होंगे। ...(व्यवधान)*

श्रीमन्, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए बनने वाली ऐसी सरकार को नेतृत्व के लिए कहा गया, जिसकी महत्वाकांक्षा सेवातिलक कराने की नहीं है, राजतिलक कराने की है। राजतिलक कराने की क्यों है, क्योंकि शासन चलाने की नीयत है, देश की सेवा का एजेंडा देने की नीयत नहीं है। ऐसा क्यों है—यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस देश में हजारों साल से एक सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, जो व्यवस्था आदमी के जन्म के दिन तय कर देती है कि यह ऊंच होगा, यह नीच होगा, यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा, यह अछूत होगा, यह म्लेच्छ होगा। *...(व्यवधान)*

आप मुझे म्लेच्छ कह रहे हैं, हां मैं म्लेच्छ हूं। *...(व्यवधान)* मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं तो मलीछ हूं। *...(व्यवधान)*

श्रीमन्, ये उस चर्चा पर गौर करें जो संविधान सभा में हुई है। हमारे देश का संविधान केवल एक कानूनी और संवैधानिक ढांचा उपलब्ध नहीं कराता, हमारी संविधान सभा में कहा गया था कि हजारों साल से चलने वाली सामाजिक व्यवस्था, जिसने देश को अंदर से बांट कर रखा, कमजोर करके रखा और जिसके कारण हमें लम्बे समय तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा।

यह केवल कानूनी और संवैधानिक ढांचा नहीं होगा, बल्कि देश के अंदर एक नयी सामाजिक व्यवस्था बनाने का दस्तावेज होगा। बदकिस्मती से सत्ता में ज्यादातर वे लोग रहे, जिनकी इच्छा संविधान को लागू करने में कम और उस ऊंच-नीच वाली व्यवस्था को बनाये रखने में ज्यादा थी। *...(व्यवधान)* मैं भी उसमें शामिल हूं। *...(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: कल गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप व्यवधान मत करिये तो ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से भी नहीं होगा लेकिन आज सारा व्यवधान ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से हो रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: जरा जिगर थामकर सुनिये। सभापति जी, अगर इससे पहले सत्ता में बैठे लोग जाने या अनजाने में उस व्यवस्था का कहीं पोषण करते रहे लेकिन आज जो यह राज-तिलक कराने की महत्वाकांक्षा जागी है यह इसलिए जागी है क्योंकि यह पार्टी उस व्यवस्था की पोषक है जो व्यवस्था ऊंच-नीच, छूत और अछूत पैदा करती है, जो व्यवस्था म्लेच्छ पैदा करती है। *...(व्यवधान)* मैंने आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है कि वे प्रधानमंत्री बने हैं। वे चाहे जो समझें कि उनका राज-तिलक हुआ है, मगर हम अपने संकल्प को भी *बताना चाहते हैं। राज-तिलक का मतलब होता है कुर्सी पर बैठने के बाद जनता के पास दुबारा न जाना।* इसीलिए ये संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। हमें संविधान की समीक्षा पर जो आपत्ति है वह इसलिए है कि आपकी महत्वाकांक्षा लोकतंत्र चलाने की नहीं है, आप इस देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): आप बेसिर-पैर की बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर): कांशी राम की पैर-पूजा करने वाले लोग कब से लोकतांत्रिक हो गये। *...(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): कांशी राम को साहब कहने वाले लोग कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप उनके बोलने में बार-बार व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: श्रीमान, मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। *...(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी की इच्छा राजतंत्र लाने की है और राजतंत्र में यही होता है। यह फासिस्ट प्रवृत्ति है। पीछे बैठे हुए कुछ लोग यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को वे संचालित करें। राजतंत्र की बात आप जब करेंगे तो यही होगा। *...(व्यवधान)* माननीय सभापति जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस इच्छा या महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति की है, राजतिलक की बात करके राजतंत्र बनाना चाहते हैं तो हम भी अपने इस संकल्प को दोहराना चाहते हैं कि वह संविधान जिसने इस देश के गरीब, कमजोर और अंतिम व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया है, जिसने लोकतंत्र कायम किया है, उसी संविधान को हम राजतंत्र बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते तो हम आपको बताते हैं कि हम आपको जनता के बीच लेकर जाएंगे और इस देश में लोकतंत्र चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं अकेला हूं और सब बाधा डाल रहे हैं। अगर यह मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा? *...(व्यवधान)* अगर इतना शोर होगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा?

सभापति महोदय: आप जरा शान्त रहिए। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद खां: श्रीमन्, देश का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब को बराबर का अधिकार प्राप्त है, सब को बराबर का संरक्षण प्राप्त है लेकिन हमारी व्यवस्था कहती है कि नहीं, हम जन्म के दिन इस बात को तय कर देंगे। इस देश का कानून कहता है कि देश के हर आदमी के जान और माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कानून और सरकार की होगी लेकिन देश की व्यवस्था कहती है कि कानून चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे रथ यात्रा निकाले, शहर-शहर में आग लगा दे, कर्फ्यू लगा दे, शहरों में लोगों का खून करा दे, मस्जिद को गिरा दे और जो चाहे करे। इस देश का संविधान कहता है कि हर आदमी को धर्म की, आस्था की, बोलने की और बात करने की आजादी होगी लेकिन इस देश की व्यवस्था कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लोग किसी भी शहर में कानून को अपने हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अनदेखी करके, पलक झपकते बिना किसी बाधा के किसी मस्जिद को गिरा कर तहस-नहस कर सकते हैं। इस देश में यही लड़ाई है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): शाहबानो केस में क्या हुआ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां: वह भी बताता हूं।

सभापति महोदय: इतना समय नहीं है। आप जल्दी कन्क्लूड करिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: श्रीमन्, मुझे तो बोलने का समय ही नहीं मिला। यहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। वह चाहेंगे कि मैं बोलूं। उन्होंने मुझे कल तरीका बताया। मैं अपनी बात कहने के लिए वाक-आउट किया करता था, आज तो मैं वाक-आउट भी नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिफारिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय: आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: यहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि यह बताने की क्या जरूरत थी कि मतभेद नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ...*(व्यवधान)* जब आप बोलेंगे तो बताना। मैं आपको बताता हूं कि जरूरत क्यों पड़ी?

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): महोदय, मैंने पच्चीस वर्ष इस सभा में बिताए हैं। सत्तारुढ़ पार्टी को अन्य लोगों के विचारों को जानना और सुनना सीखना चाहिए चाहे वे रुचिकर हों या अरुचिकर। प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)* यदि कोई माननीय सदस्य इस सभा को संबोधित न कर सके तो हम यहां क्या न्याय कर रहे हैं। आप इस सभा के संरक्षक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को अनुशासित करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1992 में अयोध्या की घटना के बाद, इंडिया एब्रौड को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की थी। उन्होंने अपने साथियों के बारे में कहा था कि क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जुमला पूरी वेदना और दर्द के साथ कहा होगा। मैं जानता हूं कि अयोध्या को लेकर उनके मन में कितनी कुंठा थी और वह पार्टी के अन्दर अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे थे? ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): आधा घंटा हो चुका है इनको बोलते हुए। और कितना समय लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अब ये तय करेंगे कि कितना समय मिलेगा? अगर ये नहीं चाहते और मजबूर कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित जोगी: हम अपना समय भी इनको देते हैं।

सभापति महोदय: आपका समय खत्म हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अगर आप बोलने नहीं देना चाहते तो मैं बैठ रहा हूँ लेकिन फिर उधर से भी कोई नहीं बोलेगा। ...*(व्यवधान)* मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं कहता हूं कि अब कोई भी बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: समता पार्टी को सिर्फ पांच मिनट मिले हैं, ममता बनर्जी को तीन मिनट मिले हैं तो इनको आधा घंटा कैसे मिल जाएगा ? ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अगर यही तरीका है तो हम देखते हैं कि कौन बोलता है। बोलिये, अब कौन बोलता है? ...*(व्यवधान)*

श्री अजित जोगी: कौन कितनी देर बोलेगा, यह चेयर को तय करना है। आप आसन पर बैठ जाइए फिर मालूम चलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां: यदि सभा में व्यवस्था नहीं होगी तो मैं अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हमारी पार्टी का समय भी आप इनको दे दीजिए।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का समय तो खत्म हो चुका है आरिफ जी आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: यदि वे मेरे बोलने में व्यवधान डालते हैं तो मैं नहीं बोल सकता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी वे भी नहीं बोल सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: आरंभ से ही वे मेरे बोलने में बाधा डाल रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप जल्दी से समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: अगर ये भ्रम पैदा हुआ और मुझे खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने जैसा मैंने सुना है, कहा कि 'जो कुछ मैंने सीखा है वह माननीय अटल जी से सीखा है, मैंने जो कुछ किया है, वह उनके कहने से किया है।' मुझे बहुत खुशी हुई चूंकि अब तक कई साल से माननीय प्रधानमंत्री जी यह बताने की कोशिश किया करते थे कि शायद कुछ मामलों में उनका विचार कुछ अलग है। आज यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो आडवाणी जी हैं वही माननीय अटल जी हैं और जो माननीय अटल जी हैं वही आडवाणी जी हैं। *...(व्यवधान)* अभी तक भ्रम इसलिए पैदा होता था कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का वेदना से भरा यह इंटरव्यू छपता था और दूसरी तरफ माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का हंसते हुए चित्र छपता था तो जरा दिमाग में उसको लेकर भ्रम पैदा होता था कि माननीय अटल जी कह रहे हैं कि जब गुम्बद टूट रही थी तो मेरा दिल दुख से भर गया था और माननीय जोशी जी पता नहीं किसको जिनका फोटो मैं पहचान नहीं पाया, अपनी पीठ पर बैठाकर खुशी से कहकहे लगा रहे थे। इसलिए इन चीजों को लेकर मन में भ्रम पैदा हो गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका समय खत्म हो गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यहां माननीय आडवाणी जी ने पोलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का दैत्यीकरण कर दिया। मैं कहता हूं कि इस देश में यह तब की बात है जब तत्कालीन सरकार ने 1990 में मण्डल कमीशन को लागू करने का फैसला किया। माननीय आडवाणी जी उसी मौके पर रथ यात्रा लेकर निकले। उससे पहले उन्हें अयोध्या याद नहीं आई। वह क्यों निकले, जैसा मैंने कहा भाजपा ऊंच-नीच और छूत-अछूत को पैदा करने वाली व्यवस्था की पैदावार पार्टी है और जब पिछड़े लोगों को शासन में हिस्सेदारी देने की बात आई तो उसके खिलाफ बुनियादी तौर पर मुखालफत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है। *...(व्यवधान)* बी.जे.पी. से पूछिये यह मैं नहीं कह रहा हूं माननीय आडवाणी जी का जो इंटरव्यू बी.बी.सी. पर आया, उसमें

उन्होंने कहा था। वह मुझे अच्छी तरह से याद है, उसका रिकार्ड आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जब देश को मंडल के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही थी तो मैंने अयोध्या का मुद्दा उठाया ताकि बाकी लोगों को यूनाइट किया जा सके। यह आडवाणी जी ने कहा था। मेरे दिल में माननीय अटल जी के लिए बड़ा आदर है। लेकिन मैं साथ में यह भी जानता हूं कि आखिरी मुगल बादशाह के जमाने में ऐसा कहा गया था—'खल्क खुदा की, हुकूमत बादशाह की और हुक्म कमीशन सरकार का' यहां पर भी हालत वही है—खल्क खुदा की, हुकूमत भाजपाई की और हुक्म झंडेवालान से आता है। इस तरह देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता। मैं इसके साथ ही खत्म कर रहा हूं। आज जो लोग सरकार में है, इन्होंने हर मौके पर इस देश के कानून को तोड़ा है, संविधान को तोड़ा है। इन्होंने न्यायालय के आदेशों को तोड़ा है। मैं इसके साथ यह निवेदन करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप सरकार में है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। अब आप कानून को तोड़ने की कोशिश न करें, न्यायालय की अवमानना न करें। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग जानते हैं कि कानून को कैसे मनवाया जाता है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति महोदय, यह तय हुआ था कि पांच बजे प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कुछ दल और बोल लें इसलिए एक घंटा बढ़ाया गया था। अब डेढ़ घंटा हो गया है। कुछ सदस्यों को जाना है। सदस्यों ने यह कहा है कि हमें रिटर्न देना है। प्लेन तथा ट्रेन से जाना है। इसलिए आप और टाइम न बढ़ाये ...*(व्यवधान)* सदस्यों ने जाना है। ...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को रिटर्न देने जाना है।

सभापति महोदय: आपको जाना है तो जाइये। ...*(व्यवधान)* आपके मैम्बर 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप समय देखकर बताइये कि कितना समय बोले हैं, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर, प. बंगाल): महोदय, बोलने से पहले क्या मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपील कर सकता हूं कि वे चर्चा के आरंभ से ही समय का ध्यान रखें न कि चर्चा के अन्त में।

श्री मदन लाल खुराना: इसके लिए आप अध्यक्ष से पूछें ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी: अध्यक्षपीठ के माध्यम से यह मेरी अपील है। यह अपील अध्यक्ष के कार्यालय और कार्य मंत्रणा समिति तक पहुंचनी चाहिए। हर बार, हर दिन और हर अवसर पर हम, छोटी पार्टियां समय के अभाव का शिकार बन रही हैं।

हमें मामले को अंतिम रूप देने के बाद ही चर्चा आरंभ करनी चाहिए। अन्यथा, हम यहां नहीं बोलेंगे। यहां हम किसी की दया पर निर्भर नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

फिर भी मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं। अपनी पार्टी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मैं यहां पर यह बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि राष्ट्रपति के लिए मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान है। किंतु मुझे खेद है कि मैं उनके द्वारा दोनों सभाओं के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण की तारीफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह अभिभाषण असमर्थताओं से परिपूर्ण है। यह विरोधाभासों और समझौतों से परिपूर्ण है जो हमारे देश की जनता की मांगों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है। मुझे खेद है कि मैं यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ नहीं कर सकता हूँ।

अभिभाषण में बेरोजगारी हटाओ का उल्लेख किया गया है। अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के तेजी से औद्योगिकीकरण और कृषि उद्योगों पर विशेष बल देने का भी उल्लेख किया गया है। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं इसलिए आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं: क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जहां पर भूमि सुधारों का उत्तरदायित्व स्वीकार किये बिना रोजगार के अवसरों को सृजित किया गया हो? अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह आकलन रहा है कि भूमि सुधारों के बिना बेरोजगारी हटाओ असंभव है।

मुझे यह उल्लेख करते हुए दुख हो रहा है कि भारत में भूमि सुधारों के दायित्व के निर्वहन के लिए कोई योजना, कार्यक्रम और कोई परियोजना नहीं है। जब तक भूमि सुधारों के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तब तक बेरोजगारी हटाओ की संकल्पना कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। बेरोजगारी हटाओ, ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकीकरण या कृषि उद्योग भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मात्र राजनीतिक नारे हैं। यह असंभव है। मेरा मानना है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों का राष्ट्रीय एजेंडा में अभिव्यक्त सामाजिक आधार उनका स्वयं का सामाजिक आधार है। यह मात्र यथास्थिति को बनाए रखना है। यह भूमि व्यवस्था में उत्पादन की सामन्तवादी व्यवस्था के निहित स्वार्थों को बनाए रखना मात्र है। अत: वे भूमि-सुधारों को करने का जिम्मा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए बेरोजगारी हटाओ सत्तारुढ़ गठजोड़ का एक राजनीतिक नारा है। इसमें अच्छी अर्थव्यवस्था की भावना

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

नहीं है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण की यह आर्थिक व्याख्या है।

अभिभाषण में एक बात का उल्लेख और किया गया है कि भारत का निर्माण केवल भारतीयों द्वारा किया जा सकता है और किया जाएगा। भारत का निर्माण केवल भारतीयों द्वारा किया जा सकता है और किया जाएगा के वक्तव्य का उद्देश्य मात्र राष्ट्र के धनी व्यापारी वर्ग को संतुष्ट करना है। यह संभव नहीं हो सकता। आपके माध्यम से क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं: क्या वह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विश्वास करती है?

क्या आप प्रौद्योगिकी ज्ञान के हस्तांतरण में विश्वास करते हैं। यदि सरकार पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो तो तब आप प्रौद्योगिकी को पूंजी से अलग कैसे कर सकते हैं? यदि पश्चिमी प्रौद्योगिकी है तो पश्चिमी पूंजी भी अवश्य होगी। कोई भी वित्त मंत्री, कोई भी सरकार पूंजी से प्रौद्योगिकी को अलग नहीं कर सकती है। इसलिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी निश्चित तौर पर पश्चिमी पूंजी को आमंत्रित करेगी।

महोदय, मैं देश के उत्पादक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं कुछ स्पष्ट कारणों से इसका विरोध करता हूं। मैं राज्य व्यापार निगम को जारी रखने में विश्वास रखता हूं। मैं निजी सम्पत्ति व्यवस्था को हटाए जाने में विश्वास करता हूं। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि बहुराष्ट्रिक निगम हमारे यहां आयेंगे और हमारे देश का विकास करेंगे। यह एकदम स्पष्ट है। लेकिन इस अभिभाषण में राज्य व्यापार निगम के लिए आपके प्रस्ताव कहां हैं? इस अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संबंध में प्रस्ताव कहां है? क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए आपका कोई प्रस्ताव है? क्या यह सच नहीं है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राज्य व्यापार निगम को आरम्भ किया था और यह वही महानुभाव थे जिन्होंने पूंजी पर राज्य एकाधिकार आरम्भ किया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं अपनी बात काफी संक्षेप में कहूंगा।

सभापति महोदय: आप पहले ही 5 से 7 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मेरे पास कुछ मुद्दे और रह गए हैं। मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, तत्पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि हमें अपना विकास करना होगा। किसी देश की आजादी के लिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और आत्ममिर्भर रक्षा का होना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परमाणु विकल्प के प्रयोग का प्रश्न कहां से उत्पन्न होता है? क्या आप परमाणु बम्ब बनाना चाहते हैं? क्या आप परमाणु बम्ब की संस्कृति में विश्वास रखते हैं? भारत बम्ब संस्कृति में विश्वास नहीं रखता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जो यहां उपस्थित हैं, पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गुट निरपेक्ष सिद्धांत में परमाणु विकल्प के प्रयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है। यह सिद्धांत इस देश के लिए परमाणु बम्ब बनाने की बात नहीं करता। यह हमारे देशवासियों की आर्थिक सुरक्षा ही है जो हमारे देश की रक्षा को सुनिश्चित करेगी और यह उसका उत्तरदायित्व भी होगा।

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं एक मिनट के भीतर समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: आप कितने और एक मिनट लेंगे? कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व इतिहास पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं। इनकी सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ नामक तीन छोटे राज्यों के सृजन के बारे में पहले ही आश्वासन दे दिया है। छोटे राज्यों का सृजन राज्यों के विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते प्रधानमंत्री इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में छोटे राज्यों के विभाजन की इस प्रक्रिया में हिटलरवाद को जन्म दिया। छोटे राज्यों के विभाजन की इस प्रक्रिया ने ग्रामीण निरंकुश शासन के विकास को प्रोत्साहन मिला। अतः इस संबंध में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े लोगों के अनुरोधों, महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और इच्छाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अधिक राज्यों का सृजन किया जाए लेकिन एक संगठित केन्द्रीय सरकार का होना भी आवश्यक है।

महोदय, इन सभी कारणों से मैं संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का निरनुमोदन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री प्रकाश अम्बेडकर बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे कुछ मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां दिए गए अधिकतर भाषणों और राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यान से सुनता रहा हूं।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है और वह यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। जब पहली बार तीन वर्ष पूर्व यह मामला उठाया गया था उस समय मैं ही दूसरे सदन में अकेला व्यक्ति था जिसने दिल्ली को सीमित राज्य का दर्जा दिये जाने की बात का विरोध किया था। हमारा देश संघीय राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र की संघीय व्यवस्था है। हमारी संघ शासन व्यवस्था वाली राजधानी है और एक संघीय राजधानी के लिए संघीय राज्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है।

मुझे एक घटना याद है जो जलगांव में घटित हुई थी जहां नगरपालिका के प्रेजीडेन्ट ने कलेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ लिया था। जल और जल निकासी व्यवस्था नगरपालिका के अन्तर्गत आती थी। जब प्रेजीडेन्ट और कलेक्टर के बीच खींचतान चल रही थी तो प्रेजीडेन्ट कलेक्टर को हमेशा धमकी देता कि वह पानी अथवा जल निकासी प्रणाली को काट देगा और इसलिए कलेक्टर को प्रेजीडेन्ट के सामने झुकना पड़ता।

अपराह्न 6.42 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आज ऐसी स्थिति उभर रही है और इस स्थिति में हम किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। जब तक राज्यों के बीच तनाव नहीं होता तो स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी लेकिन एक बार राजनीतिक और आर्थिक तनाव उभरने लगेगा तो प्रत्येक राज्य यह पूछने लग जाएगा कि इस देश की राजधानी दिल्ली में क्यों हो जोकि एक राज्य क्षेत्र है। हर कोई पूछने लगेगा कि देश की राजधानी कलकत्ता अथवा हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम, चेन्नई अथवा मुम्बई क्यों न बनायी जाये। ऐसी मांग उठाई जाएगी और क्या हम इसका सामना कर सकेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है।

मैं अब दूसरे प्रश्न पर आता हूं जिसे यहां उठाया जा रहा है। यह राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक भ्रष्टाचार से भी संबंधित है। क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राज्य सरकारों को जो 'पैकेज'' दिये गये हैं वह भी भ्रष्टाचार का, राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक रूप है।

आज हमारे समक्ष ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के दल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दल सरकार को अपने हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं। यह केवल राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच के संबंधों से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह उससे भी एक कदम आगे है। यह सरकार उन राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है जो केन्द्र में इसे समर्थन दे रही हैं।

यह पैकेज वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे से बाहर है। क्या मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बता सकता हूं कि तब ऐसी स्थिति में अन्य राज्य यह प्रश्न उठाएंगे कि केन्द्र को वह अपने हिस्से का योगदान क्यों करें जबकि उनके हिस्से की राशि उन राज्यों को दे दी जाती है जो सरकार को समर्थन दे रही हैं और जो राज्य सरकारें समर्थन नहीं दे रही हैं, उन्हें इससे वंचित होना पड़ रहा है। इस प्रकार वे देश में अव्यवस्था और बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

तीसरा मुद्दा जो मैं यहां उठाऊंगा, वह कुछ अन्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। मेरे दल का और मेरा यह विश्वास है कि छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए, उनका आकार शासन चलाने योग्य होना चाहिए और जनता तथा सरकार के बीच कोई संबंध होना चाहिए। आज कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है जो आठ करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ से अधिक हो गई है। वे अनियंत्रणीय हैं। मैं कुछेक ऐसे मुख्यमंत्रियों को जानता हूं जिन्हें यह भी याद नहीं है कि कलक्टर कौन है या अधिकारी कौन है। ऐसी स्थिति में राज्य का विकास करना संभव नहीं है। इसलिए, कई लोगों ने इस बात की मांग की है कि छोटे राज्यों का गठन किया जाए। हमारे राज्य का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि यह सरकार कुछ क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने जा रही है। फजल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विदर्भ क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह दावा किया था कि यदि वे केन्द्र में सत्ता में आयेंगे, तो वे विदर्भ क्षेत्र को राज्य का दर्जा देंगे, तो अब इस बात से इन्कार क्यों किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही पूछना चाहता हूं।

मैं अब अंतिम मुद्दे पर आता हूं। सरकार ने संविधान की समीक्षा करने की बात की थी। माननीय सदस्य श्री वैको, जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, ने डा. अम्बेडकर की उस बात का उल्लेख किया जो उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

कही थी। लेकिन डा. अम्बेडकर ने एक अन्य बात भी कही थी। उन्होंने कहा:

"संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि शासन चलाने वाले अयोग्य होंगे, तो उसके लिए संविधान को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, बल्कि दोषी वे लोग हैं जो देश को चला रहे हैं।"

क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूँ कि वे संविधान के किस हिस्से को देश में कार्य करने योग्य नहीं मानते और वे उसमें क्या जोड़ना चाहते हैं जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगी? क्या मैं प्रधानमंत्री जी से यह जान सकता हूं कि उन्होंने संविधान की समीक्षा करने की जो बात कही है, क्या वह 'वी एंड आवर नेशनलहुड' में कही गई बात के आधार पर की जायेगी? मैं इसमें से केवल कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा:

"हिन्दुस्तान में रहने वाले गैर-हिन्दू लोगों को हिन्दू संस्कृति और भाषा अवश्य अपनानी चाहिए, उन्हें हिन्दू धर्म का आदर करना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और उन्हें हिन्दू जाति और संस्कृति के गुणगान को छोड़कर किसी प्रकार के अन्य विचारों का सम्मान नहीं करना चाहिए। अर्थात उन्हें न केवल इस भूमि और इसकी पुरानी परंपरा के प्रति असहिष्णुता और अकृतज्ञता का रवैया छोड़ देना चाहिए अपितु इसके स्थान पर उन्हें प्रेम और श्रद्धा का सकारात्मक रवैया भी अपनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें विदेशी नहीं बने रहना चाहिए अथवा उन्हें हिंदू राष्ट्र के पूर्णत: अधीन होते हुये देश में रहना चाहिये और किसी बात का दावा नहीं करना चाहिए, किसी विशेषाधिकार का हक नहीं होना चाहिए, यहां तक कि नागरिक का भी अधिकार नहीं होना चाहिए।"

क्या संविधान की समीक्षा करने के पीछे यही दर्शन होगा? क्या नये संविधान का आधार यही होगा? अथवा क्या नये संविधान, जैसाकि विश्व हिन्दू परिषद कह रहा है कि "हम मनु के अनुयायी हैं और हमारा दृष्टिकोण है मनुस्मृति", का आधार यह होगा जिसका आदर किया जाये? जब वह संविधान की समीक्षा की बात करते हैं तो क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जान सकता हूं कि वह संविधान के किस हिस्से की समीक्षा करेंगे? यदि वे कृपया यह बतायें, तो लोगों की सभी शंकायें दूर हो जायेंगी।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): हाउस का टाइम थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं प्रस्ताव के संबंध में बोलना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सब को दो-दो मिनट का समय दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समस्या को समझें। हमने चर्चा के लिए आठ घंटे का समय नियत किया है लेकिन हम ग्यारह घंटे और तेईस मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। कृपया सहयोग दीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं बोडोलैंड से आया हूं जो दिल्ली से काफी दूर है। मुझे प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब यह कैसे संभव है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, प्रत्येक वक्ता को केवल एक-एक मिनट में अपनी-अपनी बात कहने दें। श्री बैसीमुथियारी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 28 में संशोधन का एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिसमें वर्तमान भारत सरकार ने केवल तीन राज्यों अर्थात 'वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ के गठन का मामला सम्मिलित किया है और देश में बोडोलैंड नामक नए राज्य के गठन के संबंध में लाखों लोगों की सही, ज्वलंत और न्याय संगत मांग को शामिल नहीं किया गया है। किसी अन्य दिन भी मैंने सदन में यह मामला उठाया है कि जब तक यह सरकार बोडो जनता के लिए एक पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग को स्वीकार नहीं करती है तब तक बोडो क्षेत्र और पूरे पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में शांति और स्थायित्व का माहौल कायम नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, बोडोलैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने से ही बोडोलैंड अथवा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, जब तक कि ज्वलंत बोडोलैंड समस्या और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अन्य समस्याओं को राजनैतिक दृष्टि से तुरन्त हल नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार की घोषणाएं महज राजनैतिक चालबाजी और नारेबाजी ही है। श्री देवेगौड़ा की सरकार और उसके बाद श्री इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष आर्थिक विकास के लिए 6100 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, किंतु उसमें से हमारे बोडोलैंड क्षेत्र को छह पैसे भी नहीं पहुंच सके। मुझे इस बात की आशंका है। बोडो का असमियों और असम सरकार से पृथक्करण पहले ही पूरा हो

चुका है। बोडोलैंड की मांग पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

बोडोलैंड क्षेत्र ऐसी जगह स्थित है, जो सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। जब भी आप मेघालय अथवा मिजोरम अथवा मणिपुर अथवा अरुणाचल प्रदेश अथवा नागालैंड जाना चाहें, तो आपको बोडोलैंड क्षेत्र से होकर जाना पड़ेगा ...*(व्यवधान)* अत:, स्थायी शांति और स्थायित्व लाने और बोडोलैंड समस्या का राजनैतिक हल निकालने की आवश्यकता है। मैं अपने लाखों बोडो लोगों की व्यथा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सका ...*(व्यवधान)* हमारी मां और बहनों पर अत्याचार किया जाता है और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। पिछले छह वर्षों में बोडोलैंड जन आंदोलन के दौरान 200 से अधिक लड़कियां और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और लगभग 1200 बोडों को मार दिया गया। हमें किसी तरह का न्याय नहीं मिला। सामूहिक बलात्कार की कुछ घटनाएं तो हाल ही में हुई हैं। हमारी चीख को कौन सुनता है? हमारी मां, बाप और बहनों की चीख को कौन सुनता है? ...*(व्यवधान)*

यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, तो आपको बोडों और उसकी सच्ची भावनाओं की कद्र जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बोडो भगवान कृष्ण के ससुर हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री एन. डेनिस।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री तथा इस सभा के माननीय सदस्यों को बहुप्रतीक्षित पृथक बोडोलैंड राज्य का तुरंत गठन करके बहुलंबित 'बोडोलैंड गुत्थी' का मित्रतापूर्ण और अंतिम राजनैतिक हल निकालने में सहयोग और सहायता करनी चाहिए। अत: मैं नई सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में अगले सत्र में सदन में एक संविधान संशोधन विधेयक लाए। ...*(व्यवधान)*

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 28 में एक संशोधन का दृढ़तापूर्वक प्रस्ताव करता हूं, जिसमें केवल तीन नए राज्य अर्थात् वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन करने का उल्लेख किया गया है और बोडोलैंड की हमारी उचित मांग को छोड़ दिया गया है। जब तक किसी संशोधन पर विचार नहीं किया जाता तब तक मैं पैराग्राफ 28 से सहमत नहीं हूं। इसके लिए मुझे खेद है और इस पर मैं अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं ...*(व्यवधान)* इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार से उक्त पैराओं में संशोधन करने और बोडोलैंड की मांग सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करता हूं कि बोडोलैंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाए। ये बोडोलैंड मांग से अलग हमारे क्षेत्र की अन्य न्यूनतम मूल आवश्यकताएं हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज केवल ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित हैं। बोडोलैंड को स्वतंत्रता के पचास वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भी क्या न्याय मिला है? ...*(व्यवधान)*

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत भूमि से बाहर निकालने के लिए हमारे पूर्वजों को स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का आह्वान किया था और विश्वास दिलाया था कि स्वतंत्रता के पश्चात् छोटे अथवा बड़े सभी लोगों, जातियों को जिसमें बोडो भी शामिल हैं, को न्याय और उनका समान हिस्सा दिया जाएगा। अब भारत की स्वतंत्रता का हमारा हिस्सा कहां गया?

[हिन्दी]

हमारी मांग, हमारा शेयर यानि हमारा हिस्सा कहां गया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल श्री डेनिस का भाषण कार्यवाही में जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर अनुरोध किया था कि हमारी पार्टी को भी समय दिया जाए। इस सदन में दूसरी पार्टी है जिनको चार मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनको छत्तीस मिनट बुलवाया गया। यदि हमें सदन का संरक्षण नहीं मिल रहा है, एक सांसद को सदन का संरक्षण नहीं मिल रहा है तो हम आपके इस सदन का बहिष्कार करते हैं इस विश्वास के साथ, कि अगले सदन में अपने वक्त का हिसाब हम स्वयं कर लेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं आपको भी अवसर दूँगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 6.56 बजे

तत्पश्चात् श्री प्रभुनाथ सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री एन. डेनिस को बोलने के लिए बुलाता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले यह निर्णय हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री अपराह्न चार बजे इस चर्चा का उत्तर देंगे। अब 7 बज चुके हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के अति पिछड़े हिस्सों को, पिछड़े लोगों को और पिछड़े वर्गों को तथा मुख्यत: सारी जनजातीय जनसंख्या, जिन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में अभी लाया जाना शेष है, को विशेष अवसर प्रदान किये जाने के विषय में सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

पिछले स्वतंत्रता दिवस पर एन.एस.सी.एन., यू.एल.एफ.ए., पी.एल.ए. तथा त्रिपुरा में एन.एल.एफ.टी., ए.टी.टी.एफ. के उग्रवादी दलों की बैठकें हुई थीं और उन्होंने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार होना चाहिए एवं भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध खुलेआम बोलकर उन्होंने ऐसा ही किया था। इस स्थिति से निपटना बड़ा कठिन था। सभी राज्य सरकारों को सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करना पड़ा। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने उचित स्तर पर मामला उठाया और स्थिति से निपटने का प्रयास किया, प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार इसका अनुसरण करेगी।

ये उग्रवादी ताकतें देश की पूर्ण अखंडता को चुनौती दे रही है तथा इस पर आक्रमण कर रहे हैं और वे इसे कुछ इस प्रकार कर रही हैं कि हमारी संप्रभुता को ही खतरा पैदा होता जा रहा है। वे संपूर्ण उत्तर-पूर्व की स्वतंत्रता और भारत से संपूर्ण क्षेत्र के विघटन की घोषणा कर रहे हैं। वे खुले आम इसकी घोषणा कर रहे हैं। वे भारत से उत्तर-पूर्व के विघटन को लोकप्रिय नारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी समस्त गतिविधियाँ-घोषणाएँ और अन्य चीजें सेना को पता हैं; सभी कागजात केन्द्र के गुप्तचर विभाग के पास हैं। उनके पास सब कुछ था। मैं जानना चाहूंगा कि नई सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और उनकी नीति क्या टहै। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसे स्पष्ट नहीं किया है।

पहली बार केन्द्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार ने उत्तर-पूर्व के विकास के लिए आधारभूत ढांचे की कमियों को पूरा करने के लिए 6,600 करोड़ रुपये का एक पैकेज बनाया था। हमें नहीं मालूम कि इसका अनुसरण किया जाएगा अथवा नहीं। मुझे संदेह है कि यह नई सरकार उन पर कार्य आरंभ करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया था।

श्री समर चौधरी: महोदय, मैं अंतिम बात पर आ रहा हूँ।

आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री, श्री बिमल सिन्हा की त्रिपुरा में उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है। जब आज इस सदन में इस मामले को उठाया गया था तब गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस पर एक वक्तव्य देंगे। यह ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस नई सरकार ने पिछले पन्द्रह दिनों में त्रिपुरा से कुछ बलों को क्यों हटा लिया?

अपराह्न 7.00 बजे

कुल 62 कम्पनियों में से सी.आर.पी.एफ. की 25 कम्पनियों को राज्य से बाहर क्यों निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही में नहीं दर्ज होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री डेनिस का भाषण ही केवल रिकार्ड किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री डेनिस, केवल दो मिनट का समय रह गया है। आपको समाप्त करना होगा। सात बज चुके हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, वह एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह पिछले पांच, छ: बार चुने गए हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं उन्हें बाधा नहीं पहुंचा रहा।

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता है। राष्ट्रपति का अभिभाषणं भाजपा और इसके सहयोगी दलों के राष्ट्रीय एजेण्डा के समान ही है। इसने राष्ट्रीय एजेण्डे को अधिकारिक स्वरूप प्रदान किया है।

देश की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। यह एक अस्पष्ट जनादेश है। जनता ने किसी एक दल को जनादेश नहीं दिया है। भिन्न विचारों और सिद्धान्तों तथा विभिन्न घोषणापत्रों वाले दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। कुछ दल सरकार बनने के बाद साथ आए हैं। अब भाजपा तथा अन्य दलों को साथ मिलकर संयुक्त जनादेश प्राप्त हुआ है। अत:, महत्वपूर्ण मामलों में उनके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन होगा क्योंकि उनके विचार एवं सिद्धांत अलग-अलग हैं।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सर्वसम्मति तथा समझौते से तय किया जायेगा। यदि इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन में पूर्णतया पालन किया जाए तो यह एक अच्छा प्रस्ताव है। इसका पालन न करके प्रस्ताव को निष्फल कर देना इसका उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश में सरकार का ऐसा ही एक उदाहरण है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव है। सरकार की विश्वसनीयता को सरकार के कार्यनिष्पादन के आधार पर आंका और मापा जायेगा।

कई समस्याएं हैं। जनसंख्या नियंत्रण एक समस्या है। आज हमारी जनसंख्या 96 करोड़ है। 1951 में यह 36 करोड़ थी। 2000 ई. तक जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत होगी। विकासात्मक गतिविधियों के फल तब तक इच्छित परिणाम नहीं देंगे जब तक कि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करिए।

श्री एन. डेनिस: जन्म दर शून्य प्रतिशत होनी चाहिए। इस संबंध में एक परिवार और एक बच्चे का मानदंड अपनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या से और कठिनाइयाँ पैदा होंगी। उदाहरण के लिए 1951-52 में साक्षरता की प्रतिशत केवल 18 थी जबकि 1991 में यह 52 थी। जनसंख्या वृद्धि से देश में निरक्षर लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। पूर्ण बजट के समय आपको अधिक समय मिलेगा।

श्री एन. डेनिस: लगभग 19 लाख लोग बेरोजगार हैं। कई लोग नौकरी के लिए विदेशों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उन्हें हमारे देश में रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। उनकी योग्यता और विद्वता का उपयोग हमारे देश की अच्छी तरह से सेवा करने में किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डेनिस जी, कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डेनिस जी, कृपया समाप्त करें।

श्री एन. डेनिस: जहाँ तक गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन करने संबंधी कार्यक्रमों की बात है बैंक प्राधिकारी इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समस्यायें पैदा कर रहे हैं। अत: उन्हें गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन करने संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के बारे में कड़े निदेश दिये जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डेनिस जी, कृपया समाप्त करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एन. डेनिस: मैं सभा के समक्ष अपने क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से केरल और कन्याकुमारी के लोगों की एक समस्या रखना चाहता हूं। रबड़ की कीमत में काफी कमी आयी है। रबड़ का आयात बन्द करना चाहिए। 1995 में रबड़ की कीमत 64 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 1996 में यह 45 रुपये थी और इस समय यह घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी है। अत: रबड़ उत्पादक गंभीर वित्तीय संकटों का सामना कर रहे हैं।

अन्तत: मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, इस विषय के लिए आठ घंटे का समय नियत किया गया था। हम पहले ही 11 घंटे और 30 मिनट ले चुके हैं। प्रधानमंत्री भी उत्तर देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, कृपया मेरे साथ सहयोग करें क्योंकि आने वाले बजट सत्र में हम कई माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकेंगे। कृपया, अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं आपको अगली बार मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने का जो दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। यह चर्चा, विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद ली गई है, इसलिए कुछ पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सदस्यों ने जिस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया और अभी भी बहुत से सदस्य ऐसे है जो भाग लेने से वंचित रह गये हैं, उससे सदस्यों की भागीदारी का प्रमाण मिलता है। सत्ता-पक्ष की ओर से श्री बलराम जी जाखड़ ने चर्चा का प्रारम्भ किया था। ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: विपक्ष की ओर से प्रारम्भ हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हां, विपक्ष की ओर से। अध्यक्ष जी, आदत जाते-जाते जाएगी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, ये होने वाली घटनायें अपनी छाप छोड़ती हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उन्होंने, मेरे मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने और कुछ सदस्यों ने भी यह टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम करेगी, उसमें सब्जबाग ज्यादा दिखाए गये हैं, हवाई बातें अधिक की गई हैं, स्वर्ग को धरती पर उतार कर लाने की कोशिश की गई है। कम से कम वायदा तो किया ही गया है और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है। ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के साथ न्याय करना नहीं है।

अभी 12वीं लोक सभा का चुनाव हुआ है। लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला हो, लोग भले ही बड़ा ऊंचा जीवन-स्तर गुजारने वाले न हों, लेकिन भारत का आम आदमी, आम मतदाता, उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के क्या हित में है, क्या अहित में है, इसकी पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा ही परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया था, तब भी जनता जागरुक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जब उस समय चुनाव हुए उसके परिणाम, उसकी जागरुकता का परिचय देने वाले थे। क्या भारत के मतदाता को हरे-बाग दिखाकर बहकाया जा सकता है, क्या वह वायदों को कसौटी पर नहीं कस सकता?

हमने कोई आसमान के तारे तोड़ कर लाने का वचन नहीं दिया। हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचने का वायदा किया है—क्या यह हवाई वायदा है? यह जमीन से जुड़ा वायदा है। यह हर आम आदमी की प्यास को बुझाने का वायदा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह राष्ट्रीय विफलता है। अगर हम इसे पूरा करके दिखाएंगे तो वह पार्टी या सरकार की सफलता नहीं होगी, सारे राष्ट्र की सफलता होगी। हमने जो भी वायदे किये हैं, हम ठोस रूप में उन्हें परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि साधनों की इतनी कमी नहीं है, साधन यत्र-तत्र बिखरे हैं। उन साधनों को जुटा कर, अगर तंत्र को एक लक्ष्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार किया जाए और राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो ये वायदे पूरे हो सकते हैं, इन वायदों पर अमल किया जा सकता है। मैं इस काम में सदन का सहयोग चाहता हूं। मैं इस छोटे से काम के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, कठिन काम बन गया है, सबके सहयोग की कामना करता हूं। अगर हमने जनता के साथ किये गये वायदे पूरे नहीं किए तो क्या फिर हमें जनता के पास नहीं जाना होगा? क्या उस समय जनता नहीं पूछेगी? क्या आप उस समय जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये थे, उन पर अमल नहीं किया, अब ये वोट के हकदार नहीं हैं। भारत का प्रबुद्ध मतदाता हमें हटा देगा। आखिर लोगों पर कुछ तो भरोसा रखना होगा। इस देश की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहावत है कि थोड़े दिनों के लिए, थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए गुमराह किया जा सकता है लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। क्या हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं? मेरा निवेदन है कि यह हमारे साथ न्याय नहीं है। जो भी वायदे हैं, हम उन्हें अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। इस तरह के रचनात्मक कामों में कभी हमने असहयोग नहीं किया। यह बात अलग है कि इस तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम कभी नहीं रखा गया। यह बात भी अलग है उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सारे देश को जुटाने की बात नहीं की गई। जहां की गई, जितनी की गई, उसमें सफलता मिली। हम राजनीतिक बिखराव को इस सीमा तक न जाने दें कि इस देश में मिल कर काम करना और बुनियादी सवालों पर मिल कर काम करना असम्भव हो जाए।

मुझे आश्चर्य हुआ, जब श्री नटवर सिंह जी ने विदेश नीति का उल्लेख किया और कहा कि क्या विदेश नीति बदली जा रही

है? मैं जब प्रतिपक्ष में था और विदेश नीति पर भाषण दिया करता था, आज मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, नटवर सिंह जी मुझे बधाई दिया करते थे। अगर मैं प्रतिपक्ष में रहकर विदेश नीति का समर्थक था और जो हमारी विदेश नीति को निचोड़ रहा है, स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति, क्षमता यही गुट निरपेक्षता है। आज गुट तो नहीं है, मगर एक महाशक्ति उभर रही है। अनेक विकासशील देश हैं।

वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं। वह हमारी ओर देख रहे हैं। वे हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अंकित शर्तें मानते गए, आपने अपनी जनता के हितों की रक्षा नहीं की, इतने बड़े होकर अगर आप इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हम छोटे देश क्या करेंगे? पहले भी नेहरू जी के नेतृत्व में हमने उनका मार्गदर्शन किया था। मैं उस कोटि में अपने को नहीं रखता, लेकिन आज सारा भारत अपनी सर्वप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा खड़ा होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्थिक मामलों में या सुरक्षा के मामलों में हम किसी के दबाव में नहीं आयेंगे। जो निर्णय होंगे, हमारे अपने निर्णय होंगे, देश के हित में होंगे और इन निर्णयों में आप सबकी भागीदारी हो, यह मैं चाहता हूं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि विदेश नीति कोई जड़ नीति नहीं हो सकती, गतिहीन नीति नहीं हो सकती। परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुरूप अपने को उसे ढालना पड़ता है, लेकिन जो आधारभूत बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद की बात बन गई है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया, वे सब दलों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके बारे में यह आशंका प्रकट नहीं की जा सकती कि वह डा. अंबेडकर के सब किये धरे पर पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन हमारे संविधान को पचास साल हो गए, और हमने उसमें स्वयं कई बार संशोधन किया है। संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं की थी क्योंकि वे जानते थे कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, वह कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। वह देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और आवश्यकता हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और किये जाने का रास्ता उन्होंने खोला था लेकिन संशोधन बहुत कड़ा बना दिया था— दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता निश्चित कर दी गई थी। अब यह जो प्रस्तावित कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिये जायेंगे जिनकी निष्पक्षता में, जिनकी विद्वता में, जिनकी विधि के बारे में योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा और दूसरे, वह केवल सिफारिश करेंगे। वह कमीशन इस देश के ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं देगा। वह सिफारिश संसद के सामने रखी जायेगी और संसद में हमारा बहुमत जरूर है, मगर कितना बहुमत है, यह आपको मालूम है। तो इस तरह का एक हौवा खड़ा करना गलत है कि कमीशन बैठाना गलत है और इस कमीशन बैठाने के पीछे इनकी नीयत ये है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। यह कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। आरिफ साहब हमें यह चेतावनी देने की जरूरत न समझें। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह भी हमारी ओर से बार-बार कहा जाता रहा है। अस्पृश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी, जो व्यवहार में है, उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हो रही है। दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपने अधिकार, थोड़ा अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिलें, राज्यों को अधिक वित्तीय साधन मिलें, यह हमारी नीति है। इसमें सब कुछ केन्द्रित हो जाएगा और उस केन्द्रीकरण के कारण देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, इस तरह से विचार करने का तो कोई आधार नहीं है।

मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। यह मुझे बार-बार कहना पड़ता है, यह भी सचमुच में मुझे पीड़ा देने वाली बात है। लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करके ही हम आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं। ईमानदारी से काम करते हुए गलतियां हो सकती हैं, मगर अप्रमाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचपन में सबसे पहले आर्य समाज के सम्पर्क में आया था, आर्य कुमार सभा का सदस्य था और आर्य कुमार सभा का सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका अंधविश्वास नहीं है। तर्क की कसौटी पर तथ्य को कसने की तैयारी यह मेरा बचपन का संस्कार है मतभेद को भी गम्भीरता के साथ प्रकट करना, निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नीयत पर शक न करना और न उसे अपनी नीयत पर शक करने का मौका देना, उसके बाद जब मैं कालिज में पहुंचा तो मेरा स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया से सम्पर्क था, क्योंकि मैं छात्र आन्दोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, जीतता था, निर्विरोध निर्वाचित होता था। वह एक छात्र संगठन था जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उधर कैसे चले गये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: वापस आने के लिए। कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिष्ट पार्टी ने मजहब के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्मनिर्णय का नाम दिया तो फिर मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने कभी भी अपने देश के विभाजन का समर्थन नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, उन्होंने विभाजन का समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन आर्थिक समता, शोषण की समाप्ति ऐसे विश्व की रचना जिसमें कोई किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमायेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा—यह विचारधारा उस समय बलवती थी।

श्री बसुदेव आचार्य: अभी भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सोवियत संघ—जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, उनके लिए आकर्षण का केन्द्र था। वहां व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है, व्यक्तिगत स्वाधीनता को वहां समाप्त कर दिया गया है, यह बात बहुत बाद में प्रकाश में आई। पहले सोवियत संघ का जो आकर्षण पक्ष था, वही लोगों के सामने था और वह नई पीढ़ी को अगर साम्यवाद नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद जरूर प्रेरणा देता था। जो क्रांतिकारी थे वे कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्टूडेंट फैडरेशन में था तभी मेरा सम्पर्क आर.एस.एस. से हो गया था, वह अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो, इसकी प्रेरणा देता है। उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन अनेक सदस्यों को यह याद नहीं होगा कि जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 26 जनवरी आ गई, गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था, सुरक्षा के कारण उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होनी चाहिए। इसलिए जो थोड़ी बहुत सेना उपलब्ध थी, पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। फिर पंडित जी को किसी ने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए।

आज जब देश की सीमाएं संकटापन्न हैं, तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए। उसमें आर.एस.एस. को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है कि नेहरू जी के इस कदम का कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में विरोध हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आर.एस.एस. से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है, तो ये मतभेद हमें भुलाने चाहिए और सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। फिर जब देश पर हमला हुआ, सेना की कमी थी, पुलिस की कमी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उस समय यह कठिनाई आई कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध कौन करे? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की कमी पड़ रही थी। यह काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था—

"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करै न कोय।
जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे को होय॥"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं अपने को सारी अच्छाइयों का आगार पाता हूं, लेकिन हमने 40 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत देर रहेंगे, वे भी अपने धर्म का पालन करें। "धर्म" का अर्थ "रिलीजन" नहीं है। धर्म एक व्यापक शब्द है। "धर्म चर" अर्थात् धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो, इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है, यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संशोधित करूं और अच्छी बातें कहूं, और आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुनें। जब रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है, तो भ्रम पैदा होता है। अगर 'सैकुलर" शब्द का अनुवाद "पंथनिरपेक्ष" किया जाता, "संप्रदाय निरपेक्ष" किया जाता, क्योंकि कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती, लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सैकुलरवादी हैं, देश सैकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में लाकर दिखाएंगे। जो गलतफहमियां जानबूझकर या अनजाने में फैलाई गई हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनका निराकरण कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण मामला उठाया। आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बड़ी संख्या में आत्महत्या कर के अपनी जान दे रहे हैं। यह मामला चुनाव में भी उठा था। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की है। यह तो सचमुच में एक गहरी बीमारी का लक्षण है, लेकिन नौबत यहां तक आ गई है कि किस तरह का रसायन, किस तरह का खाद, काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की कितनी व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था हो, और अगर वह कर्जा देने की स्थिति में न हो, तो क्या जान देने की स्थिति तक पहुंच जाए—ये सारे प्रश्न हैं, जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं और हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। जनार्दन रेड्डी तो स्वयं आंध्र प्रदेश से आते हैं। मैं इस संबंध में शीघ्र ही कुछ कदम उठाऊंगा, ऐसा मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन को बहुत शक्ति देने की आवश्यकता है। कुछ प्रदेशों में सहकारी समितियां सफल होती हैं और कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होनी चाहिए उतनी फसल नहीं होती हैं, लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी? भागीदारी कोई निर्गुण चीज नहीं है। यह निराकार वस्तु नहीं है। यह सगुण है, साकार है। कहां भागीदारी हो, किस रूप में हो? एक सरकारी तंत्र है और दूसरा

उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है। हमें एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए, जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सहकारिता आन्दोलन में जो दोष आ गये हैं, उनका हम निराकरण करें। उसे जीवंत बनायें, उसे जागृत बनायें। जिनके हितों की रक्षा के लिए वह सहकारी समिति गठित होती है या आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए। सहकारिता के मामले में ऐसा भी दिखायी देता है कि जो अधिक साधन सम्पन्न हैं, वे सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं। वे उसका राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। दलबन्दी से उसे अलग रखना पड़ेगा। लेकिन यह सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी होगा।

निषाद जी यहां बैठे हैं। मैं उनके द्वारा रखे गये अच्छे सुझावों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय-पत्र मिलना चाहिए। हम लोग बरसों से इसकी मांग करते रहे हैं। इसका आरंभ भी कर दिया गया, लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। अगर जाली मतदान रोकना है, तो उसके लिए परिचय-पत्र की आवश्यकता है। अगर देश में गलत लोगों का प्रवेश रोकना है, तो उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय-पत्र होना चाहिए। आपातकाल या संकट के समय जहां परिचय-पत्र की आवश्यकता हो, वहां परिचय-पत्र हर नागरिक की जेब में रहे तो उससे कई सुविधायें होंगी और उस परिचय-पत्र के आधार पर वह राहतें भी पा सकता है। वह परिचय-पत्र दिखाकर राशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है।

मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक परसेंट से कम वोट प्राप्त करने वाले को छह महीने की सजा होनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। इसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं।

वर्ष 1957 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय मेरे पास दो जीपें थीं। मैं लखनऊ से बलरामपुर गया था। बलरामपुर को मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गये। एक जीप साथ ले गये थे, एक जीप वहां जुटा ली और दो जीपों से चुनाव लड़ा। पूरे क्षेत्र में घूमे और जीत गये—दो जीपों से। अब तो काफिला चाहिए। कहां से आयेगा? क्या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। इसलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो एक चुनाव प्रणाली ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): संविधान से इसका संबंध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया जाये और सूची पद्धति "लिस्ट सिस्टम" को लागू कर दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं तो आगे चुनाव क्षेत्र में व्यक्ति, मतदाता पार्टी को ही वोट देगा। ...*(व्यवधान)* वही मैं कह रहा हूं। उसमें भी कठिनाइयां हैं, यह मैं जानता हूं लेकिन उससे जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिन्तन की प्रक्रिया शुरू होगी।

मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं। लेकिन महंगा होते हुए चुनाव राजनीति को पूंजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेगा।

यह खतरे की घंटी है। कभी-कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते—"न दैन्यम् न पलायनम्"।

अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएं की थी कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तस्वीर बदले। मेरे लिए यह चुनाव अंतिम होगा। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: प्रक्रिया बदल दीजिए, यह बात सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रक्रिया तो तब बदलेगी जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे। ...*(व्यवधान)* हमारी, आपकी, सबकी। मगर गहराई से विचार करें। कभी-कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है।

अभी गठबंधन हुआ है, किसी को बहुमत नहीं मिला, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। अगर हम जोड़-तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएं तो हमारी विचारधारा गलत है, हम गलत हैं, हम दुर्गुणों की खान हैं—यह लम्बा समय मैंने गुजारा है, पायलट साहब। आपको तो अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है।

श्री राजेश पायलट: जैसे आज के लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। आपने तो आर्ट ऑफ गवर्नेंस कहा। यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप फिर अखबारों पर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग-अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारुख अब्दुल्ला को, यदि वे सदन में हैं तो, बधाई देना चाहता हूं। वे पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है। हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाये जाते हैं, कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब सबके लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए।

इस चर्चा में नॉर्थ ईस्ट की बात भी उठी है। आज त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया है। वहां कुछ क्षेत्रों में अशांति है, हिंसात्मक उपद्रव हैं। उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान देती रही हैं। लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। उत्तर पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं शीघ्र ही उनकी बैठक बुलाकर, वहां की परिस्थिति के संबंध में विचार करूंगा। उनके सुझाव मांगूगा तथा क्या कदम और उठाये जा सकते हैं, उसके बारे में हम निर्णय करेंगे।

बोडोलैंड के हमारे सदस्य ने भी भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोडोलैंड की कुछ समस्याएं रखी हैं। समस्याएं विकास से जुड़ी हुई हैं और उन सारी समस्याओं पर हम गंभीरता से चर्चा करें, सबकी राय से एक नतीजा निकालें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, यह तो इसकी व्याख्या करने की बात है। हमारा मुद्दा केवल सामाजिक-आर्थिक समस्या से ही संबंधित नहीं है। यह तो बहुत ही गंभीर जातीय-राजनैतिक संकट है। इसे अलग बोडोलैंड देकर ही राजनैतिक तौर पर हल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, सरकार का नया राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने का कोई इरादा नहीं है।

हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अपने नेशनल एजेण्डा में भी तीन नये राज्य बनाने की बात कही है। आज विदर्भ के एक माननीय सदस्य मुझसे मिलने के लिए आये थे और उन्होंने एक स्मृति पत्र दिया है। हम उसके सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला करेंगे, यह मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री दत्ता मेघे: वह राज्य बनना चाहिए, ऐसा फैसला करिये।

श्री विलास मुत्तेमवार: अटल जी, नेशनल कमीशन ने इसके लिए रिकमेण्ड किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हमारे मार्क्सवादी मित्र ने यह पूछा था कि जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी समस्याओं की उपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं है। कई प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। जहां किसान समृद्ध हैं, जहां किसान के पास पैसा है, वहां न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा भी मजदूरी मिल रही है। लेकिन यह स्थिति सारे देश पर लागू नहीं है और अगर आम राय यह बनती है कि इसके लिए केन्द्रीय कानून हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

मैं बिहार गया था, जब वहां बड़ा हत्याकाण्ड हुआ था तो मैंने जहानाबाद के पास लैथे में पूछा था, किसान लोगों से, जो पीड़ित थे कि क्या कोई जमीन का झगड़ा है या मजदूरी का झगड़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन का झगड़ा भी नहीं है, मजदूरी का भी झगड़ा नहीं है। इसके मूल में कोई और झगड़ा है।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): अभी वह कमीशन में है, इसलिए उस पर मत बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, श्री सुब्रत मुखर्जी ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सरकार पहले से उस दिशा में विचार कर रही है। अब सिंचित जमीन की सीमा बढ़ाने में कठिनाई है, लेकिन बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और अगर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाये, उसमें सब का सहयोग मिले, सरकार को तो पहल करनी ही पड़ेगी, तो बंजर जमीन को हम खेती लायक बनाकर इस देश में पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत से उठाये गये थे। मेरे लिए इस समय सब का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) सांसदों की योग्यता भी तय हो। यहां चपरासी और मार्शल की भी शैक्षणिक योग्यता तय है, सब के लिए तय है, कांस्टेबल तक के लिए योग्यता तय है। विधायक और सांसद कितने पढ़े-लिखे हों, यह भी तय करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, मगर विधायकों को चुनने वाले अगर पढ़े-लिखे नहीं हैं और पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): लोक सभा पांच साल के लिए हो, यह भी तो कहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उस दिन इसका उल्लेख कर चुका हूं। ये सारी बातें संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा, उसमें आप रख सकते हैं, वहां वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उनसे मनवा सकते हैं, और फिर संसद् में जब बात आये तो उचित निर्णय कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): उस आयोग में कल्पनाथ जी और हमारा होना जरूरी है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी नहीं थे, मैंने दो मुद्दे उठाये थे। पहला मुद्दा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। संविधान में संशोधन करके उसको ला दिया गया है, लेकिन डी.ओ.पी. के कारण वह नहीं हो पाया था और हम लोगों के समय में भी उसको जब लिया गया था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी। आप उसको जरा देख लें।

दूसरा मुद्दा हमने रखा था कि जो लोग टाडा के अन्दर जेल में बन्द हैं, कल आपने लखनऊ में बहुत अच्छी बात कही, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। जब टाडा का कानून खत्म कर दिया गया है तो जो लोग टाडा के अन्दर बन्द हैं, तो उनका जनरल तरीके से मुकदमे के तहत ट्रायल किया जाये। इन दो मुद्दों पर आप विचार करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, राम विलास जी ने अच्छे सुझाव दिये हैं, उन पर अवश्य विचार किया जायेगा। वे भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहेंगे, हम उनसे यह आशा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है

...*(व्यवधान)*

श्री तरुण गगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तरुण गगोई जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रख दूँ या कोई सदस्य किसी संशोधन विशेष को अलग से रखना चाहते हैं?

अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 मार्च 1998 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.52 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तूफान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास उपाय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री, श्री सोमपाल वक्तव्य देंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं 24 मार्च, 1998 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आये तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति पर और सरकार द्वारा किये गये राहत और पुनर्वास उपायों पर वक्तव्य देने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

यह तूफान 24 मार्च, 1998 को दोपहर में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ तटवर्तीय क्षेत्रों में आया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री सोमपाल: उड़ीसा सरकार से मिली अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार इस तूफान की चपेट में बालेश्वर जिले में जलेश्वर तहसील के तीन गांव में लगभग 5,000 व्यक्ति, 2,000 मकान तथा चार शैक्षिक संस्थान आए तथा इसके अलावा 22 मनुष्यों की मृत्यु हुई जिनमें 13 बच्चे थे। इसमें 97 व्यक्ति घायल हुए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी: *महोदय, वह दो राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। हम अन्य राज्यों के बारे में भी एक व्यापक वक्तव्य चाहते हैं ...(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यदि कोई स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, तो मैं इसे पूरा करने के बाद दूंगा।

महोदय, लगभग 17 पशु मारे गए तथा 396 घायल हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तीन प्रखंडों में 18 ग्राम तूफान से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, लगभग 30,000 व्यक्ति, 5,702 मकान तथा 2569 हैक्टेयर क्षेत्र जिसमें फसल खड़ी थी प्रभावित हुए हैं तथा इसके अलावा 48 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 1583 मवेशी मारे गए हैं। लगभग 1200 व्यक्ति घायल हुए हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनी देता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, वर्ष के इस भाग में पूर्वोत्तर भारत में आम तौर पर तूफान अर्थात् गम्भीर स्थानीय मौसमी स्थिति जिसे नार्थ वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है। इनकी विशेषता यह है कि इसमें थोड़े समय लगभग 15 मिनट के लिए बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये हवाएं लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और इसका प्रभाव लगभग 20 किलोमीटर तक सीमित रहता है। यहां यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि यह टारनेडो नहीं है। टारनेडो बहुत तीव्र गति से आता है जो कीप के आकार का होता है तथा भूमि पर स्थित पदार्थों को खींच लेता है जिसके फलस्वरूप बहुत क्षति होती है। भारत में टारनेडो आना बहुत असाधारण बात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इन दिनों पूर्वोत्तर भारत की स्थिति तूफान आने के लिए अनुकूल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली, कलकत्ता तथा भुवनेश्वर द्वारा आकाशवाणी/दूरदर्शन पर तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों को 23 और 24 मार्च, 1998 को इन क्षेत्रों में तूफान आने की संभावनाओं के बारे में चेतावनी दी गई थी किंतु तूफान के अचानक आने के बारे में, स्थान और समय का सही सही पूर्वानुमान लगाने तथा पूर्व चेतावनी देने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है।

माननीय प्रधानमंत्री को 24 मार्च शाम को इस आपदा के बारे में बताया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे निदेश दिया कि मैं दोनों राज्यों में प्रभावित इलाकों का दौरा करके यहां हुई क्षति का मूल्यांकन करूं तथा राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार से अपेक्षित संसाधनों तथा अन्य सहायता की आवश्यकता का पता लगाऊं। मेदिनीपुर और बालासोर संसदीय क्षेत्रों के माननीय सांसद श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री के. स्वाइन से मैंने अपने साथ वहाँ जाने का अनुरोध किया था। श्री गुप्त जाने में असमर्थ थे। माननीय संसद सदस्य कुमारी ममता बनर्जी और श्री स्वाइन मेरे साथ गये। माननीय इस्पात और खान मंत्री श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में एक अन्य उच्च स्तरीय, प्रतिनिधिमंडल ने 26 मार्च, 1998 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

हम 25 मार्च, 1998 को दोपहर 12.00 बजे कलई-कुण्डा हवाई पट्टी पर पहुंचे और वहां से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के डानटन प्रखंड तथा उड़ीसा के बालेश्वर जिले के जलेश्वर प्रखंड के लिए रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान हमने प्रभावित लोगों से मुलाकात की तथा अस्पतालों में घायल व्यक्तियों को देखा। पश्चिम बंगाल में मकानों, फसल, पशुधन आदि की कितनी क्षति हुई इसके बारे में यह दल कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। तथापि मेदिनीपुर के जिलाधीश ने प्रभावित गांवों की एक सूची प्रस्तुत की। डानटन प्रखंड के सार्टा गांव में, जो संभवतया सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, इस दल को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए किसी बचाव अथवा राहत कार्य का कोई सबूत नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): आप ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? आपको वहाँ किये जा रहे राहत कार्यों तक सीमित रहना चाहिए।

श्री सोमपाल: पेयजल की भी एक गम्भीर समस्या थी, स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछेक प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय के लिए तिरपालें मुहैया की गई थीं।

उड़ीसा में दल ने जलेश्वर प्रखंड में गोबर घाट गांव का दौरा किया, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय की दीवार तथा छत के गिरने से स्थल पर ही 13 छात्रों की मृत्यु हो गई थी तथा बाद में एक अध्यापक की अस्पताल में मृत्यु हुई। दल ने देखा कि गैर सरकारी संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन बनाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। केवल मंत्री जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: दल ने यह भी पाया कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेज गति से एवं कुशलतापूर्वक चल रहा है। रिपोर्ट और प्रलेखन भी तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक और पूर्ण था। गांव वालों ने बताया कि पुलिस कर्मचारी घटना के दो घंटे के भीतर बचाव करने हेतु गांव में पहुंच गए थे। शव परीक्षण के बाद उचित समय के अंदर ही शवदाह कर दिये गये थे। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया पहले उनकी बात सुनिये।

श्री सोमपाल: आम जनता ने गैर सरकारी संस्थाओं और ग्रामीण समुदाय के निकट सहयोग से स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत कार्यों पर अपना संतोष प्रकट किया है। हमने यह भी महसूस किया कि यह कार्य प्रशंसा के योग्य था। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

उड़ीसा सरकार की आकलन रिपोर्ट के अनुसार काल-बैसाखी द्वारा सर्वाधिक प्रभावित तीन जिलों में कुल 22 लोगों की जानें गई जिनमें से 13 स्कूली बच्चे थे और 17 मवेशी भी मारे गए। 2000 घरों में से 200 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 1,500 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए; 1,000 से ज्यादा नारियल के पेड़ तथा 350 कटहल के पेड़ उखड़ गए। दल, जलेसर अस्पताल में दाखिल रोगियों से भी मिला। गंभीर चोटों के इलाज के लिए 19 रोगियों को बालासोर अस्पताल में दाखिल किया गया और तीन को कटक मेडिकल कालेज में भेजा गया।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि वर्तमान प्रणाली के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समय आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से राहत और बचाव कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार आपदा राहत कोष में 3:1 के अनुपात में योगदान करती है। भारत सरकार चार समान त्रैमासिक किस्तों में स्वत: अपना हिस्सा जारी करती है। यदि आपदा राहत कोष में धन की कमी है तो राज्य सरकार आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्सों को अग्रिम रूप से जारी करने का अनुरोध कर सकती है अथवा चालू योजना कार्यक्रमों में से धन खर्च कर सकती है।

उड़ीसा को 38.79 करोड़ के केन्द्रीय हिस्से सहित 51.72 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल को 40.62 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से सहित 54.16 करोड़ रुपये की राशि आपदा राहत कोष में आबंटित की गई है। संपूर्ण केन्द्रीय हिस्सा जारी कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कितनी राशि जारी कर दी गई है?

श्री सोमपाल: संपूर्ण केन्द्रीय हिस्सा जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उड़ीसा सरकार के पास 8.12 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि पड़ी थी और पश्चिम बंगाल सरकार के पास 31.92 करोड़ रुपये की 'अप्रयुक्त' राशि पड़ी थी। भारत सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए तथा उनके संसाधनों के संवर्धन के लिए आपदा राहत कोष से उड़ीसा को 10.19 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 10.67 करोड़ रुपये 1998-99 के केन्द्रीय हिस्से की प्रथम त्रैमासिक किश्त अग्रिम रूप से जारी कर दी गयी है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार समय समय पर नियुक्त किये जाने वाले वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बल प्रदान करती है।

1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने भूस्खलन, बिजली गिरने, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, सूखा, भूकंप तथा कीड़ों के आक्रमण के कारण नुकसान की सूचना दी है। भारत सरकार इन राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मंगवा रही है। ...*(व्यवधान)*

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं में अन्तर्निहित प्रशमन तथा निषेधात्मक उपायों का सृजन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के दीर्घकालीन प्रशमन और निषेध के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभाग विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू कर रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पेयजल तकनीकी मिशन, जल संसाधन मंत्रालय का वर्षा रहित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विकास कार्यक्रम, नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ ग्रस्त नदी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण शामिल हैं।

गंभीर आपदाओं के समय राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1995-96 से एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को: ये प्रासंगिक मुद्दों के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

श्री सोमपाल: वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में 126.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है। ...*(व्यवधान)*

इस कोष का प्रबंध एक राष्ट्रीय आपदा राहत समिति करती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप समिति है जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, दो केन्द्रीय मंत्री और पांच मुख्यमंत्री, जिनका नामनिर्देशन प्रधानमंत्री द्वारा वार्षिक रूप से बारी-बारी से किया जाएगा, इसके सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: आपको भी स्थिति की जानकारी है। माननीय मंत्री महोदय एक वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया पहले उन्हें सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा अन्तर मंत्रालयी दल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति यह निर्णय करती है कि आपदा गंभीर किस्म की है या नहीं, तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की राशि स्वीकृत करती है।

मैं सदन के सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप तकलीफ की इस घड़ी में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के प्रयासों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिए।

रात्रि 8.07 बजे

इस समय श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइये। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। माननीय गृह मंत्री महोदय अपनी बात कह रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.09 बजे

इस समय श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मित्र वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं। इस मामले में दो शिष्टमंडलों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है। एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कृषि मंत्री ने किया था जबकि दूसरे का नेतृत्व श्री नवीन पटनायक ने किया था। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री पटनायक को अपनी रिपोर्ट सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये जो कि उन सभी सदस्यों की सर्वसम्मत रिपोर्ट है जो उनके साथ गये थे।

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, आपको याद होगा कि जब उस दिन आप पीठासीन थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह वायदा किया था कि वे सभी राज्यों से बात करेंगे और सोमवार तक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज के वक्तव्य में ऐसी कोई जानकारी नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पायलट जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया यह बात समझें कि नियम चर्चा की अनुमति नहीं देते।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन यह वायदा किया था कि वह सोमवार तक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज मंगलवार है। इस वक्तव्य में कोई जानकारी नहीं है। महोदय, यह सही नहीं है।

श्री शरद पवार (बारामती): माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से यह निश्चित वायदा किया गया था कि वह संबंधित राज्यों से जानकारी एकत्र करेंगे और सदन को वह विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह जानकारी एकत्र करते। मैं नहीं जानता कि उन्होंने वह जानकारी एकत्र की है या नहीं। यदि जानकारी एकत्र की गई थी तो यह सभा के समक्ष क्यों नहीं रखी गई है?

श्री राजेश पायलट: महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): स्पीकर साहब, कुछ इन्फोर्मेशन कलेक्ट हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: इसमें नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसमें दूसरी भी स्टेटमेंट है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि राज्यों से इन्फोर्मेशन आई होंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

लेकिन इस वक्तव्य में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: वह उड़ीसा के बारे में है। लेकिन आपने कहा था कि आप महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से जानकारी एकत्र करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह प्रथा कभी नहीं रही कि रिपोर्ट उस मंत्री द्वारा पढ़ी जाये जिन्होंने स्थल का दौरा किया हो। संबंधित मंत्री ही वक्तव्य देता है। हम कृषि मंत्री जी से यह आशा करते हैं कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किये गये वायदे के संबंध में विस्तृत वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)* लेकिन श्री नवीन पटनायक जी यह क्या पढ़ रहे हैं? वह इस सदन के सभापटल पर रिपोर्ट कैसे रख सकते हैं? इस सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ। वह अपना वक्तव्य अब क्यों पढ़ेंगे? संबंधित मंत्री ही सदैव वक्तव्य देता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिये।

श्री पी. शिव शंकर: वह अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। केवल संबंधित मंत्री को ही यह रिपोर्ट सभापटल पर रखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप सभापटल पर रिपोर्ट रख रहे हैं?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप दो मिनट का समय लेंगे? ठीक है। माननीय सदस्यगण, कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह केवल दो मिनट का समय लेंगे। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। वह पढ़ने नहीं जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप सभापटल पर रिपोर्ट रखना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: महोदय, उनकी रिपोर्ट यहां पढ़ने की बजाय, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री जी से की गई कार्यवाही सहित विस्तृत वक्तव्य, यदि आज नहीं, तो फिर कभी देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन महोदय, यह कोई तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा सदन में किसी भी समय नहीं किया गया। महोदय, आप एक गलत परंपरा डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह कैसे संभव है? वह पहले ही आपके दल की ओर से बोल रहे हैं और आप अवसर की मांग पुन: कर रहे हो।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइन (बालासोर): महोदय, मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये क्योंकि मैं प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र से हूँ। मैं बालासोर से हूँ। आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें और कोई स्पष्टीकरण नहीं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (बापतला): महोदय, जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो यह परंपरा है कि मंत्री संबद्ध स्थान का दौरा करते हैं और तत्काल संसद को वहाँ की जानकारी देते हैं। कोई भी रिपोर्ट पहले से तैयार नहीं होती है। इसके पश्चात, एक केन्द्रीय दल वहाँ जाता है और तुरंत नुकसान का जायजा लेता

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एन. जनार्दन रेड्डी]

है तथा वापस आकर इसकी जानकारी देता है। फिर वहाँ राहत सामग्री भेजी जाती है। इस बीच वह सभा को इस बात की सही जानकारी नहीं दे पाये हैं कि प्रत्येक राज्य में बीज उपलब्ध कराने हेतु कितना धन विद्यमान है। मार्च के अन्त तक यह पूरा हो जायेगा ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने तुरन्त कितनी राशि दी है? वह अगले वर्ष के शेयर में से यह अग्रिम राशि दे रहे हैं। यह केन्द्रीय सहायता नहीं है। केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता भिन्न होती है। केन्द्रीय सहायता का अनुमान केवल केन्द्रीय दल के वहाँ जाने के उपरान्त ही लगाया जा सकता है।

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। प्रत्येक आपदा के पश्चात् वास्तविक नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए, विशेषज्ञों का एक केन्द्रीय दल जिसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं तथा जो वस्तुतः इस नुकसान का जायजा ले सकें, उस स्थान का दौरा करता है और नुकसान का जायजा लेता है और अपनी रिपोर्ट देता है। तत्पश्चात, राहत जारी की जाती है।

सर्वप्रथम, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने वहाँ एक केन्द्रीय दल भेजा है।

यदि ऐसा नहीं है तो आप केन्द्रीय दल कब तक भेजेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: कृपया मुझे स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई स्पष्टीकरण नहीं। प्रो. कुरियन कृपया अब समाप्त करें।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)* कृपया, मुझे समाप्त करने दें। ...*(व्यवधान)* यदि माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया है तो किसी अन्य मंत्री को उसी विषय पर वक्तव्य देने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा स्पष्टीकरण है। ...*(व्यवधान)* दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें आने के बाद इन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद और सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। अतः ऐसी समस्याओं को निपटाने की जिम्मेदारी राज्यों की कर दी गयी है। ...*(व्यवधान)* एक नियमित प्रणाली विद्यमान है और इसे तीन अनुपात एक की दर से राज्यों को भेज दिया जाता है। असाधारण और अत्यंत गंभीर आपदाओं के मामले में राज्यों से मांग आने पर विशेष दल भेजे जाते हैं।

यह जानकारी जिसका मैंने अपने मुख्य विवरण में उल्लेख किया है सभी राज्यों से एकत्र की जा रही है और प्राकृतिक आपदा के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। मेरे पास विवरण है। यदि आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। यह सभी राज्यों के संबंध में एक लम्बा विवरण है। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: महाराष्ट्र के लिए कितनी राशि जारी की गयी?

श्री सोमपाल: केवल महाराष्ट्र ही क्यों, सभी राज्यों के लिए क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के मामले में जारी की गयी राशि '53.98' थी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: यह अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: कोई स्पष्टीकरण नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप नियमों के बारे में जो स्थिति है उससे अवगत हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य: एक सर्वदलीय दल ने एक रिपोर्ट पेश की थी। ...*(व्यवधान)* हमने यह मुद्दा सदन में उठाया था ...*(व्यवधान)* यह दल सरकार के द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था। उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया ...*(व्यवधान)* हम उस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)* यह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह सदन के एक सदस्य के आचरण के बारे में है। सदस्य द्वारा ऐसा किया जाना बहुत बुरी बात है। माननीय सदस्य को सदन में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उनका माननीय मंत्रियों और सत्तापक्ष की तरफ जाना बहुत ही गलत बात है। एक सदस्य का ऐसा आचरण करना अच्छी बात नहीं है। मैं श्री सुनील खां का नाम लेने जा रहा हूं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर)**:** महोदय, मुझे खेद है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है, इसलिए अब इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, उनके खेद व्यक्त करने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है।

रात्रि 8.21 बजे

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: सदस्यगण, इस माह की 23 तारीख से आप लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इस सभा ने सुगमतापूर्वक नई सरकार द्वारा पद ग्रहण की पुष्टि की। सभा बिना किसी अड़चन के वित्तीय कार्य पूरा करके नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने की प्रक्रिया में भी देश की आशाओं के अनुरूप खरी उतरी।

इसके अतिरिक्त सभा ने अपनी परम्पराओं के अनुरूप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी आज पारित कर दिया। सभा के सभी सदस्यों ने मेरे कार्य में अपूर्व सहयोग दिया है। मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अब हम पूर्ण बजट सत्र के अवसर पर मिलेंगे।

अब वन्दे मातरम की धुन बजाई जायेगी।

रात्रि $8.21\frac{1}{2}$ बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय: सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/1/8/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।